Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का अष्टम् दिवस [संख्या ७

शनिवार,
दिनांक ५ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ८.२१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) : अध्यक्ष महोदय, हमारी इस मौजूदा असेम्बली में यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पांचवां है और इस असेम्बली का आखिरी भाषण भी था। इस अवसर पर इस विधान सभा के अन्दर जो घटनाएं घटीं, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ ज्यादा न कह कर इतना अवश्य आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसके आगामी वर्षों में भी ऐसी कोई घटनाएं न घटें, इस सम्बन्ध के अन्दर

यहां हमें तय करना जरूरी सा है कि जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देते हैं उस समय हाउस को कौन कन्ट्रोल करेगा ?

अध्यक्ष महोदय, अगर हम उस अभिभाषण के वक्त असेम्बली की मीटिंग नहीं रखते हुए और वह "मीटिंग" की तारीफ में नहीं आती है तो वैसे परिस्थिति में, अध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करते हैं और वैसी सूरत के अन्दर अगर कुछ भी उस मौके पर ऐसी घटनाएं हों तो राज्यपाल महोदय, कन्ट्रोल करते हैं. और राज्यपाल महोदय जब कन्ट्रोल करते हैं तो उस समय उनकी परिस्थिति बहुत ही ऐसी हो जाती है कि जो अच्छी प्रतीत नहीं होती। वैसी स्थिति में हमें कॉन्स्टीट्यूशन में कुछ भी चेंज करना पड़े, हमें अपने रूल्स के अन्दर कुछ भी चेंज करना पड़े मैं मेरी तरफ से यह कहूंगा कि राज्यपाल महोदय हमारे प्रतीक हैं, उनकी स्थिति को गम्भीर रूप में रखने के लिए यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम ऐसे अपने नियमों के अन्तर्गत या कॉस्टीट्यूशन के अन्तर्गत भी यह सुझाव दें कि राज्यपाल महोदय के प्रतीक रूप में होने के कारण उस समय असेम्बली की जो मीटिंग हो उसकी अध्यक्षता स्वयं अध्यक्ष महोदय करें, उस समय की मीटिंग को स्वयं अध्यक्ष महोदय कण्डक्ट करें जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हों।

Page No. 2

(श्री गंगासिंह राठोड़)

अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय का इस वक्त का अभिभाषण है उसके अन्तर्गत उन्होंने मोजूदा सरकार का जो कार्य है मौजूदा सरकार ने जो कार्य किये हैं उसका सिंहावलोकन उन्होंने उसमें किया है। उसके अन्दर जो प्रथम अंश है वह करीब ६ पैरा के अन्दर पाकिस्तान से गुजरी लड़ाई के सम्बन्ध में है। उस समय जो हमारे कर्त्तव्य थे, जनता ने जो अपने कर्त्तव्य निभाये, हमारी आर्मी और फौज ने अपने कर्त्तव्य निभाये, उससे सम्बन्धित है। इसके अन्दर ताशकन्द घोषणा भी आई है। ताशकन्द घोषणा का क्या नतीजा होगा, यह तो आगामी वर्षों की हिस्ट्री ही बता सकेगी, इसके अन्तर्गत मैं कुछ नहीं कहूंगा; लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि हमारे फौजी भाई जो युद्ध-क्षेत्र के अन्दर लड़े हे, या जो रिटायर हुए हैं, उनके सम्बन्ध में हमारी सरकार ने कई दफा इस हाउस में और इस हाउस के बाहर भी कहा है कि उनको कई रियायतें दी गई हैं तथा जमीनों के अलाटमेंट के सम्बन्ध में या नगद में सहायता देने के बाबत भी कहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में हमारी सरकार ने बहुत ही कम काम किया है। हमारे जो अलॉटमेन्ट रूल्स हैं वे भी पूर्णतया जो फौजी भाइयों से सम्बन्धित हैं उनको कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया है। यहां तक कि जो अलॉटमेंट अब तक हुए हैं वे भी कुछ ही हिस्सों में हो सके हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में सुचारु रूप से कुछ स्टेप लेना जरूरी सा है। जो फौजी पेन्शन में आ गए हैं, जिनको एवार्ड मिले हैं उनके सम्बन्ध में जल्द से जल्द अलॉटमेंट किये जायं तथा उनको फायदा दिलाने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाय।

इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर भी कुछ ऐसे परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे। अगर हमको इन सैनिकों को कुछ फायदा देना है तो हमें लैंड रेवेन्यू एक्ट और टीनेंसी एक्ट के अन्दर भी कुछ परिवर्तन करके हमारे इन एक्ट्स को भी अमेंड करना पड़ेगा।

इसके साथ अध्यक्ष महोदय मैं राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के पैरा नम्बर ८ से १३ तक जिसमें अकाल से उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जो उन्होंने विवरण दिया है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अकाल इस क्षेत्र में बराबर दो-तीन साल से आते रहते हैं और जिस इलाके से मैं आ रहा हूं उसकी भी हिस्ट्री यही रही है कि वहां दो-तीन साल में कम से कम एक अकाल आ जाता है। अभी तक इस अकाल के सम्बन्ध में जो रवैया होना चाहिए वह स्पष्ट रूप से सरकार का रवैया प्रशंसनीय नहीं है। अकाल के बारे में जब यह मानते हैं कि दो-तीन साल में आता है तो वैसी परिस्थिति के अन्दर चारे के सम्बन्ध में हमें तैयारी रखनी चाहिए, चारे का स्टोर रखना चाहिए; लेकिन सरकार स्टोर नहीं रखती है। एन टाइम पर जो चारे की कमी होती है तो उसे इधर-उधर से लाने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, जो हमारी मीटिंगें वगैरह अकाल के सम्बन्ध में होती हैं वे भी समय पर नहीं होती। अभी भी हमारे नागौर जिले में जहां से मैं आ रहा हूं, उसके अन्दर काफी गावों में अकाल है और अब तक सत्तर हजार रुपए के करीब हमको टेस्ट वर्क्स के लिए मिले हैं, लेकिन उनको खर्च नहीं किया गया है, हालांकि इन टेस्ट वर्क्स का कार्य करीब आज

(श्री गंगासिंह राठोड़)

से तीन-चार महीने पहले ही आरम्भ हो जाना चाहिए था लेकिन ये रुपये अभी तक खर्च नहीं हुए हैं और अभी तक मीटिंगें नहीं हुई हैं। हमने खुद ने उनको कहा कि यह रुपया जल्दी से जल्दी खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

हम देखते हैं अध्यक्ष महोदय, कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, कलेक्टर वगैरह होते हैं वे इस तरफ पूर्णतया ध्यान नहीं देते हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारा जो फैमिन का काम है, उसकी मीटिंग बुलाने का काम है, वह बराबर समय पर किया जाय, समय पर मीटिंग बुलाई जाय तथा जो कमेटी के मेम्बर हैं; एम. एल. ए. और एम. पी. हैं, उनको दो-तीन दिन के नोटिस से सम्मन सर्व किया जाता है, मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, उसके लिए मेरा अनुरोध है कि उनको पर्याप्त समय दिया जाय, क्योंकि कोई एम. एल. ए. जयपुर में रहते हैं तो कोई एम. पी. दिल्ली में रहते हैं; उनको पहले से सूचना मिलनी चाहिए ताकि वे मीटिंग में पहुँच सकें और जो मीटिंगें वगैरह अकाल के सम्बन्ध में हों वे भी समय पर नहीं होती हैं, वे भी समय पर होनी चाहिए।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं जो राज्यपाल महोदय ने हमारी इन्कम के संबंध में कहा है कि हमारी इन्कम छः पाइन्ट एण्ड समथिंग बढ़ी है, उसके सम्बन्ध में मेरी यह अर्ज है कि अगर वास्तव में देखा जाए तो यह इन्कम किस रूप में बढ़ी है। क्या यह हमारी ओनर्टैक्स रेवेन्यू से बढ़ी है या वह हमने कर्ज लिया सेंटर गवर्नमेंट से, उनके कर्ज के कारण यह रकम बढ़ी है, तो मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि ६५–६६ के अन्दर हमको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट-इन-एड के रूप में रुपया मिला है वह पन्द्रह करोड़ के करीब मिला है और सन् १९५१-५२ में पांच लाख मिला था। तो जो पांच लाख रुपया ५१-५२ में मिला था वह अब पन्द्रह करोड़ मिला है। वैसी परिस्थिति के अन्दर अगर इसको किस रूप में देखा जाए तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी इन्कम किस रूप से बढ़ी है। क्या जो ग्रान्ट इन एड के रूप में इन्कम आई है उसके कारण हमारी इन्कम बढ़ी है या हमारी वास्तविक रूप से राजस्थान की जो प्रापर्टी है उसको बढ़ावा देकर हमने हमारी इन्कम बढ़ाई है ? तो देखा जाय कि जहां १९५१-५२ के अन्दर में ग्रान्ट-इन-एड पांच लाख मिली वहां १९६५-६६ के अन्दर ग्रान्ट-इन-एड १५ करोड़ मिली है; इससे साबित है कि जैसा राजस्थान के अन्दर पर-कैपिटा इन्कम के लिए बताया पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है, वहां हम महसूस करते हैं, जो ग्रान्ट-इन-एड सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिली है उसको ध्यान में रखते हुए वास्तविक स्थिति यह है कि यह पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है, यह कोई हमारी सरकार के एक्शनों के कारण से नहीं बढ़ी है, बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रान्ट-इन-एड से बढ़ी है।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक राज्य सरकार की जो फाइनेंशियल परिस्थिति है, वह जो पहले थी वही परिस्थिति आज चल रही है। हमारा जो ओवर ड्राफ्ट था वह रिजर्व बैंक का बारह करोड़ का था, वही १२ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट आज भी कम नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में देखते हैं कि सरकार ने जब से काम सम्भाला है तब से अभी तक कुछ भी ऐसी प्रगति नहीं की है जिसके कारण

(श्री गंगासिंह राठौड़)

हमारे राज्य की धनराशि बढ़े और हमारे ऊपर जो कर्ज है वह कम हो और जिससे जनता की उन्नति हो सके।

अध्यक्ष महोदय इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान लोन्स की तरफ भी दिलाऊंगा कि अभी तक राजस्थान के ३९ करोड़ के पर्मानेन्ट लोन्स हैं। लेकिन स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो कुछ लोन्स दिये जाते हैं वे वैसे के वैसे ही ले लिये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर राजस्थान की जो फाइनेंशियल परिस्थिति है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जिससे साबित होगा कि इस सरकार ने अभी तक अपने समय में कुछ भी काम नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, परमानेन्ट लोन्स जो थे वे १९६४ तक १ अरब ३९ करोड़ के डेबिट बैलेन्स में थे, उसमें से क्रेडिट बैलेन्स निकाल कर राजस्थान के अन्दर करीब ४.३१ के करीब हैं और इससे कम नहीं है। वैसी परिस्थिति में देखते हैं कि राजस्थान की जो आर्थिक परिस्थिति है वह इस वर्ष में ही नहीं, बल्कि बराबर पिछले सालों मे देख रहे हैं, अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ी हैं जिसके कारण हम इस समय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कोई धन्यवाद दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान राजस्थान की जनता की स्थिति की ओर दिलाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है अभी तक वह है ३१.३०। इससे साबित होता है कि राजस्थान सरकार ने जनता पर जो टैक्स लगाये हैं उससे जनता की स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब तक जो टैक्स दिये हैं और जो दे रही है, उसके कारण वह अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को ठीक नहीं कर सकती। इसके साथ ही साथ में आपके समक्ष दूसरी स्टेट्स के आंकड़े रखूंगा, अध्यक्ष महोदय, जिससे साबित होगा कि हमारी और दूसरी स्टेट्स की पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू कितनी है:—

राजस्थान की पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू है २१.३१,

उड़ीसा की पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू है १६,

मद्रास की पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू है १९.२६,

बिहार की पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू है १५.२५,

जम्मू-काश्मीर की पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू है १७.८५,

और यू. पी. की पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू है १५.३०.

दूसरी स्टेट्स की जो पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू है उसको ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राजस्थान की पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू कितनी ऊंची है और इस तरह से यहां की जनता को कितना टैक्स देना पड़ता है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, लैण्ड रेवेन्यू की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू भी राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण राजस्थान के काश्तकारों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और उसके कारण राजस्थान के काश्तकार बहुत दबे हुए है. . .

(श्री गंगासिंह राठोड)

राजस्थान में पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू है ४.४१,

बिहार में पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू है २.५१,

गुजरात में पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू है ३,

काश्मीर में पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू है २.२५,

केरल में पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू है २.६,

उड़ीसा में पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू है १.८०,

और यू. पी. में पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू है ३.२.

इससे यह साबित होता है, अध्यक्ष महोदय, कि पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू जो राजस्थान में एग्रीकल्चरिस्ट दे रहे हैं सरकार को वह ४.४१ है, जब कि उड़ीसा में १.८० है और यू. पी. में जहां काफी टैक्स लगे हुए हैं वहां ३.२ है। इससे साबित होता है कि हमारी जनता को बहुत टैक्स देने पड़ रहे हैं, दूसरे प्रोविन्स हैं उनके एग्रीकल्चरिस्ट की तुलना में राजस्थान के काश्तकारों को ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू देना पड रहा है। ऐसी परिस्थिति में, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा कि सरकार जहां पर यह समझ कर चलती है कि यहां के निवासियों के ऊपर टैक्स कम किये जायं या दूसरे प्रोविन्स से उन्हें एट पार रखा जाय, यदि वह यह चाहती है कि एग्रीकल्चरिस्ट को बढ़ावा दिया जाय तो यहां के एग्रीकल्चरिस्ट पर इतना जो टैक्स का बोझ पड़ रहा है और जनता पर जो टैक्स का बोझ पड़ रहा है उसको कम करने के लिए वह क्या करना चाहती है? इस आधार पर इस वक्त जो सरकार की तरफ से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसका क्या हम समर्थन कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि कदापि नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पशु-पालन का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां यह बहुत बड़ा विभाग है और इसके द्वारा हम राजस्थान में बहुत धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पशु-पालन और पशुओं के डेवलपमेंट की जो दिशा है उसकी ओर अभी तक इस पशु-पालन विभाग द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। यह स्थिति है कि लाइव स्टॉक्स के आंकड़े अभी तक इनके पास नहीं हैं और जो रेवेन्यू बोर्ड से या रेवेन्यू ऑथोरिटीज से आंकड़े मंगाते हैं वे कतई सही नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इस विभाग के स्टाफ के पास कुछ भी काम नहीं है सिवाय इसके कि इधर-उधर जाकर दो-चार इन्जेक्शन लगा दें या अस्पताल में बैठे रहें। मैं समझता हूं इस विभाग के अन्दर एक वैज्ञानिक तरीके पर काम होना चाहिये। वह काम आज इस विभाग में नहीं हो रहा है। इस विभाग में काम ऊट-पटांग हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें एक हवाला आया है कि कोई ऊंट इस विभाग का खो गया था, उसके लिए १००० मील तक ट्रेवल किया गया जीप से, उसमें हजारों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन ऊंट आखिर में भी नहीं मिला।

इसी सम्बन्ध में यदि आप कैटल वेल्थ को बढ़ावा देना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप जो

Page No. 6

(श्री गंगासिंह राठोड़)
कैटल पर सेल्स टैक्स ले रहे हैं उसको तो आप कम से कम माफ कर दीजिए, क्योंकि जो काश्तकार राजस्थान के हैं, उनके ऊपर इस सेल्स टैक्स से ज्यादा बोझ पड़ रहा है, इस टैक्स के कारण जो कैटल-पालक हैं उनको काफी नुकसान होता है और बिक्री भी कम होती है।

इस डिपार्टमेंट की, अध्यक्ष महोदय, जो पॉलिसी है, जो पशुपालकों के पुनर्वास की पॉलिसी है, उसके सम्बन्ध में अर्ज करूंगा कि यह योजना ३५ लाख की है, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। यह बेकार की योजना बनती जा रही है और इस पर फालतू खर्च हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कैटल ब्रीडर्स के सम्बन्ध में, कैटल के इम्प्रूवमेंट के सम्बन्ध में जो स्कीम्स हैं, इन पर १९५७ से लेकर १९६२ तक १ करोड़ ८७ लाख रुपया खर्च हुआ है। लेकिन इसके अन्दर १९५७ से लेकर १९६२ तक आउट पुट देखें तो काम आपका जो हुआ है वह है आपने १९ सांडों की तो नस्ल सुधार दी और २१ बछड़े लोगों को सहायता के रूप में दिये हैं। इस परिस्थिति में देखते हैं कि राज्य सरकार को जो फंड एलॉट कर रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका दुरुपयोग होने के कारण; सही रूप में काम नहीं होने के कारण; राजस्थान सरकार के कोष पर फाइनेंशियल बोझ आता रहा है।

इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उनका रिटर्न कम आ रहा है, यहां तक कि एक पर्सेन्ट रिटर्न आया है १९६३–६४ तक और इन प्रोजेक्ट्स के अन्दर १ करोड़ ३० लाख रुपये की हानि हुई है।

ऐसी ही परिस्थिति में, अध्यक्ष महोदय, जो बड़े बड़े आइटम्स प्रोजेक्ट के हैं उनकी ओर आपकी मार्फत में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस सम्बन्ध में वे पूर्णतया ध्यान दें। ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो फालतू रुपये खर्च हो रहे हैं उनको रोका जाय या इन प्रोजेक्टस को सक्सेसफुल बनाया जाय।

विद्युत् मण्डल का यह हाल है कि अभी तक वह घाटे में चल रहा है। सन् ६२-६३ की रिपोर्ट के अनुसार ८०.९३ लाख का इसको घाटा था और इस वक्त ४९.५४ लाख का घाटा है। मैं नहीं समझता कि ऐसा आइटम है विद्युत् जिसमें किसी प्रकार का घाटा हो सके, लेकिन घाटा होने का कारण यह है कि जो एलाइनमेन्ट वह ठीक तरह से नहीं हो रहा है। पोलिटिकल प्रेशर के कारण जो एलाइनमेन्ट ढंग का होना चाहिए था वह नहीं हो सका। १० मील इधर लाइन ले जा रहे हैं और १५ मील उधर ले जा रहे हैं, ऐसी हालत में यह कभी प्रोफिटेबल नहीं हो सकता। विद्युत् मंडल को हानि हो, नुकसान हो लेकिन बिजली की मात्रा भी घटी है और अब तक डिस्ट्रक्ट्स में कुओं और एग्रीकल्चर के लिए बिजली दी जानी चहिए थी वह नहीं दी जा सकी। एक ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करूंगा कि भाखरा नांगल की बिजली बीकानेर तक आ गई है उसको एक्सटेन्ड करके यदि नागौर तक दे दी जाती है तो उससे नागौर का एरिया, जहां पर अब तक कुछ भी डेवलपमेन्ट नहीं हुआ है वहां भी डेवलपमेन्ट हो सके।

Page No. 7

(श्री गंगासिंह राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान डी. सी. एम. की तरफ दिलाऊँगा । इस परिस्थिति में जब कि बिजली की खपत कम करने जा रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, मंडल घाटे में जा रहा है, वैसी हालत में जो डी. सी. एम. के साथ कांट्रेक्ट किया है उस ओर भी सरकार वापिस ध्यान दे ।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, जो एलॉटमेन्ट लैंड का होता है वह भी सही ढंग से नहीं होता है। जो एलॉटमेण्ट कमेटीज़ बनी है उनको समय समय पर सूचना नहीं जा रही है तथा उस एलॉटमेन्ट कमेटी का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं लिया जा रहा है । भाखरा योजना से संबंधित जो एलॉटमेन्ट था उस बारे में सरकारी तौर पर यह तय किया गया था, ५० पर्सेन्ट जमीन का ही एलोट-मेन्ट होगा और ५० पर्सेन्ट का नहीं होगा । लेकिन हमारे पास जो आंकड़े आये हैं उससे पता चलता है कि ७० पर्सेन्ट तक जमीन का एलॉटमेन्ट हो गया है । यह किस कारण हुआ है ? यह गलत एलॉटमेन्ट हुआ है, इससे राज्य सरकार को काफी नुकसान भोगना पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इन्डस्ट्रि-यल सर्वे डिपार्टमेन्ट बनाया गया था । उसका मकसद राज्य सरकार का कुछ भी हो, इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने का होगा, किस तरह से राजस्थान को इन्डस्ट्रियलाइज़ किया जायेगा, उसकी नीति ठीक हो सके इसलिये इस विभाग की स्थापना की गई थी और इसके अन्दर १६ लाख रुपये का खर्चा हुआ था, लेकिन वह डिपार्टमेन्ट न मालूम किस कारण खत्म कर दिया गया ? मेरा यह कहना है, अध्यक्ष महोदय, या तो इन्-स्ट्रियल सर्वे करना ही नहीं चाहिये था और यदि राज्य सरकार यह समझती है कि सर्वे होना आवश्यक है तो वैसी परिस्थिति में १६ लाख रुपये खर्च करने के बाद उसको भंग कर देना और रिपोर्ट नहीं देना कहां तक ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय, हमारा एक इलाका है राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी इलाका वहां पर पीने के पानी की इतनी कमी है जिसके लिये बार बार राज्य सरकार को कहना पड़ता है और यह खेद का विषय है, अध्यक्ष महोदय, कि अब तक, १८-१९ वर्ष हो गये, प्रजातंत्र में भी हम लोगों को पीने को पानी मुहैय्या नहीं कर सके । मेरा अनुरोध बार बार इसलिए है क्योंकि मैं भी उसी इलाके से आता हूं जहां पानी की कमी है । राज्य सरकार इस ओर कोई सक्रिय कदम नहीं उठा सकी जिसके कारण दो-तीन साल में सबको पीने के लिये पानी मिल सके । जो कूए खुदवाये हैं उनका भी प्लानिंग ठीक नहीं हुआ है, वैसी परिस्थिति में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बारे में कम से कम आप सर्वे करावें कि कहां कहां पर कूए खुदवाने जरूरी हैं, किस किस एरिया में कितने कितने एरिया के बाद कुए खुदवाये जावेंगे, यह तय करना जरूरी है; क्योंकि कहीं कहीं तो पास-पास में कूए खुदवा देते हैं और कहीं पर २०-२५ मील तक भी कूए दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसका सर्वे कराना जरूरी है ।

इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान आक-र्षित करूंगा जागीर डिपार्टमेन्ट की तरफ । यह डिपार्टमेन्ट काफी समय से चल रहा है ।

Page No. 8

(श्री गंगासिंह राठोड़)
हमें आशा थी कि जागीरदारों के मुआवजे जल्दी से जल्दी तय करके उनको मुआवजा दिलवा दिया जायेगा ताकि गवर्नमेन्ट का एक फेज समाप्त हो, लेकिन अब तक इस विभाग का काम सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। अभी तक हजारों की तादाद में जागीरें हैं जिनके क्लेम्स तय नहीं हुए, कम्पेन्सेशन तय नहीं हुआ, यहां तक कि जो पसायतदारों की जागीरें हैं उनके बारे में निर्णय तक नहीं लिया है कि उनको जागीरदार मान कर कम्पेन्सेशन दिया जायेगा या नहीं। एक दफा पिछले हाउस में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पसायतदारों को जागीरदार मान कर इनको कम्पेन्सेशन दिया जायगा लेकिन इसको कार्यरूप में परिणत यह डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। इस डिपार्टमेन्ट में एक केओस सा हो रहा है। किसको मुआवजा दिया जाय किसका क्लेम मंजूर किया जाय, किसको नहीं। जो जागीर के गांव थे उनमें से काफी का तो मुआवजा तय हो गया है लेकिन खालसे की जागीरें हैं, उनकी खतोनियां तक नहीं बनी हैं; वैसी सूरत में उनको कम्पेन्सेशन कब तक मिलेगा, यह नहीं कहा जा सकता।

इसके साथ साथ मैं लैण्ड प्रोब्लम्स के संबंध में कहूंगा कि इस समय काश्तकारों के हकूक तय करने के लिये सरकार का कदम पर्याप्त नहीं है। मैं सीलिंग की ओर ध्यान दिलाऊंगा। जिस मकसद से आप सीलिंग ला रहे थे वह खत्म हो गया। बड़े बड़े लैंड होल्डर्स खत्म हो चुके हैं। अब अधिक लैंड उन्हीं के पास रह गई है जो सही काश्तकार हैं और अधिक धान उपजाते हैं। यदि उनकी जमीन ले ली गई तो पैदावार को काफी नुकसान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के समक्ष उस प्रस्ताव पर विचार करने जा रहे हैं, जिसमें यह आकांक्षा की जाती है कि राज्यपाल महोदय, राजस्थान के राज्यपाल महोदय, जिन्होंने हमें इस सदन के सत्र के लिये आहूत किया, यहां पधारने का कष्ट किया और हमारे सामने अभिभाषण किया और उसके फलस्वरूप हम उनको धन्यवाद प्रदान करें। लेकिन उनके अभिभाषण के समय जो दुःखद घटना हुई उससे हमारा देश और राजस्थान परिचित है। यह सत्य है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल महोदय का एक बहुत उच्च आसन होता है, उनका पद बहुत महान् होता है और संविधान के अनुसार उनका सम्मान करना, उनके सम्मान की आकांक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य हो जाता है और इस दृष्टिकोण से अपने बहुमत के आधार पर, या किसी भी आधार पर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ जो कदम उठाया गया उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि यह निर्णय लिया जा चुका है; लेकिन मैं यह निवेदन करना अवश्य उचित समझूंगा और यह कहे बिना नहीं रहूंगा कि अपराध किसने किस हद तक किया और किस आधार पर निर्णय लिया है उस पर पुनः विचार करना चाहिये यह मेरा नम्र निवेदन है।

यह सही है कि जो संविधान के अनुसार सबसे उच्च हस्ती है, जिसका सम्मान करना हम अपना पुनीत कर्त्तव्य समझें यदि उनके प्रति असम्मान किया जाता है तो

Page No. 9

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उनको दंड दिया जाय। लेकिन क्या राज्य सरकार या कानूनी पंडित यह भी सोचते हैं कि उच्च व्यक्ति अपने स्वयं में निहित अधिकारों का हनन करता है तो उनके पद का लिहाज न करते हुए निष्पक्ष तरीके से उनका प्रतिकार किया जाना चाहिये। एक तरफ आप निष्पक्ष होकर फैसला करते हैं कि जिन्होंने अपराध किया उनको दंड देना कर्त्तव्य समझते हैं तो दूसरी तरफ उच्च से उच्च व्यक्ति की तरफ से कोई गलती की जाती है तो दूसरे तरीके से कम नहीं है, ऐसा सबसे उच्च अधिकारी गल्ती करता है तो क्या आप उसके प्रति कोई स्टेप लेने को तैयार है ?

इस प्रकार आप कोई स्टैप्स ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वास्तव में आपने निष्पक्ष रूप से कोई काम किया है और आप में निष्पक्षता है। आप में हिम्मत है कि आप बड़ी से बड़ी शक्ति के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा प्रस्ताव आपकी तरफ से नहीं आता जिसमें इस प्रकार की कोई बात दिखाई देती हो; प्रस्ताव आता है ह यह कि सदस्यों को सदन से पूरे समय के लिए निकाला जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने उनको निकाला है इस पूरे सत्र के लिये मगर मैं एक ब्राह्मण होने के नाते आपको यह बता देना चाहता हूं कि जिन ९ व्यक्तियों को आपने सदन से निकाला है वह ९ व्यक्ति नहीं हैं, वे आपके लिए ९ ग्रह हैं, जो आपके पीछे लगे हुए हैं, जिनको आपने निकाला है। आप अपने ग्रह गोचर किसी अच्छे पण्डित को दिखा दें, अगर नहीं दिखाये हों तो। जिन लोगों को आपने सदन से बाहर निकाला है, वे लोग आपके लिये ९ ग्रह हैं...........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री गृह) : मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते आपको यह कह सकता हूं कि अगर वे ग्रह हैं तो उन ग्रहों के लिये भी शांति का उपाय होता है। शांति करा लेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप शांति करा लेंगे या नहीं, मगर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके ये ९ ग्रह तो लग ही गये। अब आप भले ही शांति इन ग्रहों की कराते रहें।

मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बताया कि गुजिश्ता वर्षों में राजस्थान में बहुत काम हुए हैं और राजस्थान की बहुत तरक्की हुई है। मैं उन विषयों को एक एक लेकर उन पर जाना नहीं चाहता क्योंकि अगर एक एक विषय को लिया जावे तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर काफी समय की जरूरत रहेगी। इसलिये मैं उन सब पर न कह कर कुछ खास खास मुद्दों पर ही कुछ बातें आपके सम्मुख रखूंगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जब से हमारा यह देश आजाद हुआ है और हमारे हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई है कि हमारे पर कोई राजा न हो, जब कोई राजा न हो तो हम स्वयं अपने शासक होते हैं; अतः सारे अधिकार हमारे हाथ में आये हैं और जब अधिकार हमारे हाथ में आये हैं तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि हर एक व्यक्ति को हर प्रकार की सहूलियतें मिलें। मगर अभी तक आजादी के इतने अर्से बाद भी वह बात पैदा नहीं हुई है। आप कागजों और आंकड़ों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमने हर व्यक्ति की पर-केपिटा इन्कम बढ़ाई है। कपड़ों की दूकानें ज्यादा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
खुली हैं। आपने जहां पर स्कूलों की संख्या ५ थी वहां ५ के बजाय ७ खोल कर उनमें वृद्धि की है और कॉलिजेज भी खोल दिये हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि आप इस प्रकार सारे कार्य करके जनता को गुमराह करके यह दिखाना चाहते हैं कि हमने लोगों की पर्चेजिंग पॉवर को बढ़ा दिया है। आप यह कहेंगे कि हमने लोगों की तनख्वाहें के स्तर को ऊपर उठाया है और उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। मगर आप देखिये कि वास्तव में क्या आपके महकमा खास में और आपके सेक्रेटेरियेट के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी और बड़े बड़े ऑफिसर्स इससे खुश हैं। आप उनके दिलों से पूछिये कि क्या वे आज आपके वेतन-स्तर से इस समय किसी प्रकार की खुशी का अनुभव करते हैं और क्या वे लोग अपनी स्वेच्छा और इमानदारी से कहने को तैयार हैं कि आपके राज्य में वे सुखी हैं। आपके राज्य में जनता को कोई कठिनाई नहीं है, मैं यह कहूंगा कि ऐसा कोई नहीं कहेगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके काम करने का तरीका ही अलग है। आपके राज्य में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी भी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइये और किसी भी कर्मचारी के पास चले जावें और उससे पूछें कि यह गलत काम कैसे किया गया, तो वह यही उत्तर देता है कि मैंने यह सुप्रिन्टेन्डेट के आदेश से किया है। जब आप सुप्रिन्टेन्डेट से पूछते हैं तो वह कहता है कि उसने एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री के आदेश से काम किया है और एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री, सेक्रेट्री को बताता है और सेक्रेट्री मिनिस्टर का नाम बताता है। जब मिनिस्टर से पूछा जाता है तो वह केबिनेट का और केबिनेट वाले सेन्टर का नाम लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कोई गलत काम करे और उसकी शिकायत करने के लिए जावे तो कहां जावे? यदि यह बात जो मैं कह रहा हूं वह सही नहीं हो तो मैं यह कहूंगा कि मंत्री महोदय अपने जबाब का निराकरण करने की कोशिश करेंगे अगर उनमें इस प्रकार कहने का साहस हो।

आज स्थिति इस प्रकार की है कि इस सरकार में कोई रीजनेबल बात को सुनने वाला नहीं है और होता क्या है आपके राज्य में, आप देखेंगे कि आपके यहां फैसला देने वाला अधिकारी और होता है और आर्ग्युमेन्ट सुनने वाला अधिकारी कोई और होता है। यह एक अजीब तरीका है आपके यहां पर न्याय करने का। दिमाग किसका काम करता है, आंखें किसकी काम करती हैं, कान किसके काम करते हैं और कलम किसकी काम करती है।

मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मे कोई अपील या रिविजन होगी तो उसको रेवेन्यू सेक्रेटरी सुनेगा। मगर उसका फैसला रेवेन्यू मिनिस्टर लिखेगा। फैसला लिखने वाला कोई और और आर्ग्युमेंट्स सुनने वाला कोई और। और मैं यह भी नहीं कह सकता कि सेक्रेटरी जो नोट लिख कर पेश करता है उसके आधार पर फैसला दिया जाता है या नहीं। समझ में नही आता क्या ही अजीब आपका इन्साफ का तरीका है और क्या ही अजीब आपका काम करने वालों का तरीका है। अगर आप यह कहें कि जो काम करने की व्यवस्था चल रही है वह सही है, तो मैं यह कहूंगा कि आपकी यह मौजूदा काम करने

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

की व्यवस्था बिल्कुल गलत है और इसमें जल्दी से जल्दी आपको सुधार करना चाहिये। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति किसी चीज की मांग करता है और उसको वह चीज तो दी नहीं जाती जिसकी वह मांग करता है, उसको दूसरी ही चीज दे दी जाती है। जैसे कोई भूखे व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि आप हमें खाने के लिये रोटी दे दीजिये। आप क्या करते हैं, आप उनको उठा कर रोटी की जगह एक एक घड़ी दे देते है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब उनको खाने के लिये रोटी चाहिये और आप उनको घड़ी देते हैं तो क्या वे घड़ी को चाटेंगे और खावेंगे, जिससे उनकी भूख बुझेगी। उनको तो रोटी देनी चाहिये, मगर आप उनको रोटी नहीं देकर उनको घड़ी देते हैं।

बीकानेर में रेवेन्यू के लिये बहुत से केसेज़ पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर किसी ऑफिसर को एपोइन्ट नहीं किया जा रहा है। कितने ही लोग शिकायतें करते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। मेरी एक व्यक्ति से कल बात चीत हुई थी। वह यह कहता था कि वहां पर लोगों ने नाजायज़ तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और सरकार के फायदे में वह ग्रीवान्स लेकर आया था और उसने यहां आकर राज्य सरकार के कान खटखटाये और राज्य सरकार के अधिकारियों को उसने अच्छी तरह से सारा केस समझा दिया और उनको कन्विन्स कर दिया. लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि उसका क्या नतीजा होता है। नतीजा यह हुआ कि जब उसने उनको जाकर कहा कि मेरे मामले का क्या हुआ तो उसको कहा गया कि वह मामला एपोइन्टमेंट में चला गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उस मामले का अपोइन्टमेंट से क्या सम्बन्ध था। आपको रेवेन्यू केसेज़ की सुनवाई के लिये ऑफिसर को अपोइन्ट करना चाहिये जिसको दो-चार महीनों से अपोइन्ट नहीं किया गया है। आपने उठा कर यह मसला अपोइन्टमेंट को दे दिया। इसलिये इसमें काफी समय लग जाएगा और अगर इतने अर्से में वह आदमी जिसने कोई रिलीफ मांगी है वह मर जाएगा तो फिर आप वह रिलीफ किसको देंगे? आपको उसे इमीजियेट रिलीफ देना चाहिये, जो नहीं दे सकते। आपने उसके लिये कोई ऑफिसर वहां पर अपोइन्ट नहीं किया। फिर आप कहते हैं कि हम बहुत तेजी से चल रहे हैं। भारतेन्दु के शब्दों में एक जगह उन्होंने कहा है कि नौ दिन चले ढाई कोस। नौ दिन में अगर आप २॥ कोस चलते हैं और फिर भी आप यह कहें कि हम बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं तो यह आपके लिये बड़े शर्म की बात है।

(घंटी)

मैं दो-चार बातें आपके सामने और कहना चाहता हूँ।

जयपुर शहर वह शहर है जो हिन्दुस्तान के बहुत ही नामी-ग्रामी नगरों में से एक है? और यह गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है? और जिसको किसी जमाने में हिन्दुस्तान का पैरिस कहा जाता था। लेकिन इसकी खूबसूरती को कायम रखना इस बात पर आश्रित नहीं है कि यह तो केवल म्यूनिसिपैलिटी का ही काम है और यह कमी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से रही है। मैं यह कहूँगा कि इसके साथ साथ और भी कई बातें देखी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

तीन वर्षों के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शहर के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार बताए कि इसके लिए कितना रुपया बाहर से मिला और कितना रुपया हमारी सरकार ने अपने यहां से निकाला और यहां की बस्तियों के सुधार और स्लम क्लियरेन्स आदि के सिलसिले में कितना रुपया खर्च किया गया? मगर मैं यह कहूँगा कि इस पैसे का आपके पास कोई हिसाब नहीं कि आपने कितना पैसा खर्च किया।

इसके अलावा हमारे यहां पर जुडिशियरी के बारे में हमारे मंत्री श्री माथुर साहब जो पहले जुडिशियल मिनिस्टर भी थे, अभी इस सदन में उपस्थित नहीं हैं उन्होंने कई बार इस बात को जोरदार शब्दों में कहा था कि हम हर शिकायत को बहुत जल्दी सुनते हैं, मगर मैं उनसे भी कहूँगा कि हमने कई बार उनके सामने शिकायतें रखीं, हम उनसे कई बार मिले और उनको बताया कि यहां के जुडिशियल अधिकारियों की क्या स्थिति है। मुनसिफों और आर. ए. एस. ऑफिसरों की तनख्वाह के बारे में विचार करिये और देखिये और दूसरी जो एमिनिटीज आर. ए. एस. के अधिकारियों को प्रोवाइड की गई हैं उनको भी देखिये और मुन्सिफों को भी दी गई हैं उनको भी देखिये। आप देखेंगे कि मुन्सिफ की कलम का निब टूटा हुआ मिलेगा और अगर उसको फैसला आदि कुछ भी लिखना है तो अपने पैन से लिखना होगा। उसके पास निब नहीं, कागज नहीं। यह तो है आपके मुन्सिफों की हालत! क्या ऐसी स्थिति में आप उनसे यह आशा करते हैं कि आपकी जुडिशियरी निष्पक्ष रहे और वे लोग निष्पक्षता से फैसला देते रहें?

(९.०० म. पू.)

मैं यह कहता हूं कि पेट में रोटी सबको चाहिए, आराम सबको चाहिये, "भूखे भजन न होइ गोपाला, यह लो कंठी और यह लो माला"; इस आधार पर आप किसी आदमी को ईमानदार रखना चाहते हैं और फिर उसे भूखों रखना चाहते हैं, तो वह ईमानदार नहीं रह सकता।

भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कान खोल कर सुन लें, भ्रष्टाचार नीचे से नहीं चलता, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। मंत्रीगण अपने आचरण का कोड बनालें, कोड ऑफ कन्डक्ट बनालें ताकि एक उदाहरण जनता के सामने नजीर के रूप में आये कि देखो आचरण इसको कहते हैं। मनुष्य के रहने का जीवन-स्तर इस प्रकार का होना चाहिये। इस प्रकार की भावना लेकर आप जनता के सामने जायेंगे तो जनता पर आपका प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार आपका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ सकता कि लाखों की तादाद में भूखी जनता के सामने कीमती मोटर गाड़ी में बैठकर सपाटे से चले जाते हैं; आपको खाने को अच्छी से अच्छी चीजें मिल जाती हैं और भूखे नागरिकों को आप जाकर उपदेश देना चाहते हैं कि आज देश में संकटकालीन स्थिति है गेहूं नहीं मिलता है तो बाजरा-ज्वार खाकर और अगर बाजरा ज्वार भी नहीं मिलता है तो फ्रूट्स खाकर, दूध-बटर खाकर, समय निकालो। हमें तरस आता है आपकी इन बातों पर। जिसे जौ की रोटी मयस्सर नहीं होती उसको आप यह कहने की हिमाकत करते हैं कि अनाज नहीं मिलता

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

है तो फल फ्रूट्स खाओ, दूध बटर ले लो। साधारण से साधारण खाने की चीज अनाज तो जनता को देकर देखो, तभी जनता को कुछ उपदेश देने का आपको अधिकार होगा। फल-बटर के सब्स्टीट्यूट को अपने मुंह के सामने से हटा दो और फिर जनता के सामने जाकर कहो कि देखो, हम भी भूखों मर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए भी साधन नहीं है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप याचना तो करते हैं विरोधी पक्ष से कि वह आपकी कटु आलोचना नहीं करे, पर आपके कार्य ऐसे हैं कि कोई आदमी चाहे कितना भी गम्भीर रहे, कितना ही अपने दिमाग का सन्तुलन रखे, पर आप इस प्रकार की परिस्थितियां अपने अहमालों से पैदा कर देते हैं कि मजबूर होकर आलोचना करनी पड़ती है, आपका नग्न चित्र जनता के सामने रखना पड़ता है कि आप इस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। तो आज यह नहीं कहा जा सकता कि जो व्यवस्था आपके राज्यपाल में चालू है वह उचित है।

यहां की जुडिशियरी की यह हालत है, उसके कन्वीनियेन्स के लिये यहां बातें होती हैं, तीन-चार साल से बराबर यह आश्वासन राज्य सरकार की ओर से दिलाया जा रहा है कि कोर्ट्स में पेशाब-घर बनाये जायेंगे, सुविधा के लिये चेम्बर बना दिये जायेंगे, शेड बना दिये जायेंगे पर आज इन आश्वासनों को चार चार साल होने आये; पता नहीं वह रुपया कहां चला जाता है, वे कागज कहां चले जाते हैं? क्या हो रहा है, कोई अन्दाज नहीं। यहां जयपुर में कोर्ट्स ज्यादा कायम हो गईं, हाकिमों के बैठने के लिये समुचित प्रबन्ध नहीं। सीनियर सिविल जज की पोस्ट के आदमी, जिसको फांसी की सजा देने का अधिकार है, जिसको १० हजार तक की डिक्री करने का अधिकार है, उसको एक कोठरी दे रखी है, जैसे उसे काल कोठरी की सजा दे रखी हो। यह व्यवस्था कहने का आपका तरीका!

एक तरफ आप छोटा सा उद्घाटन करने जाते हैं, हजारों लाखों का खर्चा कर देते हैं। जैसे कोई बाजीगर आता है, डुगडुगी बजाता है, लोगों को इकट्ठा कर लेता है, जादू के एक दो खेल दिखा देता है और चला जाता है, आम अमरूद जादू से पैदा करके दिखा देता है पर खाने को किसी को नहीं मिलता, वह बाजीगर का तमाशा करने के लिये तो राज्य सरकार लाखों रुपया खर्च कर देती है, पर जहां वाजिब मांग की जाती है, उन पर चार चार साल तक एक पैसा भी खर्च नहीं करती। इस प्रकार आप जनता का गला घोटते हैं जनता की वाजिब मांगों का कोई ख्याल नहीं करते, आप मंत्री बन कर बैठे हैं, आप यह न समझिये कि आप स्वयं ही मन्त्री बन बैठे हैं, इसमें प्रत्येक नागरिक का योगदान है। आप यह मत समझिए कि मेजोरिटी की ताकत में जैसा चाहेंगे, कर लेंगे। मैं आपको बार बार चेतावनी देता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं कि इसमें प्रत्येक नागरिक का योगदान है, इसलिये प्रत्येक नागरिक की सुविधा के लिये सोचना आपका पुनीत कार्य हो जाता है। आप यह नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपका पतन हो जायगा।

हम मांग ज्यादा नहीं करते, जनता के लिये मांग करते हैं, अपने लिये नही

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
करते, बहुमत के लोगों के लिये मांग करते हैं जिन्होंने आपको इस पद पर बैठाने में योगदान किया है । जयपुर में कोर्ट्स में एक तरफ कलेक्टोरेट है और दूसरी तरफ दूसरे कोर्ट्स हैं, आपने इन सबको स्केटर्ड कर रखा है । क्या कभी आपने यह सोचने का प्रयास किया है कि सुविधा के लिहाज से कलेक्टोरेट और सिविल कोर्ट्स को एक जगह कर दिया जाय? बहुत सी जमीन आपके पास है, बहुत सी जमीन आपने एक्विजिशन में अपने पास रख रखी है, पर जब भी निर्माण का प्रश्न आता है तो न मालूम कौन से कारण आ जाते हैं कि आप उन्हें क्रियान्वित करने की चेष्टा नहीं करते। यह छोटी सी डिमाण्ड है, जयपुर के ५ लाख इन्सानों की डिमाण्ड है, जयपुर की जनता की डिमाण्ड है, इसको आप क्रियान्वित करने की कोशिश करें ।

जहां जुडिशियरी के सारे एक्सपेन्सेज हैं, आपके बजट के आंकड़े पेश होने वाले हैं, जुडिशियरी की कोर्ट फीस से कितनी आमदनी आपको होती है उससे आप सारे खर्चे को मीट आउट कर लेते हैं। और उससे आपको मुनाफा हो जाता है। जो लोग आपको कमा कर देते हैं, जो आपको पैसा देते हैं उनकी सहूलियतों के बारे में आप कोई विचार नहीं करते, फिर यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कहां खर्च कर देते हैं? कोई फंक्शन कर देते हैं। उसमें खर्च कर देते हैं मुझे बुलाया तो नहीं गया पर मैं देखने की दृष्टि से चला गया था तो वहां कांग्रेस अधिवेशन की बिजली का चमचमाहट, वहां की सजावट को देख कर मुझे ऐसा लगा कि इन्द्र की अमरावती उतर आ गई है। प्रत्येक सुन्दर चीज को देखर रोमांच हो ही जाता है। वहां की सुन्दर चीजें देखी तो मैंने लोगों से जानकारी की कि इस प्रकार की पक्की पक्की चीजें स्टेडियम के काम में आ जायंगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो वकील साहब। ये तो सब टूटने के लिए बनी हैं। मैंने कहा कि आज वकालत करते करते २० साल हो गये, हमें तो इस प्रकार की चीजें नसीब नहीं होती हैं, ये सुन्दर टाइल्स, सारे सुन्दर मकानात हमें ही रहने के लिए दे दिये जाएं, तुड़वाए क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो ५ दिन के लिए बने हैं। अब टूट गये होंगे। तो इस प्रकार लाखों रुपये का वेस्टेज किया जाता है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि दो-चार फोरिनर्स जा रहे थे, सिविलियन ड्रेस में जा रहे थे आपस में बातें करते हुए, उनमें से एक फोरिनर ने दूसरे फोरिनर से कहा, "Do you think there is any question of emergency ?"

(श्री निरंजननाथ आचार्य की ओर इंगित करते हुए) क्या फरमा रहे हैं आप?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : Do you think there is any question of emergency ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कहने का आशय यह है कि क्या ऐसी इस देश के अन्दर संकटकालीन स्थिति की कोई भी भावना, कोई भी कल्पना इन बातों को देख कर लगा सकता है ?

जब दूसरे मुल्कों के आदमी यहां आवें, हमारे यहां इस प्रकार स्थिति को देखें और देख कर इस प्रकार के रिमार्क्स हम पर कसें, मैं आपकी कहूं, आप लोगों में से कोई होता तो, क्योंकि आप लोग सुनने के आदी हो गये हैं, एक कान से सुनकर

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
दूसरे कान से निकाल देते हैं, आपको शर्म तक नहीं आती, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं बहुत शर्मिन्दा हुआ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : फोरिनर्स कौन थे, आपके दोस्त पाकिस्तानी तो नहीं थे ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप साथ होते तो आप भी सुन लेते, आप पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं, कभी कभी आप लोगों के पास बैठने का इत्तिफाक हो जाता है आप उनमें से हैं। एक ने कहा, "हम सब से बड़े"; दूसरे ने कहा "हम सब से नकटे, कोई ढोल बजाता रहे कोई परवाह नहीं।" एक ऊंट एक माली के खेत में जबरन घुस गया और जबरदस्ती उसके हरे भरे खेत को खाने लगा। माली पीपा बजा बजा कर ऊंट से कहने लगा, अरे यह मेरा खेत है निकल जा यहां से, क्यों इसे खाता है ? तो ऊंट ने सुना ही नहीं, वह खेत को खाता ही रहा। माली फिर पीपा बजाता है तो ऊंट माली से कहता है, 'अरे मूर्ख ! इन पीपों का हम पर क्या असर होगा, हमारी कमर पर तो जुजूबें छूट चुके हैं'।

तो हमारी सीधी-सादी बात आप क्यों मानने लगे ?

आपको तो कोई गाली के ऊपर गाली दे देगा तो सुनने के आदी हो। आप तो उनमें से हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे पास समय का अभाव है। दो बातें कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष : कितने मिनट ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पांच मिनट। समय तो देते नहीं। जो समय मिलता है ५-७ मिनट वह भी इस तरह चला जाता है। मुझे सीखना पड़ेगा कि समय कैसे लिया जाय और लेने की मुझे आदत नहीं है। मुझे पांच मिनट तो बोलने दो।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात तो नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अनाज की समस्या के बारे में मैं आपके द्वारा इन मन्त्री महोदय तक, जो अन्नदाता हमारे बने हुए हैं जिनके आधार पर आज राजस्थान की जनता यह आशा लगाए बैठी है कि हमें कोई चीज मिलेगी, उनका ध्यान में अनाज के राशन की दुकानों की व्यवस्था की तरफ आकर्षित करता हूं। जो तरीका आपने अपना रखा है उससे बात अच्छी मान ली जाय, किसी विरोधी दल के सदस्य होने के कारण ही मुझे आलोचना करनी हो, इसलिए आपकी आलोचना करता हूं, यह बात नहीं है। लेकिन अनाज की दुकानों की व्यवस्था....

श्री मोतीलाल चौधरी : मन्त्रियों को छुट्टी दे रखी है क्या कि वे बाहर बैठते हैं, लेकिन यहां नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): विरोधी दल की ओर से ऐसा अच्छा वक्तव्य दिया जाय और मन्त्रीगण सुनते नहीं।

श्री अध्यक्ष : इस तरह आप समय समय पर उठाते रहेंगे तो वे जरूर आयेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर आपकी ऐसी भावना है तो बहुत अच्छी बात है। सुने तो सही, फिर काम करने की आदत भी पड़ जायगी। आपने दूकानों की व्यवस्था अच्छी नहीं कर रखी है। कहीं कहीं एक

Page No. 16

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

एक गली में दो दो दूकानें खोल रखी हैं, तो कहीं तीन तीन फर्लांग चार चार फर्लांग पर एक दूकान खोल रखी है। आप कहेंगे कि यह बात गलत है, मैं तो जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं ; उनसे राय मिलती है और उसके बाद सारी व्यवस्था करते हैं। आप सहयोग क्या लेते हैं ? अगर किसी को राशन कार्ड में आदमी बढाना है या दुरुस्ती करनी है या कोई और काम कराना है तो एम० एल० ए० की जरूरत है और कोई सवाल आता है तो एम०एल०ए० के अटेस्टेशन की जरूरत है और वह अटेस्टेशन काफी नहीं हो जाता है।

आपके सामने मैं एक इन्टरेस्टिंग किस्सा सुनाना चाहता हूं। हमारे पास जो भी आदमी आता है हम तो उसे ईमानदार ही समझते हैं, लेकिन संसार में सब आदमी ईमानदार होते हैं नहीं, हमारे पास कोई आकर स्टेटमेंट देता है कि मेरी बच्ची की शादी है, मुझे चीनी चाहिये, हम तो एटेस्ट कर देते हैं, फिर कोई व्यक्ति पकड़ा जाय, ब्लेक मार्केट में तो इनके अधिकारियों के मुकदमे चलते हैं एम० एल० ए० पर और वार्ड के मेम्बर पर जिन्होंने एटेस्ट कर दिया ? इन्वेसटीगेशन के लिए पुलिस आती है, पूछती है आपने गलत अटेस्टेशन कैसे कर दिया ? हम कहते हैं, भाई वह आया, उसने स्टेटमेंट दिया, हमने सर्टीफाई कर दिया। मैं कहता हूं कि अक़ल के दुश्मनों, चीनी तो एक आदमी खाए, हम ईमानदारी से जनता का काम करें और जब परेशानी का सवाल आए तो जनता के प्रतिनिधियों को परेशान करते हैं। आप देख लीजिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह ईमानदारी है कि शादी हो नहीं और आप सर्टीफाई कर दें ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : My dear brother, it is the intention which is the crime. Any act of a man cannot be said to be a crime. First read criminal law and then talk to me.

मैं इन दूकानों की व्यवस्था के सिलसिले में कह रहा था कि यदि वास्तव में आप राय लें कि किस हिस्से में कहां दूकानों की जरूरत है तो सही मायने में आपको सहयोग लेना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप एम० एल० ए० से ही लें, आप अपने वार्ड के मेम्बर से ही लें, गांव में आपके दल का जो पंच हो उससे लें, लेकिन जनता के खास खास आदमियों को लेकर और राय लेने के बाद यह व्यवस्था करें।

दूसरी बात यह है कि दूकानें आप खोल देते हैं; लेकिन दस दस दिन तक अनाज सप्लाई नहीं करते, बंद पड़ी रहती हैं, भीड़ लगी रहती है। बेचारे क्लकर्स हैं उनके ५-७ बच्चे हैं, ९ बजे का दफ्तर का टाइम है, उसको दफ्तर जाने की जरूरत होती है, बीबी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में लगी रहती है, उधर खाने के लिए अनाज नहीं होता, लाइन लगी रहती है। आप इन्कार कर देंगे, लेकिन आप वायदा करें जब कभी भी ऐसी हालत मैं देखूंगा आपको फोन करूंगा, आपसे समय लूंगा, उस समय पांच मिनट का समय आप निकाल दें तो फिर आप देखेंगे कि जो आप कहते हैं वह सही है या मैं कहता हूं वह सही

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

है। व्यवस्था करना या न करना आपके हाथ की बात है।

तीसरी बात है जो राशनिंग का सिस्टम है और उसके साथ में जो कन्ट्रोल का सिस्टम है चीनी का, वह मसला गंभीर है। हो सकता है कि इस मसले के बारे में आप यह कह दें कि इसका तो केन्द्रीय सरकार से संबंध है और राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं, लेकिन जब इस चीनी पर कन्ट्रोल नहीं था उस समय एक शिकायत आपकी तरफ बहुत आती थी और वह यह थी कि ब्लैक मार्केट बहुत होता जा रहा है, चीनी मिलती नही। ब्लैक मार्केट की कीमत के आंकड़े लगाइए, जिस समय बाजार में १२ आने या १३ आने किलो मिलती थी उस समय ब्लैक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा भाव तो सवा रुपया या डेढ़ रुपया किलो तक पहुँच गया। आज आप देखें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक रुपये ४० पैसे के हिसाब से आपने उसकी क्या व्यवस्था की। इस व्यवस्था से आपको सोचना चाहिए।

आप कर्मचारियों के बारे में भी विचार करें। इनके महंगाई भत्ते और दूसरे भत्तों के बारे में जो आप कहते हैं कि हमने इतने भत्ते बढ़ा दिये हैं, इनसे इन लोगों का जीवन-स्तर चल सकता है, लेकिन कोई फायदा नही हो रहा है। आप ईमानदारी से विचार करें और यह देखें कि पांच साल पहले तनख्वाह का क्या स्तर था और उस एक रुपए की पर्चेजिंग वेल्यू क्या थी, उसके बाद आप अन्दाजा लगाएं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है केवल एक शेर सुनाता हूं :

"हदें वह बांध रखी हैं हमारे हुक्मरानों ने, बिना मुजरिम बने पैगाम भी पहुंचा नहीं सकते।" पहले आप तक कोई बात कहें तो इल्जाम अपने ऊपर लें और तब सुनवाई हो। निर्दोष व्यक्ति की बात सुनिए और सुन कर काम करना न करना आपके हाथ की बात है।

अन्त में एक बात····

श्री अध्यक्ष : अब शेर के बाद बात थोड़े ही होती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बात मजेदार है, अध्यक्ष महोदय। हमारी लॉ कॉन्फरेन्स हुई थी। उसमें सौभाग्य की बात है कि हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी पधारे थे। लॉ मिनिस्टर साहब आये तो बिचारे वकीलों ने देखा कि अपने दुख-दर्द की बात उनको कह दें।

कही अपनी बातें खड़े होकर। कहा, अब तो हमारे ही बीच के एक व्यक्ति लॉ मिनिस्टर बन कर आ गये हैं, राजस्थान में हमारे कर्णधार बन कर आ गये हैं। अब हमारे दुःख-दर्दो का निराकरण मिल जावेगा अलादीन का चिराग जैसे जल जाता है और सब हो जाता है वैसे ही अब तो हमारे दुःख-दर्द इनके आ जाने से दूर हो जावेंगे।

अब जब जवाब देने खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होने कहा कि बैरिस्टर गधे होते हैं। तो आपके अभाव कैसे?

पूछा, आपको यह अनुभव कैसे हुआ कि बैरिस्टर गधे होते हैं? मेरी बीबी बैरिस्टर है।

यहां लॉ मिनिस्टर साहब नहीं हैं। मैं नहीं बता सकता कि आपकी बीबी बैरिस्टर है इसलिये बैरिस्टर सभी गधे होते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : बैरिस्टर के हस्बेण्ड होते हैं।

श्री दुर्गालाल बादवार : दूसरी बात जो उन्होंने कही, यह इन्फरेन्स तो आप निकालिये, दूसरी बात उन्होंने कही ; मैं भी वकील तो रह चुका हूं, पर सोचता हूं तुम्हें फायदा कैसे पहुँचाऊं। तुम्हारी कोई प्रोडक्टिव लेबर तो है नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक कहा है। है ही नहीं बैरिस्टर की प्रोडक्टिव लेबर।

श्री दुर्गालाल बादवार : अध्यक्ष महोदय, कानून की शिक्षा आपने भी प्राप्त की और कई आदमी वकालत करते करते, अनुभव हासिल करते करते बड़े आदमी बन बैठे हैं, मिनिस्टर के पद तक पहुँच गये है और वहां जाने के बाद उनके तौर-तरीके क्यों बदल जाते हैं ; उनको मैं कहता हूँ वकील की लेबर तो कई गुना प्रोडक्टिव होती है। आपने समझा ही नहीं। अक्ल के दुश्मनों ! वकील वह हस्ती है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने में इमदाद देता है। तो यह सबसे बड़ा पेशा है जिसके लिए आपको कुछ सोचना चाहिए।

पागल हाथी को जैसे अंकुश की जरूरत होती है वैसे तुम लोग जो सत्ता के नशे में मदांध हो गये हो पागल हाथी की तरह, तो तुम्हारे लिए हम अंकुश की तरह हैं। अगर अंकुश न हों तो हाथी तो पागल हाथी, तो मदांध हाथी तो सबको मार बैठे। वह कमबख्त नहीं सोचेगा कि यह मेरा महावत है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, बीबी है, बच्चे हैं। तुम तो अपने धर वालों का सत्यानाश करने लग जाओगे, अगर मदांध हाथी पर नियन्त्रण न रहा, तो। तो हम नियन्त्रण करते है ; हमारे लिये नहीं, परायों के लिए, आपके लिए। कहीं ऐसा मौका न आ जावे कि तुम अपनी सत्ता के नशे में इतने मदांध हो जाओ कि अपने पराये का मान ही भूल जाओ और अपने ही घर वालों का सत्यानाश करने चले जाओ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विचार करें और देखें, सोचें और सुन तो लें कम से कम और गैरत है तो थोड़ी इमदाद भी करने की चेष्टा करें। चूंकि इतना कष्ट लोग पा चुके हैं तो इसलिए धन्यवाद का तो सवाल ही कहां रहता है। आप तो मजबूरी में चाहते हैं—आने दे आशीष, पर जिनको सताया गया है, उनकी आत्मा दे रही है आशीष; तो मैं क्या आशीष दूं !

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : आपने किसको आज्ञा दी है, अध्यक्ष महोदय ? क्या आपने मुझे आज्ञा दी है ?

श्री अध्यक्ष : आज्ञा तो उनको दी है, पर आप बोल सकती है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : माननीय अध्यक्ष····

ये विरोधी बनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसका मैं समर्थन करती हूं।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत

उन्होंने यहां पधार कर भाषण दिया, हमारा मार्ग दर्शन किया, इसके लिए सदन उनका आभारी है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पिछले वर्ष राज्य के द्वारा क्या हुआ, उसका सिंहावलोकन किया और आगे होने वाले कार्यों की ओर संकेत दिया।

अध्यक्ष महोदय, अब सदन की बारी है कि वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सिंहावलोकन करे और राज्य द्वारा किये हुए कार्यों पर भी सिंहावलोकन की नजर से देखे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना इस महीने में समाप्त होने जा रही है। चौथी योजना को हाथ में हम ले रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने आगे आने वाले कार्यों की ओर जो संकेत किया उसे मैं किसी हालत में आशाजनक और संतोषजनक नहीं कह सकती।

उन्होंने चौथी योजना के लिए पहले वर्ष में जो राशि प्रदान की है वह है ३६.६६ करोड़। मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि यह राशि तीसरी योजना के पहले वर्ष में जो राशि दी गई थी उसके मुकाबले में कुछ कम है; जबकि हम उस नजर से देखते हैं कि पांच वर्षों में हमारे भाव कितने बढ़े हैं। अगर उस नजर से देखें तो पता चलेगा कि उस वर्ष से भी आधा-पौन के करीब पड़ जाता है।

जब हम अपनी योजनाओं को इतनी धीमी गति से चलावेंगे तो अपने राज्य का विकास कैसे कर सकेंगे? हमें आशा थी कि जिस तरह से हमारी परम्परायें थीं; एक के बाद दूसरी योजना में दुगुनी राशि आई थी, उस परम्परा के अनुसार पहली योजना में पांच हजार करोड़ रक्खा गया था, दूसरी योजना में दस हजार करोड़ रखा गया और तीसरी योजना में २१ हजार करोड़ रखा गया। इस तरह इस बार भी चालीस हजार करोड़ होना चाहिए था। नहीं तो तीस-पेंतीस हजार करोड़ से ऊपर तो रखा ही जावेगा, ऐसी हम आशा करके चल रहे थे। पर उससे घट कर आधी ही रख दी है।

हमें अपने अपने राज्य की बहबूदी के लिए गरीबी से लड़ना है, हमें अन्न का उत्पादन बढ़ाना है, उद्योगों का विस्तार करना है और एक नहीं, अनेकों प्रकार से प्रगति करनी है; अगर यही राशि प्रदान होती रही तो मैं समझती हूं कि हमारे लिए आशाजनक बात नजर नहीं आ रही है। जो स्थिति आज है वही रह पावेगी, इससे आगे नहीं बढ़ पावेंगे। इसके साथ-साथ पांच वर्ष, जो हमारे निकले, उस पर भी एक नजर डाल लेना चाहती हूं।

हमें यह देखना है, हमने ये योजनायें बनाई, उनमें जो टार्गेट, लक्ष्य रक्खे उनकी प्राप्ति हम कहां तक कर सके हैं? उन लक्ष्यों तक हम कहां किस सीमा तक पहुंच सके हैं; यह हमारे लिए और इस सदन के लिए सोचने की बात है।

इस दृष्टि से देखते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, एक शक्तिशाली पंचवर्षीय योजना हमने हाथ में ली। आज हमारे यहां खाद्यान्न उत्पादन को टोप प्रायोरिटी दी गई। पर आज हमारे लक्ष्य प्राप्ति की यह हालत है कि हम दुनियां

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

के हर मुल्क के पास हाथ पसार कर पहुंच रहे हैं। हमने यह लक्ष्य रखा था कि हम अपनी सारी शक्ति से अन्न का उत्पादन करेंगे। हमने १५ लाख टन अधिक अन्न उत्पादन करने का लक्ष्य रक्खा था। लेकिन हमें प्राप्त हुआ है केवल ११.३० लाख ही।

मन्त्री महोदय उसकी सफाई इस तरह से दे सकते हैं कि दो दो अकाल पड़ गये, इसलिए लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। अकाल पड़े हैं, मैं मानती हूँ, मालूम है हम सबको। पर फिर भी लक्ष्यों से हम बहुत दूर रह गए हैं। इसके अलावा जो हमने अन्न उत्पादन के जरिये निकाले थे, सिंचाई की व्यवस्था के जरिये सोचे थे, इस नजर से देखते हैं कि सिंचाई में फिर हमें कितनी सफलता मिली ? सिंचाई के लिए हमने दो योजनायें बनाईं। एक तो लघु सिंचाई योजना जिसमें तालाब, कुए और दूसरे छोटे-छोटे बान्ध निर्माण का लक्ष्य रक्खा था। इस लघु सिंचाई योजना का आपने लक्ष्य रक्खा था ७.८२ लाख एकड़ की सिंचाई का। पर अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ५.२९ लाख एकड़ की ही सिंचाई का लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। इसका मतलब होता है, ७५ प्रतिशत ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। क्या इसे आप सफलता समझेंगे जब कि हमारे किसी कुए को गहरा करने के लिए तालाब ट्यूब वैल खोदने के लिए और तालाबों को बनाने या पुराने तालाबों को ठीक करने के लिए काफी गुंजाइश थी। हजारों तालाब टूटे पड़े हैं। पर टोप प्रायोरिटी जिसको दी थी उसके पास नहीं पहुंच पाये हैं, ७५ प्रतिशत तक ही रह गये हैं।

अब आप मुलाहिजा कीजियेगा राजस्थान नहर योजना का। देश में बहबूदी लाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना हाथ में ले ली थी राजस्थान नहर। जिसके लिए स्वप्न देखा था कि सारा का सारा रेगिस्तान लहलहा उठेगा, चमन बन जावेगा और हमने यह टार्गेट किये थे कि पांच साल में १.२९ हजार एकड़ सिंचाई राजस्थान नहर से कर दी जावेगी, लेकिन हमने प्राप्त की है वह केवल ७० हजार है। इसका मतलब होता है ५५ प्रतिशत। लघु सिंचाई योजना में ७५ प्रतिशत तक पहुंचे हैं और राजस्थान नहर को लेकर हम आधे ही पहुंचे हैं जब कि स्थिति हमारी यह है कि दूसरे राज्यों में अनाज की इतनी कमी नहीं रहती है, हमारे राज्य में हर साल अकाल पड़ते हैं। होना तो यह चाहिए था कि टार्गेट से आगे पहुंच पाते, लेकिन टार्गेट से आगे न पहुंच कर आधे ही पहुंच पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक चौंका देने वाले आंकड़े हमारे पास हैं। हमारी जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के दो कारण हो सकते हैं; एक कृषि और दूसरा उद्योग। उद्योगों पर नजर डालें तो हम कृषि के मुकाबले में नीचे पाते हैं। यह इसलिए कि उद्योग आधारित हैं तो बिजली पर हैं। बिजली और पॉवर की क्या स्थिति है, यह सब ही जानते हैं। उद्योगों की बात जाने दीजिये, लेकिन हमारे जीवन में काम आने वाली बिजली जो रात-दिन खर्च करते हैं उसमें कटौती की जाती है और ज्यादा जलती है तो कनेक्शन काट देते हैं। जिस प्रकार खाद्य के अकाल से गुजर रहे हैं उससे भयंकर अकाल बिजली का है और उससे हमें गुजरना पड़ रहा है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

हमारे मंत्री मन्डल ने उद्योगों को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजना में टार्गेट बनाये थे, २७५ मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का। कितनी उत्पन्न की ? केवल ४८ मेगा-वाट। इसका मतलब होता है १८ प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर समस्या है। जो हमारी योजना बनाई गई है उसके १८ प्रतिशत तक नही पहुंच पाये, इससे ज्यादा क्या होता है अध्यक्ष महोदय, । हलाबोल !

श्री मथुरादास माथुर (योजनामंत्री) : घटाटोप।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जनता की वाणी बोलती हूं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, इससे इस नजर से देखें तो आशाजनक नहीं मानती। हमने आशा कि थी कि सतपुड़ा की बिजली मिलेगी। सन् ६५ में सतपुड़ा की बिजली पहुंचा देने का वादा किया था कि ग्राम जनता तक सन् ६५ में सतपुड़ा की बिजली पहुंचा देंगे। अब ६७ में पहुंचा देने को कहते हैं। हम कह नहीं सकते कि सन् ६७ तक भी पहुंच पायगी या नहीं। यही स्थिति राणा-प्रताप सागर की हो रही है। बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन पॉवर देने के दिन दूर होते चले जा रहे हैं।

योजना बनायें, हमें सोचना चाहिये, ६० परसेन्ट या उससे आगे तक पहुंच जाय; उससे आगे न पहुंच सकें तो कम से कम ६० परसेन्ट तक तो पहुंच जांय, कम से कम ७५ प्रतिशत तक तो पहुंच जायं; लेकिन टार्गेट का १८ प्रतिशत ही। यह एक भयंकर स्थिति है। हमारे मंत्रिमंडल और राज्य सरकार किस कारण से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सके, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। राशि मिली उसका पूरा युटिलाइजेशन नही किया है। किन कारणों से, आलस्य में रहे है या क्या कारण है, ये गलतियां हुई हैं।

पर-केपिटा इनकम में ६० के बाद ६४ तक तीन वर्षो में हम गिरे हैं। ६४ और ६५ में बढ़ी है केवल ७ प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, मुझे शंका होती है, आंकड़ों का जाल ऐसा दिया जाता है जिससे शंका होती है कि ७ प्रतिशत भी हमारी पर-केपिटा इनकम बढ़ी या नहीं। हमें इस विषय में शंका ही है।

हमें सोचना होगा कि ये जो समस्यायें हैं उनके लिये मंत्रिमंडल के पास क्या हल है ? उनको किस प्रकार पूरा किया जावेगा, मंत्रीजी से जरूर जवाब जानना चाहेंगे ?

इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमने अपने लक्ष्य को एक सीगे में जरूर प्राप्त किया है और उसके लिये राज्यपाल महोदय ने अतीव प्रसन्नता प्रकट की है और वह टार्गेट पूरे किये हैं अन्डों के उत्पादन में। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्रि-मंडल को और माननीय कृषि मंत्री को मुबारिकबाद देती हूं। अन्डे देने में वे कुशल हैं।

श्री मथुरादास माथुर : और ऐसे अन्डे जो मुर्गी पैदा नहीं करते।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : अंडे ऐसे जिनके बच्चे नहीं होते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके द्वारा मंत्रि मंडल को आगाह करना चाहती हूं, इस

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

अंडे देने की सफलता पर, इस फर्टीलिटी पर एनूकरेज होकर इसको इस बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर लगायें। आज हमारे सामने फैमिली प्लानिंग बहुत बड़ी समस्या के रूप में आता है, हालांकि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में खाद्य के बाद इसी को प्रायोरिटी दी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके आगे क्या किया जावेगा, उसकी ओर कोई संकेत नहीं किया है। चाहे जितनी योजना बनायें, हम बढ़ती हुई जन-संख्या को नियन्त्रित नहीं कर सके तो आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं होंगे। यदि पांच के लिये अन्न उत्पादन अधिक करते हैं तो दस खाने वाले उत्पन्न हो जाते हैं और दस के लिये करते हैं तो बीस हो जावेंगे। इसके लिए पूरी-पूरी व्यवस्था करनी होगी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा प्रचार हो रहा है वह केवल शहरों तक ही सीमित है और वह गांवों तक नहीं पहुंच पाया है। इसको ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुंचाना चाहिये। इसके साथ-साथ फैमिली प्लानिंग की चर्चा करते हैं तो उस प्रकार के मसले उभर कर आते हैं। ग्राम लोगों के सामने यह मसला आता है तो एक सवाल पैदा होता है। अगर शहरों तक ही महदूद रहें तो इन्टेलीजेन्शिया क्लास कम होती जावेगी और उस क्लास में बढोतरी हो जावेगी जो अशिक्षित हैं, गरीब हैं।

दूसरे विचार भी जनता के दिमाग में घर करते जा रहे हैं, उनके भ्रम का निवारण राज्य सरकार को करना पड़ेगा। कुछ जातियां ऐसी हैं जो धर्म और जाति के नाम पर इसको स्वीकार नहीं करतीं। रोमन कैथोलिक और मुसलमान जातियों के लिये खास तौर में पाया जाता है कि अगर इन जातियों ने इसको स्वीकार नहीं किया और यह हिन्दुओं पर ही किया गया तो आने वाले वर्षों में हिन्दू लोग कम हो जावेंगे। लोग तो यहां तक कहते हैं कि नियन्त्रण न कर उनके कम्पीटीशन में उतरना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर ऐसी बात हैं तो मंत्रि-मंडल को उन धर्म और मजहब के लोगों से परामर्श करना चाहिये. उन्हें कॉन्फिडेन्स में लाना चाहिये, उनका इस प्रकार का भ्रम दूर किया जाना चाहिए। जिससे ग्राम जातियों में जो भ्रम है उसको दूर किया जा सके।

इसको कैसे किया जाना चाहिये, इसके लिये सुझाव देना चाहूंगी कि करीब-करीब सब पंचायत समितियों में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स खोल चुके हैं। उनके तीन सैक्टर्स काम करते हैं। वहां पर सारे के सारे सब सैन्टर्स में ट्रेन्ड महिला कम्पाउन्डर्स को रख कर करें।

श्री मथुरादास माथुर : मिलती नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : बाहर से मंगवाइये।

श्री मथुरादास माथुर : बाहर से भी ट्रेन्ड नहीं मिलती हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : ग्रामीण औरतों को ट्रेनिंग दीजिये।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि मांडवा की पाल में फ्लोराइट

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

का प्रश्न विचाराधीन है। कब तक विचाराधीन रहेगा? यह आज तक विचार में नहीं आया। सन् ६४ की मई में रिपोर्ट पेश होकर मंत्रिमंडल के पास पहुंच गयी थी, उसके पास अब तक विचाराधीन है। ऐसी कमोडिटी है, जिस पर देश को विदेशी-मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इससे विदेशी-मुद्रा की बचत कर सकते हैं। स्टेट एन्टरप्राइज किस प्रकार काम कर रहा है समझ में नहीं आता।

प्लाना की खान के बारे में ओपन कास्ट के लिये सुनते थे कि थर्मल पॉवर स्टेशन लगेगा। मंत्री महोदय ने छाती ठोक कर बार-बार कहा था.....

श्री मथुरादास माथुर : छाती नहीं ठोकी थी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सर्वे करवा लेंगे। लेकिन अभी तक मामला वहीं का वहीं है। वही ढाक के तीन पात, बल्कि डेढ़ पात ही रह गया। जब बीकानेर स्टेट थी, जितने काम होते थे उसके मुकाबले में कुछ नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो सुनो। आप तो रहे ही नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट एन्टरप्राइज एक ऐसा साधन है जिससे नोन टैक्स रेवेन्यू पैदा होती है। हमारे कल्याणकारी राज्य के लिये यह बहुत आवश्यक है कि हम नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ावें और उससे लोगों की बहबूदी बढ़ा सकें। इससे बार बार जो कर लगाये जाते हैं, करों के बोझ से लोगों को दबाया जाता है, लेकिन नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

स्टेट एन्टरप्राइज़ एक पूरा का पूरा डिपार्टमेन्ट है. उसके अन्दर ईनु-मीनु तीन उद्योग हैं जो भी टूटे फूटे हैं। एक तो गंगानगर शूगर फैक्टरी है, दूसरा सोडियम सल्फेट डीडवाना का है, तीसरी धोलपुर की टूटी फूटी ग्लास फैक्टरी है; ये तीन उद्योग हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेट एन्टरप्राइज के मंत्री महोदय हैं जो चुस्त और मुस्तेदी के लिये मशहूर हैं, उनसे हम यह आशा करके चलते थे कि वे इन तीन उद्योगों को बढ़ाकर कम् से कम १३ तो करते.....

श्री मथुरादास माथुर : हम तीन-तेरह नहीं करते।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जो हमारे स्टेट एन्टरप्राइज़ की हालत है, जिस प्रकार से ये चलते हैं, उनको देखते हुए इस बारे में कुछ न कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। रेड टेपिज्म चलता है इसमें व्यवसायी नजर से कोई काम नहीं किया जाता। स्टेट एन्टरप्राइज़ के बारे में जनता में जो धारणा बनी है उससे लोगों के दिमाग में यह चीज घर कर गई है कि स्टेट एन्टरप्राइज सफलतापूर्वक नहीं चल सकते। इसके लिये यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी

"State enterprise thy name is inefficiency"

अगर जनता की धारणा इसी प्रकार की बनी रहती है तो स्टेट एन्टरप्राइज का क्या भविष्य होगा, यह आप भली-भांति जान सकते हैं। जब आप इकोनोमी को इसी बुनियाद पर चलाना चाहते हैं तो मैं माननीय

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप इसके बारे में विस्तारपूर्वक सदन में बतायें कि आप इस प्रकार की धारणा जो जनता में है उसको मिटाने के लिये क्या कह रहे हैं ? पलाना की खान के बारे में जो आपने आश्वासन दिया था उसके बारे में क्या हुआ ? यह भूमि रत्न-गर्भा है, इसमें नाना प्रकार के खनिज भरे हुए है, आप उनको अपने हाथ में क्यों नहीं लेते हैं ? इस बारे में अनेक प्रकार के काम किये जा सकते हैं। इस तरह से आप नोन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ा कर जनता पर जो कर लगे हुए हैं उसमें कमी कर सकते हैं। आपको जो बार बार जनता पर कर लगा कर उनको दबाना पड़ता है वह आप जब तक स्टेट एन्टरप्राइज पर पूरी तरह से काम नहीं करेंगे, यहां की गरीबी किसी हालत में दूर नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब कर जो लगाये जाते हैं उसके बारे में निवेदन करना चाहती हूं। किस अजीब ढंग से कर लगाये जाते हैं ! एक मामले में जिसको सरकार प्रोत्साहन देती है, जिसके लिये हजारों-लाखों रुपये खर्च करती है दूसरी ओर उसकी जड़ें काटने के लिये उसके ऊपर कर लगाते हैं, उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। हस्तकला उद्योगों पर कर लगाये गये हैं। एक तरफ़ तो एक कमिटी कायम कर रखी है जिसके चेयरमैन हमारे मुख्य मंत्री हैं, उस कमिटी का उद्देश्य यह है कि यहां की हस्तकला से निर्मित माल की निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाय, उसको प्रोत्साहन दिया जाय। लेकिन उस हस्तकला पर हमारी सरकार ने सैल्स टैक्स लगा दिया, उसके लगाने का मतलब यह हुआ कि हस्तकला उद्योग पर हथौड़े का प्रहार कर दिया गया। वह टैक्स किस प्रकार से लगाया गया है, उसके मैं थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगी।

हाथी दांत के ऊपर, हाथी दांत की बनी हुई चीजों के ऊपर पांच प्रतिशत कर लगाया गया है जब कि राजस्थान और केरल का कम्पीटिशन है, यू० पी० का कम्पीटीशन है। हाथीदांत केरल में विदेशों से आता है, उसकी खपत हिन्दुस्तान में होती है। यू० पी० के अन्दर इस पर सैल्स टैक्स नहीं, केरल में तीन परसेन्ट है और हमारे राजस्थान में ५ परसेन्ट है।

इसी प्रकार चन्दन राजस्थान में मैसूर से आता है। मैसूर सरकार अपने यहां के कारीगरों को आधी कीमत पर चन्दन देती है। हमारे यहां के कलाकार वहां जाकर चन्दन लाते हैं, उस पर मैसूर में जो कर लगता है वह देना पड़ता है। उस पर मैसूर सरकार तीन प्रतिशत कर लेती है। उस चन्दन को यहां लाते हैं। उस कच्चे माल के ऊपर राज्य सरकार का ६ प्रतिशत सैल्स टैक्स लगता है। उसके बाद चन्दन की चीजें बनने के बाद ६ परसेन्ट फिर देना पड़ता है; इसका मतलब यह हुआ कि १५ परसेन्ट सैल्स टैक्स यहां के कारीगरों को देना पड़ता है जब कि चन्दन मैसूर से लाना पड़ता है। इस तरह से हम यहां के कारीगरों को किस प्रकार प्रोत्साहन दे पायेंगे ! एक तरफ तो हम बाहर से मुद्रा कमाने की सोचते है, दूसरी तरफ हम यहां के कारीगरों के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। इस बारे में मैं कई बार कह चुकी हूं कि हमारी राज्य सरकार मैसूर सरकार राज्य स्तर पर बात करे कि वह हमारे यहां के कारीगरों के लिये कन्सेशन भाव पर

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

चन्दन देने की व्यवस्था करे और वहां से कोटा मँगवाकर कारीगरों को दिया जाय। इस प्रकार की सरकार व्यवस्था करे और जो यह सेल्स टेक्स इस पर लगाया गया है उसको बन्द किया जाय।

इसी तरह से हमारे यहां मुरादाबादी पीतल का सामान बनता है, उस पर सात प्रतिशत कर लगाया गया है। हमारा मुरादाबाद से कम्पीटिशन है, वहां पर केवल तीन प्रतिशत कर है। सरकार को अपने यहां भी इस तरह की नीति अपनानी चाहिये जिससे इस उद्योग को भी प्रोत्साहन मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही समाप्त कर रही हूं। हस्त-कला उद्योगों को यदि हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो यह जो सेल्स टेक्स लगा कर हमने इसको जो निष्प्राण कर दिया है वह सेल्स टेक्स हमें इस पर से हटाना पड़ेगा। इसके नहीं हटाने से कारीगरों पर भारी वजन पड़ रहा है; कला और कारीगरी नष्ट हो रही है, उद्योगों को नुकसान पहुँच रहा है; इससे हमारी संस्कृति की जो सुन्दर चीजें बनती थी वे बननी बन्द हो जायंगी।

इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय जो एन्टरप्राइजेज के हैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे सदन को बतायें कि आगामी पंचवर्षीय योजना में वे इसको किस प्रकार बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास इस बारे में क्या योजना है, वे अपने उत्तर में इस बारे में विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन बातों को रखा जो आने वाले समय के अन्दर राज्य सरकार को करनी हैं। उसके लिए जो वित्तीय व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में जो बजट रखेंगे उसको भी पास करने के लिए कहा गया है, उसके सम्बन्ध में जो कानून होंगे उनको पास करने के लिए सहायता दें, यह हमसे कहा गया है। उसके अलावा दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि समाजवादी समाज व्यवस्था कायम करने के लिए आप विचार-विनिमय करें और उस पर अपनी राय दें। तीसरी बात राज्य सरकार ने पिछले एक साल में जो जो काम किए हैं उससे क्या जनता को सुविधा-असुविधा मिली, उसके बारे में भी इसमें कहा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह है खाद्य और कृषि की। इस दृष्टिकोण से हम इस अभिभाषण को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है इस तृतीय योजना के अन्दर कितना काम हुआ है, उसका लेखा-जोखा दिया गया है, उस पर विचार किया गया है। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि जो कुछ आंकड़े इसमें दिए गए हैं, अब तक जो व्यवस्था की गई है वह कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत कम है। मैं आंकड़े के जाल में न फंसते हुए जो कुछ भी मेरा

(श्री मोतीलाल चौधरी)
इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण है वह मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की दृष्टि से हम क्या काम करना चाहते हैं, उसकी सही रूप से पॉलिसी हमारे सामने अब तक नहीं आयी है । इस समय मेरे ख्याल से खाद्य समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं, केवल इस प्रांत के लिए, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिए विकट समस्या है । ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान क्या फ़र्ज अदा कर सकता है, उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या विचार किया है । उसको राज्यपाल महोदय स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखते, आगे आने वाली खाद्य समस्या के हल के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण हमारी सरकार रखती है, उसका समाजवाद में क्या रूप होगा, इसका चित्रण राज्यपाल के अभिभाषण में होना चाहिए । मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट की जो नीति इस बारे में स्पष्ट होनी चाहिए वह नहीं हो पायी है । या तो इसमें कोआॅडिनेशन नहीं हो पा रहा है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या साधन आपके पास हैं, इसको बढ़ाने के लिए क्या रुकावटें हैं, इसके बारे में इस अभिभाषण में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर आज हम कृषि उत्पादन की बात करते हैं तो इसको हमें पशु-पालन के साथ भी जोड़ना पड़ेगा । यानी कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ जुड़ने वाली बात है । मैं पूछना चाहूंगा कि पशु-पालन के दृष्टिकोण से सरकार की क्या नीति है, और क्या उसका असर पड़ता है, इस पर सरकार ने विचार नहीं किया । बल्कि आज हम इन्तजार कर रहे थे कि यदि किसानों की कृषि साधनों में सब से पहिले किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह है पशुधन अर्थात् बैलों की जोड़ी । जब जोड़ी का प्रबन्ध हो जाता है तो उसके बाद में और चीजों की आवश्यकता होती है । इसके बाद जिन चीज़ों की जरूरत होती है वे हैं बीज और पानी । इन सब के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्रीजी को और प्लानिंग मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, उनको एक उदाहरण देना चाहूंगा । सौभाग्य से प्लानिंग मिनिस्टर साहब सहकारी मंत्री भी हैं । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कर्ज के बारे में भी उल्लेख किया, उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा । माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि कर्ज के अन्दर हमारी राजस्थान सरकार ने ६ करोड़ के करीब रुपया बांटा है । आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने पैसे से आप राजस्थान के अन्दर कितनी सी धरती की उन्नति करना चाहते हैं ? हमारे राजस्थान में केवल पशुधन ही ५० करोड़ का बिकता है । इसमें २५ करोड़ रुपया तो नागौर और बाड़मेर जिलों में से ही पशुधन बिकता है । उस पशु की जोड़ी की व्यवस्था, जो रुपया आप दे रहे हैं, उससे नहीं हो पाती तो फिर खेती की उन्नति और क्या करना चाहते हैं ?

बॉम्बे स्टेट कृषि उत्पादन में हमारे से कम है और जो कोआपरेटिव बैंक है उसके

(श्री मोतीलाल चौधरी)

लिए माननीय मन्त्री महोदय सुन लें, यहां पर कोआपरेटिव बैंक ने, खुद का फण्ड ४२ करोड़ है और उसके मुकाबिले में हमारी स्टेट का केवल ६ करोड़ रुपया ही है गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पास जो फण्ड है उसमें से बॉम्बे वालों को २।। अरब रुपया मिलता है और हमको ६ करोड़ ही मिलता है। कहां तो २।। अरब रुपया और कहां ६ करोड़ रुपया। पंचायत समितियों के द्वारा जो किसानों को कर्जा मिलता है उसका व्याज क्या है और को-ऑपरेटिव से देते हैं उसका व्याज क्या है ? मैं तो समझता हूं कि सहकारी साधनों से यदि किसानों को पैसा मिल जाय तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए जहां तक साधनों का सवाल है, बड़ी पूंजी का है, शोर्ट टर्म लोन है, लीज़ के लिए, खाद के लिए और दूसरे कामों के लिए लोन का सम्बन्ध है वह सहकारी बैंक्स से ही मिले तो ज्यादा अच्छा है। अभी एक रीफाइनेन्स कार्पोरेशन बना है, उससे हमारे यहां राजस्थान में एक कौड़ी भी नहीं आई है। या तो इसमें भारत सरकार की गलती है, वह राजस्थान को कुछ भी नहीं दे रही है या फिर इसमें राज्य सरकार की गलती है कि कुछ भी नहीं ले रही है। उससे अरबों रुपया मद्रास को, गुजरात को आंध्रप्रदेश को मिल गया है।

मैं आपको एक बात और बताऊं कि मुश्किल से कोटा में ३२ लाख की एक योजना थी वह भी मंजूर नहीं हुई है। तीन साल हो गये, पता नहीं यह स्कीम कहां रुकी पड़ी है ? आप रीफाइनेन्स कोर्पोरेशन के अध्यक्ष से मिलें कि आप क्यों नहीं देते हैं ? जब हम इत्तफाक से उससे मिले तो उसने यह कहा कि गवर्नमेन्ट की गारन्टी नहीं आई, अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। मेरे ख्याल में तो हमारे कृषि विभाग ने, सहकारी विभाग ने और फाइनेन्स विभाग ने इस रीफाइनेन्स की थ्योरी को पढ़ा भी नहीं होगा कि किस तरह से रुपया ला सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मुझे यों ही चलते चलते अभी अभी एक उदाहरण याद आ गया जो यहां देना चाहूंगा।

गवर्नमेन्ट-गारन्टी की बात क्योंकि आ गई, क्योंकि कृषि के लिए तो हमारी सरकार गारन्टी नहीं दे सकती है तो फिर दूसरी प्राइवेट कम्पनीज के लिए कैसे दे देती है ? एक प्राइवेट कम्पनी ही भीलवाड़ा की टेक्सटाइल मिल्स जो कि बिल्कुल प्राइवेट कम्पनी है वह डूब रही थी और उसको गवर्नमेन्ट से लोन लेना पड़ा। इसमें हमारे शेयर्स भी नहीं हैं और यह बिल्कुल प्राइवेट पार्टी है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए सेन्ट परसेन्ट गारन्टी गवर्नमेंट ने दी है लोन के बारे में। जहां तक मुझे याद आता है मैं भीलवाड़ा में गया तो वह फेक्टरी जो कर्जे में थी वह आज प्रोफिट में रन कर रही है। उसको सरकार पैसा दे रही है, लोन दिलवा रही है और सेन्ट परसेन्ट दे रही है। हम सब कुछ दें और फायदा उसको मिले !

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज खाद्य की समस्या हिन्दुस्तान में है। मैं महसूस करता हूं कि शायद हमारी गवर्नमेन्ट की तरफ से गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया पर जोर नहीं दिया गया होगा या फिर भारत सरकार इस समस्या

(श्री मोतीलाल चौधरी)

को हल नहीं करना चाहती है। मैं हमारे मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान चूंकि अभी अभी आ गये हैं राजस्थान केनाल की ओर दिलाना चाहता हूं। इस राजस्थान केनाल से करीब ३६ लाख एकड़ भूमि सिंचित होने वाली है और इस ३६ लाख एकड़ भूमि में यदि एक एक एकड़ के अन्दर जैसा कि हमारे नाथूरामजी कहते हैं कि हाई ब्रीड बाजरी १०० मन तक होगी, तो आप अन्दाजा लगाइये कि कितना धान हो सकता है। लेकिन उसको भी छोड़ दें ! एक टन भी यदि एकड़ में एवरेज मान लिया जाय तो ३६ लाख टन सिर्फ अकेला राजस्थान केनाल का एरिया दे सकता है। लेकिन उसको पूरा करने के लिये हम जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस स्पीड से हम चल रहें हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। यदि हम पूरे परिश्रम से काम करें तो एक साल में यह राजस्थान केनाल की स्कीम तैयार हो सकती है और हमारी अन्न की समस्या हल हो सकती है। वहां पर लिफ्ट् इरिगेशन की स्कीम का पता नहीं कहां पड़ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो खाद समस्या को मिटाने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि यह गंगानगर का इलाका ऐसा है कि यहां न तो पूंजीपति की व्यवस्था और न एक्सप्लोइटेशन हुआ है। यहां पर समाजवाद का निर्माण कर दिया जाये और अकेली राजस्थान केनाल आपको इतना धान देगी कि जिसे सब देखने लग जायेंगे। आप फिर देखें कि किस तरह का समाजवाद रहेगा, कैसी इकोनोमिक हालत रहेगी, कोआॅपरेटिव सेक्टर क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर क्या करेगा और वहां पर नॉन-टैक्स क्या होगा और टैक्स क्या होगा, वहां पर इनकम कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी। कौनसा रूप आपका है ? थ्योरी के दृष्टिकोण से हम कहते हैं, सही रूप से राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर सच्चा समाजवाद हो सकता है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जोर लगायें और भारत सरकार से बैठ कर बात करें। भारत सरकार का स्वयं का समाजवाद का रूप क्या है, राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर उसको इम्प्लीमेन्ट कर सकते हैं, बीजारोपण कर सकते हैं। अगर आपने वहां पर मण्डी कानून लगा दिया या कोआॅपरेटिव सेक्टर वहां पर काम करे तो वह काज कर सकेगा, न कल कर सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस इलाके के अन्दर जो भी प्रोडक्शन की चीजें होंगी, जो भी ५ मूल बातें हैं; कृषि-पालन, पशु पालन, वन और माइनिंग-तो चार चीजें मुख्य हैं ही, लेकिन इसके साथ में पांचवीं बात है उद्योग की। इन चीजों को पब्लिक सेक्टर में, कोआॅपरेटिव सेक्टर में और बैलेंस करने के लिये छोटी मोटी प्राइवेट सेक्टर में ले लें। अगर आप ही प्राइवेट सेक्टर बन गये, मण्डी लेण्ड-सेल हो गई, दूकानें बेची गई, उसके बाद में क्या होगा कि आपने कोआॅपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज खोल ली, फिर क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री खोलेंगे तो आप नहीं कर पायेंगे : इसलिए राजस्थान केनाल के साथ साथ मैं जो निवेदन करूंगा वह यह है कि भारत सरकार से धन लेने के लिए आप कोशिश करें और उसको जल्दी से जल्दी लायें और वार फुटिंग के ऊपर काम करें क्योंकि ३६ लाख टन आपको राजस्थान केनाल से मिल सकता

(श्री मोतीलाल चौधरी)
है। उस एरिया के अन्दर आप पूरा कौर्डन कीजिए, जिसको आप समाज का नया रूप देने के लिए बता चुके हैं।

(१०.०० म. पू.)

हिन्दुस्तान के लिये राजस्थान सरकार स्वयं एक नमूना रख सकती है। इसके लिये न हमको इज़राइल जाने की जरूरत है, न डेनमार्क जाने की जरूरत है। हम राजस्थान के अन्दर ही डेनमार्क और इज़राइल का और सूडान का नमूना पेश कर सकते हैं। इसके लिये हमें कोई खास कार्य करने की जरूरत नहीं है, यह सारा कार्य एक साल में हो सकता है। एक साल में पूरा करने के लिये हमें पैसे की जरूरत होगी और इसके लिये हमें भारत सरकार से पैसे की मांग करनी चाहिये और पैसे लेकर इसकी एक ऑथोरिटी बनानी चाहिये।

इसी मौके पर मैं आपका ध्यान जो दुनिया की कैपिटलिस्ट कंट्री है, यू. एस. ए. है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उस कैपिटलिस्ट कंट्री ने जिस तरह से वहां की टीनेंट्स वेली का विकास किया है वह देखने काबिल है। उस कैपिटलिस्ट गवर्नमेन्ट ने उसे बनाया है और उसकी एक ऑथोरिटी बना कर उसको पूरा किया है। उस एरिया में जिस तरिके से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसका जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वह सारा का सारा उस कैपिटलिस्ट कंट्री ने पूरा किया है और मुझे यह कहते हुये खुशी होती है कि यू. एस. ए. के अन्दर इस टीनेंट्स वेली की हालत केलिफोर्निया के बाद सबसे अच्छी हालत है। उस एरिया के अन्दर उस कैपिटलिस्ट गवर्नमेन्ट ने वहां समाजवाद का रूप सामने रखा है। वहां हम देखते हैं कि एक्सप्लोइटेशन कम है। इसी दृष्टिकोण से हमें भी सही रूप में चलना चाहिये और उसके साथ हमें अपनी थिंकिंग से भी चलना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमें समाजवादी समाज की रचना करनी है, हमारे राज्य का विकास करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारी हर एक समस्या का समाधान करना है तो हमें इसके लिए एक ऑथोरिटी बनानी चाहिये, जो ये सारे काम पूरे करे।

इसके साथ में मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से कि उसके और पंजाब गवर्नमेंट के क्या सम्बन्ध हैं? हमें अफसोस है कि एक ओर भारतवर्ष के अन्दर अन्न की समस्या है, जिसे हम हल करना चाहते हैं और उस अन्न की समस्या को हल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि सीपेज की व्यवस्था हो, लेकिन दूसरी तरफ जहां पानी घणा पड़ा है उस पानी को लिफ्ट देकर किसी तरह से चूरू, गंगानगर में काम में लाया जा सकता है। गंगानगर में वाटर लेवल की वजह से फ्लड आता है और इससे लाखों रुपयों का नुकसान हर साल होता है, लेकिन दूसरी तरफ गंगानगर जिले में आधा खाली पड़ा है जहां पानी का उपयोग हो सकता है। इसके बाद में चूरू पड़ता है, नागौर पड़ता है, जहां पानी का उपयोग हो सकता है। तो एक तरफ तो खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ पानी की वजह से फ्लड आता है। जिस जमाने के अन्दर समुद्र का पानी खेती के लिये उपयोग में

(श्री मोतीलाल चौधरी)

लाने की बात कर रहे हैं, जिस जमाने में चन्द्रमा में बसने की बात कर रहे हैं उस युग के अन्दर अगर एक हिस्से के पानी को दूसरे हिस्से में काम में नहीं ला सकते तो फिर किस जमाने में ला सकेंगे ? इसके लिए अगर हमें साइंटिस्ट्स को बाहर से बुलाने की जरूरत हो, अगर बाहर से इंजीनियर्स को लाने की जरूरत हो तो उन्हें लाना चाहिए। आपको इसके लिए कई जगह से सहायता मिल सकती है, यू. एस. ए. का फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन आपको मदद कर सकता है, वहां से आपको मुफ्त में मदद मिल सकती है, इसके लिये आपको पंजाब गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। अगर पंजाब गवर्नमेंट पानी देने से इन्कार करे तो हमें इसके लिए भारत सरकार से अप्रोच करना चाहिए, भारत सरकार से लड़ना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे राज्य के जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं वे भारत सरकार को कन्विन्स नहीं कर पाते हैं कि पंजाब सरकार के पास जो फालतू पानी है वह हमको मिलना चाहिए। हमारी स्कीम को उन्हें भारत सरकार के सामने रखना चाहिए। इसी तरह की स्कीम चम्बल की है। चम्बल में भी सीपेज एरिया हो सकता है। चम्बल का जितना एरिया है, कमाण्डेड है, वहां पर अगर उस पानी का तीस फुट लेवल पर लिफ्ट इरिगेशन की जाय तो लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण और देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे दिमाग में अभी तक फूड प्रोब्लम के बारे में स्थिति साफ नहीं है, इसका उदाहरण हमारा स्वयं का व्यवहार है। राजस्थान में फूड की प्रोब्लम है, हिन्दुस्तान के अन्दर फूड की प्रोब्लम है, लेकिन हमारे बाग-बगीचे अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। हमारे बागों में अभी भी फूल लग रहे हैं, अभी भी दूब लग रही है; यह ठीक है कि हमारे कुछ मंत्री महोदयों के घरों में जरूर फूड के बीज लगाये हैं, वेजिटेबल्स के पेड़ लगाये हैं; लेकिन जहां पर दूब लगी हुई है, जहां फूल लगे हुये हैं, वहां पर वे वैसे ही लगे हुए हैं। हमने भी अपनी हाउस कमेटी को निवेदन किया था कि हमारे बंगलों पर हम दूब नहीं चाहते, हम फूल नहीं चाहते, उस जगह पर सारे वेजिटेबल्स के बीज लगा दो। जो पैसा आप इन दूब और फूलों पर खर्च करते है जो इनके मेंटी-नेंस पर खर्च करते हैं, जो माली पर खर्च करते हैं उसकी जगह आप वेजिटेबल्स के बीज लगा दीजिए, हम उतना पैसा दे देंगे और आप माली की व्यवस्था कर दीजिये जो इनको लगा दे। लेकिन मुझे यह बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि मेरे निवेदन करने के बाद भी, हाउस कमेटी के मेम्बरों से बात करने के बाद भी, यहां की जो पी. डब्ल्यू. डी. के लोग हैं उनसे बात करने के बाद भी कोई आदमी की व्यवस्था नहीं की गई, कोई बीज की व्यवस्था नहीं की गई............

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): पी. डब्ल्यू. डी. के पास बीज कहां है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं अभी अर्ज करता हूं आप सुनिए।

जब आप फूल लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, दूब पर पैसा खर्च कर सकते हैं,

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उसी पैसे से वेजिटेबल्स का बीज आ सकता है। लेकिन आप जिस प्रकार से ये ओर्नामेंटल चीजें मेन्टेन रखना चाहते हैं उससे पता चलता है कि आपके दिमाग में फूड प्रोब्लम के प्रति कितनी जागरूकता है। आप कहते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. के पास बीज कहां है तो बीज तो सरकार के पास है, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बीज की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम अन्न की समस्या को गम्भीरता से ले ही नहीं पाये हैं। जयपुर के अन्दर आप रामनिवास गार्डन को ही ले लीजिये। वहां जिस प्रकार का बाग आपने लगा रखा है और जिस तरह की दूब लगा रखी है, उसमें जितना पैसा आप खर्च करते हैं, जितना पानी उसमें लगाते हैं उसमें कितना अन्न और वेजिटेबल पैदा किये जा सकते हैं। कौन दूब को देखने जाता है, कौन फूलों को देखने जाता है? जहां रोटी नहीं मिल रही है, गेहूं का फेमिन पड़ रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है उस समय कौन देखेगा इन फूलों और इन दूबों को? मैं समझता हूं कि इस चीज का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में कोई भी माननीय सदस्य जो विरोध में हैं वे भी इसका विरोध करने वाले नहीं हैं। ऐसे समय में कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से ओर्नामेंटल गार्डन रखे जावें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जब ग्रो मोर फूड का कम्पेन शुरू हुआ था तो मुझे याद है, जब हम स्कूल और कालेज में पढ़ते थे तो हमें याद है कि जितने भी खेलने के मैदान थे उनमें आलू बोये गये थे, गोभी बोई गई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जैसी अन्न की समस्या हमारे सामने कभी नहीं आई, लेकिन इस ओर हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए हमने क्या किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इसके साथ साथ एक यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी पानी की समस्या है उसमें भी हम एकरूपता ला नहीं पाए हैं। इसका उदाहरण आपका अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड है। पिछले अधिवेशन में भी कहा गया था कि इसके द्वारा २१० ट्यूब वैल्स लगाए जायेंगे; अब तक कितने खोले गये, क्या उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या पानी की स्थिति है, राजस्थान में अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने कितना काम किया है, इसकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। मैं मेरे जिले की बात कह रहा था, कलेक्टर के पास जाते हैं तो उनको मालूम नहीं है कि हमारे जिले में कितना कार्य होना है। तो इस दृष्टि से जो २५० ट्यूब वैल्स लगने हैं। वे ही सफिशियेंट हैं या और अधिक लगने हैं। जितने ट्यूब वैल्स लगे हैं उनमें कितना एक्सप्लोर हुआ है और कितना पानी मिल सकता है, कितनी इकोनोमी पर इसका असर हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो तो इसमें प्राइवेट एजेंसीज भी मदद कर सकती हैं। प्राइवेट एजेंसीज भी इसमें सहयोग दे सकती हैं, वे भी पैसा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से इस दृष्टिकोण से इस पर कार्य किया जाना चाहिए और फिर ट्यूब वैल भी इरिगेशन का पार्ट हो सकता है। लेकिन आज भी कुओं को खोदने

(श्री मोतीलाल चौधरी)

के लिए लोन दिया जाता है. जितना रिक्वा-यरमेंट होता है उसका आधा लोन दिया जाता है, लेकिन इसी काम के लिये दूसरी स्टेट्स के अन्दर स्टाइपेंड दिया जाता है। मैसूर, आंध्र आदि जितनी स्टेट्स और हिन्दुस्तान को जो छः दूसरी और स्टेट्स हैं; गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर आदि जहां पर भी जो कोई कुआ खोदता है तो उसको २५ प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यभारत हमारे पड़ौस का राज्य है जो हम से भी पिछड़ा हुआ है, जिसका इलाका हमसे भी अधिक गरीब है, वहां पर भी जब कोई कुआ खोदता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता; इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यहां सिम्पली प्रोडक्शन बढ़ाने की भावना से है। उनसे टैक्स लेना आर्थिक दृष्टिकोण से और नैतिक दृष्टिकोण से भी गलत होता है। काश्तकार चोघोड़ी देता है, वह अपने कूए खुद लोन लेकर बनाता है। नफे-नुकसान का भागीदार वह खुद होता है, फिर सरकार उस पर क्यों टैक्स लगाए ?

राजस्थान सरकार ने और मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा था कि हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो यदि पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो काश्तकारों को इसके लिये इनसेन्टिव दीजिए। रेगिस्तानी इलाके में आप कूए खोदने के लिये उनको सेन्ट परसेन्ट दीजिये। आप उनको ६ हजार रुपये का लोन देते हैं। आज राजस्थान के रेगिस्तानी जिले; नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, झुन्झुनू, बीकानेर आदि हैं वहां पर ६०००) रुपयों में कुए नहीं बन सकते। आप उनको हाफ देते हैं, यह तो एक खिलौना है। जिस तरह से प्लास्टिक का खिलौना देते हैं बच्चों को और कहते हैं खेती कर लो बच्चे उससे खेलते हैं, कहते हैं, गेहूं पैदा कर दिया। गवर्नमेंट इतने रुपयों में कुआ खोद कर तो दिखावे नागोर जिले में और दूसरे रेगिस्तानी जिलों में। ६०००) में कहीं कुआ बनता है? लेकिन लोन ६ हजार का मिलता है और वह भी पूरा नहीं मिलता। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश में कुओं के लिए एक चौथाई सब्सिडी मिलती है। अपने को भी इतनी सब्सिडी देनी चाहिए कम से कम रेगिस्तानी इलाके में और मैं तो यह कहूंगा कि पूरे राजस्थान में जो काश्तकार सरकार को यह गारन्टी दे कि वह खाली अन्न ही पैदा करेगा उनकी लैंड रेवेन्यू आप माफ करिये। इससे उपज अधिक बढ़ेगी और आपको फोरिन एक्सचेन्ज कितना बचेगा इसका भी अनुमान लगाइये। सारे राजस्थान में आप लैंड रेवेन्यू माफ करते हैं तो ६ करोड़ रुपये की लैंड रेवेन्यू माफ करते हैं; आप भले ही उन काश्तकार की लैंड रेवेन्यू माफ मत करिये; जो कपास, गन्ना, तम्बाकू आदि पैदा करते हैं, लेकिन जो अनाज पैदा करते हैं; गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ आदि पैदा करते हैं, उनकी लैंड रेवेन्यू माफ करेंगे तो ६ करोड़ रुपये से अधिक का फिगर नहीं जायगा। हिन्दुस्तान में दुनिया में सबसे अधिक लैंड रेवेन्यू और कोस्ट ऑफ रियलाइजेशन है। सेल्स टैक्स की कोस्ट आफ रियलाइजेशन ४ परसेन्ट है, इन्कम टैक्स की दो परसेन्ट है, लेकिन लैंड रेवेन्यू की कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन १९ परसेन्ट है। आप जितने रुपये लैंड रेवेन्यू के रूप में ले रहे हैं उसका पांचवा हिस्सा कलेक्शन पर खर्च करते हैं। दुनिया में कई देशों में लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाता। मैं सोश्यलिस्टिक कन्ट्रीज की बात

(श्री मोतीलाल चौधरी)

नहीं करता जहां पर लैंड रैवेन्यू नहीं लगता है, लेकिन मैं केप्टिलिस्ट कंट्रीज का उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका में लैंड रैवेन्यू नहीं लिया जाता, इन्कम टैक्स लिया जाता है। जो बड़े पैसे वाले हैं वे इन्कम टैक्स देते हैं। इसलिए मैं सुखाड़िया जी साहब से निवेदन करूंगा कि इस दृष्टि-कोण से हमको भी फैसला करना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, जिसका कृषि से संबंध है। खेती के लिये बैलों और पशुओं की बहुत जरूरत रहती है। पशुओं के लिये सरकार ने बहुत सहयोग दिया। पशुओं के मेले लगा कर बेचने में सहयोग दिया, लेकिन ब्रीडिंग के लिये अच्छे बुलोक्स की बहुत जरूरत होती है। आप नीदर-लैंड्स में देख लीजिये, होलेन्ड को देख लीजिये, ये दोनों देश एग्रीकल्चर और पशुपालन के कारण बहुत आगे बढ़े हैं। इनको ७० परसैन्ट इन्कम पशुओं से है। विरोधी पक्ष के नेता ने अमेरिका का हवाला दिया और कहा कि वहां पर बड़े बड़े फार्म्स हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग होता है, इसके बारे में उन्होंने आंकड़े दिये। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो आंकड़े दिये वे गलत दिये। गलत आंकड़े देकर हाउस को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका में बड़े बड़े फार्म्स हैं; इस कारण बढ़ा है, यह गलत है। मैं उनको खुद की किताबों का हवाला देकर कह सकता हूं। आप हाउस को भ्रम में डालने के दृष्टिकोण से बात करते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप अमेरिकन लोगों को बात करते हैं, बार बार वहां की खेती की बात करते हैं, वह गलत है; अमेरिका के खुद के एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की किताब है उसको कोट करके बताना चाहता हूं कि वहां पर कितना परसैन्ट छोटे खेतों से आता है और कितने काश्तकार बड़े बड़े खेत लेकर बैठे हैं। वहां पर केवल ४ परसैन्ट बड़े खेत हैं। मैंने आपको उस समय भी टोका था, आपने कहां से लेकर ये आंकड़े दिये हैं क्योंकि जो बात कही गई है वह गलत है।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दो आइटम्स पेश करूंगा। यह किताब "Family Policy well as economy in America," के बारे में है। इसमें आंकड़े दिये हैं कि कितने लार्ज स्केल फार्म्स वहां पर हैं। इसके अनुसार केवल ४.३ परसैन्ट लार्ज स्केल हैं और ९५.७ परसैन्ट फेमिली फार्म्स और स्माल फार्म्स हैं। फेमिली फार्म्स की इसमें डेफिनिशन दी गई है। इसमें दिया है परसेन्टेज ऑफ लैंड एकरेज अंडर लार्ज स्केल फार्म्स २६ परसैन्ट है, इसके बाद फेमिली स्केल फार्म्स ६६ परसैन्ट है और स्माल फार्म्स १६ परसैन्ट हैं।

अब रही एकरेज की बात....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बता कर क्या साबित करना चाहते हैं?

श्री मोतीलाल चौधरी : यह जो चेन्ज्ड इकोनोमी है उसमें बड़े बड़े फार्मस और मैकेनिकल फार्मिंग की बात कही गई थी, वह सच नहीं है। अमेरिका में भी छोटे छोटे फार्म्स पर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन होता है। कल विरोधी दल के नेता ने बड़े फार्म्स और मैकेनिकल फार्म्स की बात कही थी। सरकार पर विरोधी दल के नेता का प्रभाव होता है। उनकी बात से कहीं भ्रम न पैदा हो जाय। अब मैं एकरेज के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जाने दें, और कभी बता देना।

श्री मोतीलाल चौधरी : एकरेज का जहां तक सवाल है, अमेरिका में छोटे फार्म्स के अन्तर्गत टोटल लैंड का ५० परसेन्ट है। वहां के ५० परसेन्ट फार्म्स १० एकड़ से लेकर ५० एकड़ से नीचे के हैं। लार्ज स्केल फार्म्स वहां पर केवल ४ परसेन्ट हैं जिनका एकरेज १००० एकड़ से ऊपर है। फैमिली फार्म्स ५० एकड़ से लेकर १५० एकड़ तक के हैं। १०० एकड़ वाले फार्म्स टोटल लैंड का ४० परसेन्ट से अधिक नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सवाल है हमें जापानियों का मेथड अपनाना चाहिये उन्होंने क्या क्या मेथड्स अपनाये हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी से और कृषि मंत्रीजी से कि आप जल्दी ही एक बोर्ड बैठावें। यह बात चल रही है कि मैकेनिकल फार्म बिग होंगे छोटे नहीं होंगे, इसका निर्णय करना चाहिये। बिग से क्या होता है, छोटे से क्या होगा, इन्टेन्सिव कल्टीवेशन क्या होना है, इस सब पर विचार करने की बात है। कमी इस बात की है कि We have not invested any money for the men.

जो काश्तकार खेती करने वाले हैं उनके लिये कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश नहीं की, इस बात की कोशिश नहीं की कि वे प्रोडक्शन कैसे करें, कैसे बीज और कैसे खाद काम में लावें, किस तरह से खेती करें। खेती करने वालों में से बहुत कम ऐसे होंगे जो बी. एस. सी. एग्रीकल्चर होंगे; उन्होंने इसका उपयोग ले लिया होगा लेकिन बाकी लोगों को मालूम नहीं है कि नये नये तरीके खेती के कैसे हैं। जापानी मेथड और स्विट्जरलैंड के मैथड्स से इन आदमियों को तैयार करना चाहिये जिससे उनको मालूम हो सके कि कहां से फर्टिलाइजर लें, क्या चीज किस काम में आती है, कहां से लोन लें, कहां से दूसरी चीजें लें।

मैं आपको एक-दो बातें और कह कर समाप्त करूंगा। कोआॅपरेटिव के बारे में इतना कहूंगा कि कोआॅपरेटिव सैक्टर में फर्टिलाइजर प्लान्ट्स लगाने के लिये अमेरिकन कोआपरेटर्स की तरफ से भारत सरकार के सामने आॅफर आया है। कोआॅपरेटिव सैक्टर में कोई फर्टिलाइजर लगावे तो वे लोग अपना कोलोबेरेशन देना चाहते हैं; टैक्निकल एज वेल एज फाइनेन्शियल एड देकर हम भी राजस्थान में कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट के अन्तर्गत कोशिश करते हैं कि राजस्थान को यहसहायता मले···लेकिन वह खास तौर पर डिपेन्ड करता है राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर, नाइट्रोजन फेक्ट्री जो लगेगी, उसकी और सोडियम सल्फेट की उसमें करोड़ों रुपयों की जरूरत होगी। इसको पब्लिक सेक्टर में लगाने की बात चली थी हनुमानगढ़ में, लेकिन न जाने किन कारणों से वह रोक दी गई-मुझे उसका मालूम नहीं। लेकिन अभी ऐसा समाचार मुझे सुनने को मिला कि प्राइवेट सेक्टर में डी. सी. एम. को इसका लाइसेन्स मिलने वाला है कि वह इसे बना ले। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे प्राइवेट सेक्टर में न देकर पब्लिक सेक्टर में करना चाहिए और इसमें दूसरे कन्ट्रीज का कोलो-बोरेशन लेना चाहिए; जैसे अमरीका से कोलोबोरेशन मिल सकता है। यदि वह नहीं

(श्री मोतीलाल चौधरी)

करें तो इसके लिए कोआॅपरेटिव सेक्टर ने आॅफर दिया है, उसके लिए यू. पी., गुजरात और राजस्थान कोशिश कर रहे हैं, उसमें यदि सरकार सहयोग करे तो मैं समझता हूं कि वह फेक्ट्री कोआॅपरेटिव सेक्टर को मिल सकती है और उसमें ४९ पर्सेन्ट फाइनेंशियल एड दूसरी कोपरेटिव्ज से मिल सकती है।

इसके साथ ही जो मुझे निवेदन करना था वह यह था कि आप खेती में उत्पादन बढ़ाने के साथ ही विकास के दृष्टिकोण से............

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी पशुपालन बाकी है, एक मिनट उस पर कह दूं।

तो मैंने निवेदन किया कि फोर्थ प्लान के प्रारम्भ में इस बात पर जोर दिया है कि एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के दृष्टिकोण से काम करेंगे। वैसे आप इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं; एक बात तो यह है कि पशु-पालन को प्रोत्साहन देने के लिए और बढ़ाने के लिए, जिस तरह एग्रीकल्चर के लिए आपने पैकेज प्रोग्राम को बनाया है और पैकेज प्रोग्राम को बना कर पाली जिले को एग्रीकल्चर पैकेज प्रोग्राम में लिया है, उसी प्रकार पशु-पालन को ठीक ढंग से चलाने के लिए नागोर, बाड़मेर, बीकानेर और जालौर जिलों को, पशु-पालन को ठीक ढंग से चलाने के दृष्टिकोण से, पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लें तो निश्चित तौर से पशुओं की ब्रीड बढ़ेगी, पशुओं का विकास होगा और इसके मुकाबले में फोरिन में भी आपके पशु ज्यादा बिक सकते हैं; आप इस तरह फोरिन एक्सचेंज भी ले सकते हैं, सारे अफ्रीकन कन्ट्रीज और दूसरी जो कन्ट्रीज कुछ ऐसी हैं जहां पर अमरीका अपने पशु भेजता है, उन कन्ट्रीज में आपको पशुओं को भेजने का फील्ड मिल सकता है। तो यदि आप पैकेज प्रोग्राम बना कर पशु-पालन का डेवलपमेंट करें तो आप फोरिन एक्सचेंज कमा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं जो सुखाड़िया जी को निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि वे कम से कम कोई ऐसी कमेटी या बोर्ड बैठायें जिससे हमें यह जानकारी मिल सके कि समाजवाद की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम है जिससे समाजवाद की झलक आये, क्या प्रेक्टिकल फॉर्म आयेगा, किस तरह से आप करना चाहते हैं। इसके लिए कोई हाई लेवल कमेटी या बोर्ड बना कर करें ताकि मालूम हो कि इसका रूप क्या होगा। यह मेरा निवेदन है कि राजस्थान के किसी एक जिले में, राजस्थान कैनाल एरिया में या और जिले में समाजवाद को स्वरूप दे दें, वहां पर समाजवादी दृष्टिकोण से काम हो ताकि उसके अनुसार दूसरी जगह चल सकें।

दूसरा मैं सहकारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। अब तक

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कई कमेटीज बैठी हैं लेकिन एक जानकारी हमें नहीं मिली है। मेरा जो निवेदन है वह यह है कि सहकारी मूवमेंट का इम्पेक्ट क्या हुआ है, कोआॅपरेटिव मूवमेंट ने क्या किया है और क्या उसमें बाधायें आई हैं? किन कारणों से काम नहीं

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हो पा रहा है—आया जनता खराब है या सरकार का सहयोग नहीं मिल सका है, या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया या रिजर्व बैंक का सहयोग कम है ? क्या कमी है ? आप देश में ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, और कानूनी दृष्टिकोण से आपने सहकारी मूवमेंट को शुरू किया तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा, कितना फायदा मिला, कितना नहीं मिला ? यह निवेदन है आपसे कि आप एक पब्लिक सेक्टर में बनाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, यह लास्ट है मेरा निवेदन। इसके बाद नहीं कहूंगा।

तो अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सेक्टर से हम नॉन टैक्स रेवेन्यू लेना चाहते हैं। लेकिन इस नॉन टैक्स रेवेन्यू लेने के लिए क्या हमारे सामने रुकावटें पड़ रही हैं, क्यों नहीं ये बढ़ पा रही हैं—इसको गम्भीरता से एग्जामिन करना चाहिए।

जिन माननीय सदस्य ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं जो सरकार की उपलब्धियां हुई हैं उनके दृष्टिकोण से समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्यपाल ने कहा है उसको पूरा करने के लिए काम करें, हम उसमें अपना पूरा सहयोग रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय हुई घटनाओं सम्बन्धी प्रस्ताव पर

औचित्य-प्रश्न

श्री हरिशंकर (धौलपुर): ओन ए पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन, सर, सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक ने मेरी एबसेन्स में कोई प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ शब्द मेरे खिलाफ लिखे हैं जिनसे मेरे मान और प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। मैं चाहूंगा कि मेरे सम्मुख वह प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाय और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुख्य सचेतक उस प्रस्ताव को वापिस ले लें और माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष : जिस प्रस्ताव का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं उसमें जहां तक तीन माननीय सदस्यों का प्रश्न है उस पर विचार किया जाना अभी बाकी है और जैसा अब माननीय सदस्य ने संकेत किया है उसके लिए जल्दी व्यवस्था की जायगी और तब माननीय सदस्य को अपने विचार रखने का अवसर दिया जायगा।

श्री हरिशंकर : अध्यक्ष महोदय, बहस का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रस्ताव मेरे खिलाफ है, और जो मेरी गैर-हाजिरी में रखा है उसमें जो शब्द रखे हैं उनसे मेरी प्रतिष्ठा भंग हुई है। उसको मेरे सम्मुख सदन के सामने रखना चाहिए। ऐसा नहीं करके मेरी गैर-हाजिरी में किया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे सामने इस समय वह रखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उस मौके पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए जहां तक उनका सम्बन्ध है उस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया और न मतदान किया गया। इसलिए जैसा माननीय सदस्य ने कहा है

(श्री अध्यक्ष)
उससे मैं सहमत हूँ कि उस प्रस्ताव को माननीय सदस्य के समक्ष लाया जाय और उस के लिए मैं शीघ्र व्यवस्था कर दूंगा, और तब जैसा आपने कहा उस पर विचार किया जायगा।

श्री हरिशंकर : क्या मैं यह समझ कर चलूं, अध्यक्ष महोदय, कि मेरा नाम उसमें से निकाल दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष: उस दिन जिस प्रस्ताव पर मतदान हुआ था उसमें तीन माननीय सदस्यों के नाम नहीं थे—एक तो जहां तक माननीय सदस्य के नाम का सम्बन्ध है और दो अन्य माननीय सदस्यों के नाम से संबन्ध है—उस प्रकार के प्रस्ताव पर अब विचार किया जायगा, जिसके लिए जैसा मैंने पहले बताया, बाद में व्यवस्था दी जायगी।

श्री हरिशंकर : अध्यक्ष महोदय, उस समय तक जब तक अन्य साथियों को जो कि बगैर किसी कारण के सदन के बाहर निकाल दिये गये हैं और जिनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जब तक वे वापिस नहीं बुलाये जायेंगे—मैं सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। प्रश्न यह उठता है कि जब एक प्रस्ताव संशोधित रूप में इस सदन द्वारा स्वीकृत हो जाय तो क्या यह सदन की व्यवस्था है कि उसका कुछ अंश बकाया बचा कर रख लिया जाय, ताकि उसका दण्ड–प्रहार दूसरे व्यक्तियों पर डाला जाय या जब समय आये तब डाला जाय ? इस सम्बंध में आपकी व्यवस्था जानना चाहूंगा। मेरी इस सम्बन्ध में मान्यता रही है कि जब एक प्रस्ताव पास हो गया, संशोधित रूप में पास हुआ या किसी रूप में पास हुआ—इसके मायने यह हैं कि वह प्रस्ताव पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ हो जाता है। जो ऐसी स्थिति आई है, यह बड़ा पेचिदा सवाल है। इस सम्बन्ध में मैं व्यवस्था के लिए इसलिए निवेदन करूंगा कि या तो दूसरा सवाल फिर से नये तरीके पर लाया जाय, या वह जो सवाल है जिसका अंश बचाकर रख लिया है वह फिर किस रूप में आयेगा—यह कुछ एक उलझनपूर्ण सवाल है। ऐसी सूरत में जो बहुमतवाली पार्टी के मुख्य सचेतक हैं वे इस तरह का संकेत दे दें कि इनके खिलाफ कोई अलग मोशन लायेंगे और उसकी सूचना देंगे, या क्या स्थिति रहेगी। इसकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है वह इस समय उठाना उपयुक्त नहीं है। जिस समय प्रस्ताव पर विचार हो उस समय माननीय सदस्य की जो भी आपत्ति हो उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, वह उस समय उठायें तो व्यवस्था कुछ हद तक हो सकती है और आपत्ति उठाना कुछ तथ्यपूर्ण हो सकता है। इसलिए आज इस व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता; लेकिन जब प्रस्ताव पर विचार किया जाय और उस पर कोई आपकी आपत्ति हो तो उस समय तो अवश्य उठा सकेंगे।

१०.२९ म. पू.)

सदन से नौ सदस्यों को सम्पूर्ण सत्र-काल तक के लिए निष्कासित करने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! यह प्रस्ताव न उठायें ! माननीय सदस्य अगर शुरू में आ जाते तो उस समय व्यवस्था दे देता और बहस हो जाती । अब इस वक्त जब सदन की कार्यवाही चल रही है उस समय कृपया यह प्रश्न उठाने की कोशिश न करें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन-प्रस्ताव अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण दो तीन बातों में मान सकता हूं । पहली बात तो मैं यह कह देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस स्थगन-प्रस्ताव के द्वारा तीन महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं । पहली बात यह है कि जिस तरह इन नौ आदमियों को निकाला है, अगर इस तरह की परम्पराओं को जारी रखा गया तो इसका नतीजा यह होगा कि मौजूदा संसदीय प्रणाली या पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी जो है यह तानाशाही में बदल जायगी और इनके ऊपर चेक नहीं रहेगा । आज नौ सदस्यों को पूरे सेशन-काल के लिए निकाला गया है, तो कल यह प्रस्ताव ला सकते हैं कि इस अपोजीशन की तरफ बैठने वाले जितने सदस्य हैं वे पांच साल के लिए निकाल दिये गये । क्योंकि उनके ऊपर चेक नहीं रहेगा, क्यों वह नहीं रहेगा यदि इस प्रकार की व्यवस्था चलने दी गई ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : आोन ए पोइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर; आोन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : थोड़ा आप सहयोग रखिये । पहले यह तय कर लें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज सर ! कल भी इन्होंने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप किससे सहयोग की बात कर रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप प्रिविलेज का पोइन्ट रख दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय मंत्री को बोलने दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा निवेदन यह करना है कि कल भी ऐसा मौका आया था उस समय आप यहां नहीं थे, इसलिए थोड़ा उसके संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं । पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज मेरा यह है कि हाउस इस वक्त बहस में है और इसका एक एक मिनट मूल्यवान है; ऐसी स्थिति में हाउस के समय का अपव्यय आप द्वारा कल भी पर्याप्त हुआ है और आज भी पर्याप्त होगा, इनकी बात इस बात का संकेत दे रही है कि ये चले जायेंगे । यह भाषण जिस तरह यहां शुरू कर रहे हैं इसके अन्त में यही बात कहेंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप चेयर को डाइरेक्ट कर रहे हैं, यह हमारे समय को बरबाद करना होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा पोइन्ट यह है कि जब आपका पोइन्ट ऑफ आॅर्डर हो जायगा....

एक माननीय सदस्य : तो ये उठ कर चले जायेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर हो गया। इसमें यह स्पष्ट पॉइन्ट है कि अन्ततोगत्वा ये सदन से जाने वाले हैं क्योंकि ये कल से यह करते आ रहे हैं। मेरा निवेदन है, कल उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत लेकर ये गये थे, आज आपकी इजाजत लेकर जायेंगे। कल उपाध्यक्ष महोदय को कहा कि आप मुझे इजाजत दे दीजिये, मैं चला जाऊंगा। अंत में यही कहने वाले हैं इसलिए इनको न रोका जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : परन्तु आप उपाध्यक्ष के आसन पर नहीं हैं। मैं यह समझता हूं कि कभी आप जब उपाध्यक्ष के आसन पर रहे होंगे, न मालूम किस तरह से सदन का काम चलाया होगा, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उस रूलिंग को कन्वेस नहीं कर रहे हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कि अगर शासक दल का यही रवैया चलने दिया गया तो आज का यह प्रजातन्त्र का शासन तानाशाही में परिवर्तित हो जावेगा; एक तो मेरा यह मुद्दा है।

दूसरी बात मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सदन से निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि मेरे पास जिन ९ सदस्यों को सदन से निकाला गया है उनके क्षेत्रों से वहां के चुने हुए पंचों और सरपंचों और पंचायत समितियों के प्रधानों के और विशेष तौर से अनेकानेक मतदाताओं के पैगाम आये हैं। उन्होंने यह बात कही है कि उनके क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करने का विधान सभा में अभाव है क्योंकि उनके प्रतिनिधियों को सदन से निकाल दिया गया, इसलिये उनके क्षेत्रों को आप जानते है कि कोई न कोई तो रिप्रेजेन्टेटिव रहना चाहिये जो उनकी बात आपके सामने कह सके, मगर उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा, ऐसी सूरत में....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कल भी यही बात कही थी और आज भी वही बात कह रहे हैं और सारी बातों को कहने के बाद कल भी सदन छोड़ कर चले गये और आज भी जाना चाहते हैं.........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमें चूंकि लोकतन्त्र चलाना है, लोकतन्त्र की मर्यादाओं की रक्षा करनी है, इसलिये मैं यह बात आपको निहायत नम्रता से कहना चाहता हूं कि जब विधायक हटा दिये गये हैं तो इसके लिये मतदाताओं की बातों को कहने की बात का प्रबन्ध होना चाहिये। आखिर आप लोकतंत्र के कस्टोडियन हैं। अगर इसके लिये संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं हैं तो संविधान में परिवर्तन हो सकता है। संविधान परिवर्तनशील है, युग की परम्पराएं भी बदलती आई है, जमाना बदलता है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि उस जगह के मतदाताओं के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करिये।

दूसरा, मैंने यह प्रश्न उठाया है और मेरा तीसरा मुद्दा यह है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त करता हूं।

कि अमेरिका जैसे देश में भी इस संबंध में मूलभूत सिद्धान्त है जिनको लेकर हमारा

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

संविधान बना है । वहां पर 'No taxation without represent'otion की बात संविधान में रखी हुई है । हमारा यह बजट-सत्र है । इसमें नये टैक्सेज लगाये जा सकते हैं । अगर उन क्षेत्रों का कोई भी रिप्रेजेन्टेटिव नहीं रहा तो अपने आप में वह बड़ी भयंकर स्थिति पैदा होगी । अमेरिका में No taxation without repre sentation' की बात है जिसकी डेमोक्रेसी की बात हम कहते हैं । जब उन जगहों का कोई भी प्रतिनिधि यहां नहीं रहेगा तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा और उसका मतलब यह होगा कि लाखों लोगों का यहां पर प्रतिनिधित्व नहीं होगा और " No taxation without representation" का जो सिद्धांत है वह मूलभूत अधिकारों की चीज बनेगी और जिसके लिए वे लोग एजीटेशन करेंगे ।

इसके अलावा चौथी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि....

श्री मोतीलाल चौधरी : आप चाहते क्या हैं, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष : आप तीन बातें कह चूके । अब चौथी बात भी कह दीजिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने एक बात यह कही कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था को चलने दिया गया तो यह शासन तानाशाही में बदल जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप चौथी बात कह दीजिये !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दूसरी बात यह कि उन क्षेत्रों के मतदाताओं को अपनी बात रखने का कोई ऑल्टरनेटिव सजेशन दीजिए ।

तीसरी बात 'No taxation without representation' इस तरह का लोगों में विश्वास व्यक्त हो, ऐसी बात करिये ।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज मैं यहां पर विधान सभा का सदस्य हूं । यहां पर मेरी दो स्थितियां हैं । पहली तो व्यक्तिगत स्थिति मुकुटबिहारी की हैसियत की है और दूसरी विधायक की स्थिति भी है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यहां पर मुकुट बिहारी की कोई स्थिति नहीं है, विधायक की स्थिति है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर मैं कोई मिस-कन्डक्ट करता हूं तो आप मेरे को सजा दीजिए, मेरे को सजा दी जानी चाहिए; न कि उस जगह के विधायकों को । यह बात मैं सदन को इसलिए कहता हूं कि उनको पूरे सदन की सेवाओं से निलम्बित किया गया है । उन क्षेत्रों के मतदाताओं को ऐसा करके आपने दंडित किया है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट ।

इसका मतलब यह हुआ कि आपने जनतन्त्र को दंडित किया है । मैं इस बात को

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

पसन्द नहीं करता। दंड देने की मर्यादा होती है। मैं इस बात को कहता हूँ कि आप पनिशमेंट जिसको कहते हैं दीजिए ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है कि इनको बाहर निकाल दिया जाय। कल भी ऐसा ही कह कर पूरा घंटा सदन का लिया था और आखिर बाहर चले गए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह नहीं कहता कि आप पनिशमेंट न दें। अगर आपको उन्हें सजा देनी है तो आप उनको व्यक्तिगत तौर पर सजा दीजिये। अगर मैं कोई मिस-कन्डक्ट करता हूँ तो मुझे सजा दीजिये। अगर ऐसा करने से शासन के प्रतिरोध की या बदले की भावना पूरी होती है तो मैं यह कहूँगा कि मेरे कोड़े लगाइये और कोड़े लगाने की सजा दी जावे; मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जावे, अगर इससे आपके प्रतिरोध की भावना पूरी होती है। तो आप ऐसा करिये, परन्तु मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप जनतन्त्र पर धावा मत बोलिए, जनतन्त्र को तानाशाही में परिवर्तित होने से रोकिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लोगों की मान्यता ही बदलती है। क्या है, आज केन्द्र में मेन जो कल लॉ मिनिस्टर....

श्री अध्यक्ष : आप अपने विषय के बाहर जा रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि ये चीजें हैं जिन पर इस सदन में चर्चा चलनी चाहिए, इस सदन में परम्पराएं होनी चाहिए और "No taxation without represenation" के सिद्धान्त की रक्षा की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपने जो बातें पहले कह दी हैं उनको फिर न दोहराइए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन करूंगा और मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक हैं उनको पांच वर्षों के लिए इस सदन से बाहर निकाल दिया जावे, क्योंकि वे बार-बार बाधा डालते हैं। इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूँ। मैंने जो प्रस्ताव रखा है वह इसलिए कि इस ग्रोस मिसकन्डक्ट के सिलसिले में वे बार-बार खड़े होते हैं।

(२) दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि निरंजननाथजी आचार्य को घर जाने के लिए कह दिया जाये क्योंकि जनतन्त्र की परम्पराओं को इनसे खतरा है और वे बार-बार व्यवधान पैदा करते हैं। इनको प्रस्थान करने के लिए आदेश दिये जावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपने जो प्रस्ताव पेश किये हैं, ऐसा करने से क्या उनकी कॉन्सटीट्यूएन्सीज रिप्रेजेन्ट हो जावेंगी।

(श्री मुकुटबिहारीलाल के खड़े होने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनको इस बात के लिए क्रेडिट देना चाहिए कि वे ऑपोजिशन के एक हश्य को किस ढंग से आज दो दिन से उठा रहे हैं और सारी कांग्रेस पार्टी बैठी है, कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कितने नोबल आइडियाज हैं, जिनको ये एक तरीके से रख रहे हैं। उनको सजा दी जावे, लोगों को दंड देने का विधान होना चाहिए, तानाशाही को रोका जावे, इस प्रकार के अनेकानेक आर्ग्यूमेन्टस हैं उन पर आपको सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य काफी बोल चुके हैं, अब वे अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा।

सदस्यों की राय तो मेरी तरफ है। लेकिन शासन अगर उनको व्यक्तिगत रूप से दंड दे तो मैं सिर झुका कर स्वीकार करूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से पुनः निवेदन करूंगा कि जो विचार रखे हैं, मेरे खयाल से माननीय सदस्य उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। आपको जो कहना था वह कह दिया। कल के लिए रखें और बैठ जावें। आप कल फिर कोई नया प्रस्ताव लावें। अब आप स्थान ग्रहण करलें ताकि सदन की कार्यवाही ठीक तरह चालू रहे।

राज्य पक्ष के एक माननीय सदस्य : कल भी इन्होंने बहुत बाधा डाली थी, ये सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आदी हो गये हैं।

श्री मानधातासिंह (महुवा) : जो आपने सवाल उठाये हैं, उन पर शासन की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था, इस प्रकार से बीच में उठाये गये प्रश्नों पर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। कभी किसी के खिलाफ प्रस्ताव ले आते हैं, कभी किसी के खिलाफ प्रस्ताव ले आते हैं, इस प्रकार की बातों के लिए व्यवस्था देने का कोई सवाल नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सदन में जो बहस चल रही है उसे चलने दें, उसमें इस प्रकार बाधा उपस्थित न करें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इन्होंने श्री रामप्रसादजी को ५ साल के लिये निकालने का और श्री आचार्य जी को सदन की सदस्यता से बिलकुल ही अलग करने के प्रस्ताव रखे हैं, उन पर मतदान तो हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो उस प्रकार की बात हो गई कि किसी मोटर ड्राइवर ने एक्सीडेन्ट कर दिया तो कहा जाय कि गाड़ी को जेल भेजना चाहिये, ड्राइवर को जेल नहीं भेजना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप अपने आपको गाड़ी समझते हैं और आपके भीतर ड्राइवर कोई दूसरा बैठा है तो यह योग्य बुद्धिवादियों का सवाल है, उनको ज्यादा अनुभव है।

कल आप कह रहे थे कि मैं तो एडवोकेट हूं, एडवोकेसी करता हूं। मैंने तो निहायत नम्रता से निवेदन किया था। मैंने अगर कोई गलती की है तो मुझे दण्ड देना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, यह क्रूशियल पोइन्ट है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे

(श्री अध्यक्ष)

आप उन माननीय सदस्यों के बोलने के अधिकार का हनन कर रहे हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं। दूसरे सदस्य भी इस बहस में भाग लेना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शांत बैठे रहें और अगर आप शांत नहीं बैठे रह सकते तो सदन का त्याग कर दें। आप संयम से काम लें। आज बहस का दिन इसीलिये निर्धारित किया गया है; माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे इस पर बोलें, आप उनके अधिकारों का हनन नहीं करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे जो आग्यू'मेंट्स हैं, मैंने जो थ्योरी रखी है, माननीय सदस्यों ने उसके बुनियादी तथ्यों को भ्रम में डाला है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांति से बैठें, ताकि भ्रम पैदा न हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि यहां जो कार्यवाही हो रही है, लोकतान्त्रिक परम्पराओं के विपरीत हो रही है। अव्वल तो राजस्थान के शासक बुलाते ही नहीं सदन को, केवल संविधान की मर्यादाओं की पूर्ति के लिये बुलाते हैं और यहां राजस्थान में ऑर्डिनेन्सेज के द्वारा शासन करते है ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि आप शान्ति से बैठें या सदन से बाहर चले जायं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे सदन से बाहर जाने की आज्ञा है ?

श्री अध्यक्ष : निवेदन से जाना चाहें तो निवेदन से जा सकते हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं; निवेदन से नहीं मानें, तो आज्ञा समझें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे ताड़ना देनी चाहिये थी........

श्री अध्यक्ष : मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे क्लीयर-कट आदेश दे दीजिये कि सदन से बाहर चले जाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जाना है तो यों ही निवेदन से चले जायं। अगर आप निवेदन से नहीं मानते हैं और सदन की कार्यवाही में इस प्रकार बार बार बाधा पहुंचा कर सदन के माननीय सदस्यों के प्रिविलेजेज का हनन करते हैं और मुझे बाध्य करते हैं तो मैं आज्ञा देता हूं कि आप सदन से बाहर चले जायं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अच्छा तो यह होता कि मार्शल को बुला कर मुझे मार्शल से धक्के दिलवाये जाते जिससे कि शासक दल के दिल की प्रतिशोध की भावना पूरी होती। केवल आपकी इतनी ही आज्ञा है कि मैं सदन छोड़ कर चला जाऊं, तो मैं जाता हूं। जय जनतन्त्र !

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) अध्यक्ष महोदय, प्रेस को आज्ञा हो कि इनका वाक आउट नहीं लिखें, रोज वाक आउट लिखते हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(१०.४६ म. प.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अमरसिंह (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष, कई बातों के कारण गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता ।

यदि पिछले सत्रह, अट्ठारह साल के समय पर दृष्टिपात करें तो यह प्रतीत होता है कि इस काल में जीवन की समस्याएं बढ़ी हैं, मानवता का अपमान हुआ है, मनुष्यता का ह्रास हुआ है और हर जीवन की सामग्री इस हद तक मंहगी होगई है कि निर्वाह आसानी से करना जरा मुश्किल सा हो रहा है ।

"Charity begins at home." इस उपदेश को दोहराते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हमारा इलाका सीमावर्ती इलाका है उसकी तरफ बाड़मेर का जिला है, उसकी तरफ हमारी राजस्थान सरकार हमेशा से उदासीन रही है । इस पिछड़े हुए इलाके को किसी भी प्रकार की प्रगति देने का सरकार ने कभी विचार तक नहीं किया । मैं कई दफा पहले भी निवेदन कर चुका हूं इस सदन के फ्लोर से कि आपका प्रगति का, डेवलपमेंट का मापदण्ड यह होना चाहिए कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं राजस्थान में उनके लिए आपने क्या क्या किया ? मुझे दुःख के साथ बार बार कहना पड़ रहा है कि सरकार ने उस ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया है ।

मनुष्य के जीवन के अन्दर पानी सबसे पहली आवश्यकता है । अन्न के बिना आदमी दो दिन रह सकता है पर पानी के बिना रहना बड़ा मुश्किल होता है । सरकार ने कई दफा यह वादा भी किया और पोलिसी को घोषित किया, एक के बाद दूसरी को घोषित किया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है कि जो जलहीन क्षेत्र हैं वहां पीने का जल उपलब्ध किया जाय । लेकिन मुझे बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जलहीन क्षेत्रों में इस सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया है कि उनको पीने का पानी दिया जाय ।

जो महानुभाव मंत्री महोदय, इसके जम्मेदार हैं वे बखूबी जानते हैं कि बालोतरा के आस-पास का क्षेत्र है वहां लोग आठ-आठ, दस दस मील से पीने का पानी लाते हैं और मवेशी को तो तीन-तीन दिनों से पानी पिलाते हैं । सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया । मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यों तो आप डींगें हांकते हैं कि हम खेती की उन्नति करते हैं, लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठा रहे हैं, पशुओं की नस्ल सुधार रहे हैं; हम कहते हैं यह हमारे साथ गद्दारी है, धोखादेही है । कोई धोखा नहीं खा रहा है, पर इस प्रकार की कार्यवाहियां कब तक चलती रहेंगी ?

पिछली बार मैंने निवेदन किया था कि कल्याणपुरा, बाधावास, पचपदरा, यहां ट्यूब वेल से पानी उपलब्ध कराया जाय और अगर ट्यूबवेल कामयाब नहीं हो तो समदड़ी के पास बेरा है जिसमें कहा जाता है बहुत पानी है वहां से नल-व्यवस्था चला कर इस इलाके के लिए पानी का प्रबन्ध किया जाय । मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि अब तक कोई प्रोग्राम नहीं बना, कागजों में भी नहीं आया तो हम

(श्री अमरसिंह)

सरकार से क्या आशा करें कि वह हमारी समस्या हल करेगी।

दूसरी समस्या देश के सामने खाद्यान्न की है। मैंने कल माननीय खाद्य मंत्री महोदय के प्रवचन सुने और उन्होंने इतने सब्जबाग दिखा दिए कि जिनसे हमारी आशाएं न मालूम कहां से कहां तक पहुंच गईं। पर यह नहीं कहा जा सकता कि कहां तक कार्य रूप में वे परिणत होंगी?

खेती के क्षेत्र में जहां किसान के कन्ट्रीब्यूशन का सवाल था वह आप विश्वास कीजिए कि उसने पूरा सहयोग दिया। पूरी तरह से उसने अपना कन्ट्रीब्यूशन दिया। एक एक इंच भूमि पर उसने खेती की, मेहनत की। लेकिन सरकार की तरफ से जो होना चाहिए था उसमें त्रुटियां रहीं। जहां तक कुदरत का सवाल है हम सरकार पर उसका कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार की तरफ से तो कार्यवाही होनी चाहिए। उसमें अगर त्रुटियां आती हैं तो हम जरूर कहेंगे। मेरा यहां सुझाव था इस क्षेत्र के अन्दर इरिगेशन सुविधा देने के लिए जहां तक नहर के पानी आने का सवाल था वहां ट्यूब वैल्स की सुविधा आबपाशी एरिया में मुश्किल है। ऐसी व्यवस्था की जाय कि ट्यूब वैल्स खोदें, मशीनें प्राइवेट लैण्ड पर लगाई जायं, इसके लिए लोन्स उपलब्ध करें। लेकिन साथ में "नो प्राफिट नो लोस" बेसिस का सवाल है। हमारे काश्तकार की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वह इसको बरदाश्त करे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कुंआ फेल हो जाय तो उसका कर्जा राइट ऑफ करें। जहां पर अकाल होता है तो सब्सिडी बेसेज पर जो मुनासिब समझते हैं; चाहे आधा, चाहे पौणा कर्जा सब्सीडाइज्ड करके वसूली १० साल पर स्प्रेड ओवर करें। ऐसी व्यवस्था सरकार के जरिए होती है तो खेती के उत्पादन में लाभ हो सकता है, हमारे काश्तकार को बहुत फायदा हो सकता है, देश की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, खाद्यान्न की समस्या सुलझ सकती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

मैंने पहले भी यह प्रस्ताव पेश किया था कि इसके अन्दर कुछ तेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। जहां पर उत्तम बीज भेजे जायं कृपा करके समय पर भेजें और सब जगहों के लिए उपलब्ध करें। मैंने देखा है कि इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स के लिए इतना कहा जाता है, फिर भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर वे प्रदर्शनी के अन्दर नहीं हैं तो काश्तकार के एडॉप्ट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

इसके साथ मैं यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारी सरकार यानी कृषि विभाग सर्वथा उदासीन रहा हो, ऐसी बात नहीं है। एक क्षेत्र के अन्दर उन्होंने कदम उठाया वह वह कि लोगों को पम्पिंग सैट्स खरीदने के लिए लोन्स दिए। मैं समझता हूं कि इससे लोगों को फायदा हुआ और जनता ने एप्रीशियेट किया। साथ में उनकी व्यवस्था देखिये। जहां लोगों ने मशीनें लगाईं, पम्पिंग सैट्स लगाए, इसी साल उन्होंने देखा कि क्रूड ऑइल मशीनें चलाने के लिए नहीं हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इतना क्रूड ऑइल मिलता था वह गायब कहां हो गया? यह हमारे जीवन-मरण का सवाल है और रोटी पैदा करने का सवाल है, उसकी सामग्री की

(श्री अमरसिंह)

व्यवस्था भी न हो तो मैं समझता हूं कि यह ब्राइएस्ट इनएफीशियेंसी का एक नमूना है। नतीजा यह हुआ कि नकली फ्रूड ऑइल आया; सैकंड ग्रेड, फेब्रीकेटेड। बहुत से लोगों की मशीनें खराब हो गई, उन्होंने डीजल काम में लिया, जिसकी कीमत दुगुनी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह ऐसा मामला है जिस पर सरकार को बहुत विचार करना चाहिए। ऐसी कठिनाइयों के अन्दर जहां काश्तकार काम करता है फिर आप प्रतिबंध लगाते हैं कि इसका जो माल पैदा हो, इस कीमत से ज्यादा पर नहीं बेच सकते। काश्तकार के लिए तो बीज की जरूरत होती है। चाहे बाजार में मिलने की व्यवस्था भी है लेकिन उसकी कीमतें चौगुनी हो जायं तो भी सरकार को परवाह नहीं। लेकिन काश्तकार जो अन्न पैदा करें उसकी कीमतों पर सीलिंग लगाई जाय तो सरकार भी काम न करे लेकिन जहां लोगों ने गेहूं पैदा किये हैं और अपने पैट्रियोटिज्म का नमूना देते हैं, फिर भी आप कहें कि हम तो लेवी लेंगे और बाजार के अन्दर ८०) रु० क्विंटल मिलता है तो हम तो उसके ४०) रु० देंगे, यह गलत है।

इसके साथ में एक गंभीर विषय इस सदन में अत्यंत विनीत भाव से रखना चाहता हूं; वह यह कि जहां एक तरफ हमारे देश के अन्दर अन्न का अकाल है और यह कहते हैं कि हमें लोगों का पालन-पोषण करने के लिये अमरीका से गेहूं लाना पड़ेगा और अमरीका अन्न नहीं देगा तो हमारे यहां यह परिस्थिति हुई जिस पर काबू पाना मुश्किल हुआ, ऐसी हालत में जमीन और अन्न का मामला एक पोलिटिकल कन्ट्रोवर्सी में बदल गया। मैं आपके द्वारा सदन में सीलिंग के मामले पर यह उम्मीद करता हूं कि बिना पार्टी कलर के इसको देखा जाय। इसका नग्नस्वरूप हम अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे काश्तकार जिसकी संख्या ८० प्रतिशत हमारे देश में है, उनके लिए हमारी सरकार यह व्यवस्था करती है कि तुम लोगों के लिए हम इतना साधन उपलब्ध करते हैं, इतना कैपिटल छोड़ते हैं, क्योंकि काश्तकार के लिए जमीन भी कैपीटल है, तो काश्तकार के लिए जो सारे देश का पालन-पोषण करता है उसके लिए आपका यह ख्याल है कि हम तुम्हारे लिए इतनी जमीन छोड़ेंगे जिससे ३००) रु० माहवार पैदा कर सकें, यानी ३,६००) रु० सालाना पैदा कर सकें और परिवार के ५ आदमियों का उस पर निर्वाह हो सके। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया जा रहा है, जो किसान का आमदनी का साधन है उस पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है? आज जो परिवार के ५ सदस्य हैं उनके लिए आप ३००) रु० छोड़ते हो तो बीस वर्ष के बाद या १५ वर्ष के बाद ये ५ से पच्चीस हो जायं यानी परिवार विस्तृत होता जायगा, उस समय काश्तकार की संतति क्या करेगी?

हमारी सरकार ने यह नारा दिया, "जय जवान, जय किसान"। जवान के बारे में कहा जाता है

(११.०० म. पू.)

कि जिनका यही काश्तकारी पेशा है, एक घर में ५ आदमी हैं, पांच भाई हैं, तो तीन फौज में जावेंगे। मुझसे कहा गया था कि सेना में भर्ती कराओ। भरती कराया गया।

Page No. 47

(श्री अमरसिंह)

पांच में से तीन भर्ती हुए। यही फौज में जाने वाले जवान किसान के घर से आते हैं, उसके लिए यह व्यवस्था कर रहे हो कि तुम्हारे लिए आज और भविष्य के लिए भी सिवाय गुलामी के कुछ नहीं? हमारी गुलामी करो, तुम्हारे लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने कुछ हक समझो, यह कुछ नहीं; पोलिटिक्स में बोल सको, इसकी भी आवश्यकता नहीं, हम कहें और तुम हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। ऐसी क्लास खड़ी करने के लिए हमारी सरकार उतारू है।

साथ में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां देश को ऐसी परिस्थिति में डाल दें, इस गरीब हालत में दुनियां में राज करना चाहते हैं, मैं समझता हूं, कोई शोभनीय बात किसी के लिए नहीं हो सकती। इन गरीब लोगों के कमाये हुए पैसों पर कुछ भी करें। इसीलिए आप सीलिंग पर पुनर्विचार करें। और इस पर भी पुनर्विचार करें। सोवियत रूस और चीन में क्या हुआ और आज क्या परिस्थिति है और अमेरिका में क्या हुआ और आज क्या परिस्थिति है? जिन देशों ने साम्यवाद में रह कर जमीन के साथ खिलवाड़ किया उनकी क्या परिस्थिति है? वही सच्चाई करे तब ही लोगों का निर्वाह हो सकता है। देश को खाना देना है। आप पोलिटिकल कण्ट्रोवर्सी में मत फंसिये। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।

साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह जो कोआॅपरेटिव फार्मिंग के लिए उत्सुक है जरा इस पर विचार करें। गुजरात के पढ़े-लिखे आये, उनसे मैंने पूछा कि कोआॅपरेटिव फार्मिंग के बारे में उनकी क्या राय है? उन्होंने कहा, "एक बाप के पांच बेटे हैं और एक मां के दूध से बड़े हुए हैं, बचपन से साथ रहे। जहां वे बड़े होते हैं उनकी प्रवृत्ति यही रहती है कि इकट्ठे रह कर पूरी मेहनत कर जीवन-यापन करें। हमारे यहां यही भावना है। कोई कहां का और कोई कहां का रख लें; एक कहेगा दूसरा देखेगा, दूसरा कहेगा तीसरा और तीसरा कहेगा चौथा देखेगा और चौथा कहेगा पांचवा; कोई महनत नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा और जमीन खाली रह जावेगी। डॉक्टर नहीं है और चीरा-फाड़ी करना चाहे। पांव के चीरा लगा दे, हाथ के चीरा लगा दे; खराब हो जाय तो कोई परवाह नहीं, लेकिन फेंफड़े में और पेट में चीरा लगा दे तो क्या हाल होगा? खाद्य समस्या को इस पोलीटिकल कण्ट्रोवर्सी में न फंसाकर जरा विचारशीलता से काम लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

मुझे आपसे यह कहना है कि बड़े बड़े शहरों में, मैं समझता हूं, इलाज का और दवाइयों का ठीक प्रबन्ध है, लेकिन देहात में इसका सर्वथा अभाव प्रतीत होता है। मैं खुद के क्षेत्र के लिए निवेदन करूं। बालोतरा में आज से ६०-७० वर्ष पहले मकान बना था, उसके बाद एक भी कमरा नहीं बढ़ा। सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्ट वहां नहीं हैं, दवाइयों का अभाव है, नुस्खा लिखा जाता है; एक दूकान है पेटेन्ट मेडीसिन की, वहां से ला सकते हैं वर्ना मामूली पानी के सिवाय शफाखाने में कोई दवाई नहीं मिलती। मैं समझता हूं, सरकार अब इस ओर ध्यान देगी और देहात में दवाइयां मुहैय्या करने के लिए ठोस कदम उठायेगी। हमारा क्षेत्र बाड़मेर सांचौर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाटर

(श्री अमरसिंह)

स्टेचेज़ ऑफ लेड । लोग यह भी पूरा नहीं समझ सकते कि डॉक्टर का इलाज कराने में कहां तक फायदा है। उसको करीब करीब दवाइयों की सुविधा नहीं के बराबर है।

यह जो सिनेमा चलता है जन-सम्पर्क विभाग द्वारा, उसकी पिक्चर को तो दिखाना बन्द करा दें। इसको तो कृपा कर बन्द कर ही दें। उसके बजाय मोटर और डॉक्टर का प्रोवीज़न कर दें। मोटर तो है ही, डॉक्टर का और प्रोवीज़न कर दें और रोगी डिस्पेन्सरी बढ़ा दें, तो दुनियां का बहुत बड़ा फायदा करेंगे। जन-सम्पर्क के लिए मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सी जगह हास्यास्पद बात हो जाती है। चित्र दिखाते हैं, भाखरा डेम में यह यह बनता है। इससे कोई विशेष नोलेज नहीं होती है। हम तो तब समझ सकते हैं कि जब आप खाद्य संकट, मलेरिया निवारण कैसे दूर किये जांय, यह हो तो कोई कार्य कर रहे हैं। जब उनका वोट लेकर आपके समक्ष आते हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनकी समस्या सदन के सामने रखें और सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं और कर रहा हूं कि कृपया इसको हल कीजिये। मैं उनको क्या कहूं कि यह काम कर आया हूं। सदन में बैठे हैं, जो किसानों का कभी मुंह ही नहीं देखते कि उनको क्या कहना है। किसानों को भाखरा डेम में क्या बन रहा है, इससे अभी क्या मतलब है? इसलिए आप मूविंग डिस्पेन्सरीज़ कीजिए।

मैं निवेदन करूंगा कि बालोतरा में लेडी डाक्टर की आवश्यकता है। काफी समय से यह प्रश्न हो रहा है और लेडी डॉक्टर नहीं आ रही है। कृपा कर इस कमी को पूरा फरमाइये।

हाल ही में एक प्रश्नोत्तर का जवाब देते हुए माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने यह जवाब दिया कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में ट्रिकोमा की बीमारी बहुत जोर से है और यह भी कहा कि चूरू में और वहां भी है। लेकिन उन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर के लिए भी बताया। इस बीमारी को मिटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कुदरत ने हमारे साथ काफी सख्ती बरती है, बहुत से साधन हमारे लिए उपलब्ध नहीं किये हैं। क्या वजह है कि आप फूटी आंखों से भी हमारी तरफ नहीं देखते हो? सरकार कहती है, सब जगह विद्युतिकरण कर रहे हैं। हमारे यहां भी नम्बर आयगा या नहीं? मुझे पता है विद्युत् मन्त्री आज उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने कृपा फरमा कर तीन वर्ष पहले पत्र लिखा, जिसको एप्रिशियेट करता हूं कि कृपा फरमा कर पत्र लिखा तो सही, उसमें लिखा कि विद्युतिकरण शीघ्रातिशीघ्र हो जावेगा; किन्तु आज दिन तक अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर विद्युतिकरण नहीं हुआ। वहां के काश्तकारों को हमने कहा था, आपके आश्वासन पर कि आपके यहां विद्युतिकरण हो जायगा, लेकिन अब तक वहां विद्युत् नहीं आने से वे समझने लग गये हैं कि यह गपाष्टक का जमाना है। इसलिए हम भी जो कहते हैं उसको भी गप्प मानने लग गये। जो लोग झूठ नहीं बोलते थे उनको भी झूठ बोलना पड़ रहा है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि विद्युतिकरण हमारे क्षेत्र में किया जाये ताकि हम लोग भी महसूस करें

(श्री अमरसिंह)

कि हमारे यहां प्रगति हो रही है। We are not an accused race in this world who should be denied of all facilities.

माननीय अध्यक्ष, एक बात फिर मुझे बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है। वह है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, वैसे हमारा राजस्थान का जन-समुदाय बड़ा स्वस्थ एवं अच्छे विचारों का है। लेकिन आज जो सर्विसेज में करप्शन बढ़ रहा है, आज सर्विसेज के प्रति लोगों में जो आस्था की कमी हो रही है उसका एकमात्र कारण यह है कि आज की सर्विसेज पोलिटिशियन्स से दबी हुई रहती है। वे जिस प्रकार का इशारा करते हैं उसी प्रकार से उनको कार्य करना पड़ता है। पहले के समय में जो सर्विसेज को सुरक्षा प्राप्त थी वह सुरक्षा आज उनको है नहीं। सत्रह-अठारह वर्ष पहले सर्विसेज के अन्दर जो इन्डिपेन्डेन्स थी, अनेक प्रेशर्स होने के कारण वह स्थिरता आज नहीं, उनको पोलिटिकल एम्स का टूल बनाया जाता है, उनको क्या करना, क्या नहीं करना यह उनकी इच्छा पर नहीं रहता है, उनको पोलिटिशियन्स के इशारे पर नाचना पड़ता है। मैं समझता हूं, यह सर्वथा अनुचित है। उनके साथ साथ मैं समझता हूं कि यह उनके साथ जुल्म है, उनको विवश होकर अपनी ड्यूटी पालन के अन्दर इतना परवश होना पड़ता है।

सात-आठ वर्षों तक एक एक अधिकारी को एक ही स्थान पर रखा जाता है क्योंकि वह वहां के पोलिटीशियन्स को सूट करता है। दूसरे पक्ष वाले, विरोधी पक्ष वाले उनको चाहे दिक्कत हो उनकी दिक्कत का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मैं इसके बारे में और ज्यादा न कहता हुआ इतना ही निवेदन करूंगा कि डेमोक्रेसी तभी पनपेगी जब आप स्वस्थ परम्परा डालेंगे और लोगों को अपने कर्त्तव्य-पालन के अन्दर प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वे अपना फर्ज स्वतंत्रता पूर्वक अन्जाम दे सकें, वह हमारे लिए और देश के लिए भी प्रतिष्ठा का कारण हो सकेगा। इससे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों के अन्दर एक भावना पैदा होगी कि हमारी सरकार से हमें न्यायोचित व्यवहार मिलता है। जो बात होने की है वही होगी, किसी के लिए और किसी के कहने पर जो नहीं होने वाली है। वह कभी नहीं होगी। जब तक जनता और सर्विसेज के अन्दर सिक्योरिटी की भावना पैदा नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी केवल कागजों में ही रहेगी और वह केवल नाम मात्र की होगी।

अध्यक्ष महोदय, जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के बारे में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसको तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। जुडिशियरी को एक दम एक्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया जाय। इसके लिए सभी जगह अन्य राज्यों में कदम उठाये जा रहे हैं। यहां केवल झूठी चेष्टा कर रहे हैं क्रिमिनल पावर्स अपने हाथ में रख कर, यह जो सेपरेट करना है वह सर्वथा अमान्य है। मैं अर्ज करूंगा कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाय। मैं तो यह आशा करता हूं कि चाहे सदन हो या न हो, हमारी परम्पराएं स्वच्छ बनें, गन्दे विचार हममें फटकने नहीं पावें। जुडिशियरी को अपने कर्त्तव्य-पालन के लिए बिल्कुल स्वतंत्र कर देना चाहिए ताकि वह अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए, वे भी सरकार के प्रति विश्वास पैदा करेंगे,

(श्री अमरसिंह)
यह एक अच्छा कन्ट्रीब्यूशन होगा देश के लिए।

आखिर में एक छोटीसी बात राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा। कल कुछ फीगर्स दिए थे सब्सिडी आदि के। विक्रम सम्वत् १९२० में कहतसाली थी उस समय भी यह कदम उठाया गया था, जो कुछ भी सब्सिडी आदि थी उनको माफ किया गया था। इसी तरह से इस साल भी जो रेमीशन आदि हैं उनके सस्पेन्शन के लिए सरकार कदम उठायेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं।

आखिर में एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि मवेशियों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। इसमें ज्यादा दलील की आवश्यकता नहीं है। पशु काश्तकारों के जीवन के साधन हैं, इन पर यदि टैक्स लगाते हैं तो ये हतोत्साहित होंगे। अभी सप्तमी मेला आ रहा है; यह टैक्स लगाया गया है, तो मैं कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में दृष्टिपात करें। अगर सप्तमी के मेले पर टैक्स लगाया तो मैं समझता हूं मेला बिखर जायगा, मेला जम नहीं पाएगा। मैं समझता हूं, कृषि मन्त्री जी इस काम को नहीं करेंगे।

श्री मानसिंह महार (आनेर): पहले भी इनको मेले में कुर्सी से नीचे उतार दिया था।

श्री अमरसिंह: Now don't be silly.

(विराम)

I am very sorry. I never knew that I was before the mike.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): ये सब जज साहब आपको और हमको भिड़ाने की सब बातें करते हैं, हमारा और जज साहब का ऐसा रिश्ता नहीं है।

श्री अमरसिंह: मिर्धाजी के लिये मेरे दिल में इज्जत का स्थान है, उनके लिये कभी भी मै अपशब्द नहीं कह सकता। जो कुछ उनके लिये कहता हूं उसके लिये हर समय पश्चाताप करने के लिये तैयार हूं।

इतना ही निवेदन कर मैं चेयर के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तीन रोज से वाद-विवाद चल रहा है। जिस समय राज्यपाल महोदय सदन मे आये थे उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने जो कुछ किया जिसके कारण उनको सदन से बाहर निकाला गया उसके बारे में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ।

राज्यपाल महोदय उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं, ऊंचे पद पर विराजमान हैं। यहु सदन जहां सदस्य बैठे हुए हैं उनको सदन से राज्यपाल द्वारा निकालना कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल महोदय यहां आकर आसन पर विराजमान हुए, उनके आने पर यहां जो माननीय सदस्य बैठे थे उनको भी उनके सामने दो शब्द कहने का अधिकार था, उनके शब्दों को सुनना चाहिये था।

सर्व प्रथम जो बात हुई है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आखिर माननीय सदस्यों ने क्या किया और क्या नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप घटना घटी? मैं इस सब गहराई में नहीं जाना चाहता। इतना कह सकता

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

हूं कि इतने ऊंचे और जिम्मेदार व्यक्ति के लिए इस तरह से एक बड़ा हंगामा नहीं मचवाना चाहिए था, इसके बनिस्पत तो सहनशीलता से काम लेकर माननीय सदस्यों को शान्ति से और सहानुभूतिपूर्वक समझाते, उनकी सुन लेते वो इस प्रकार से वे अनुशासन में आ सकते थे और इतना बड़ा हंगामा नहीं मचता; जहां तक मैं समझ पाया हूँ।

कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम ऐसी परम्पराएं डालेंगे जो कि पिछड़े से पिछड़ा वर्ग, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति अपने को निडर अनुभव करेगा, जहां पहले आदमी आदमी से डरता था तो उसको हम निर्भयता पूर्वक बात करने का, चलने का अवसर देंगे; उनके अन्दर जो आदमी से आदमी का डर घुस गया है उसे बाहर निकाल देंगे और इतना निकालेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के सामने खड़ा होकर निर्भयता से अपनी बात कह सकेगा, अपनी समस्याओं को रख सकेगा, अपनी समस्याओं के बारे में कह सकेगा। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे सारी बातें उनकी कहने की ही रहीं। आज जब उनके शासन में राज्यपाल आये तो ये भी पुराने राजा-महाराजाओं की तरह से कहने लगे कि हमसे डरो, हमारे सामने बोलो मत, अपना मुंह बन्द रखो, बोलोगे तो पकड़कर बाहर निकलवा देंगे। राज्यपाल ने आते ही, बिना सुने ही, आॅर्डर! आॅर्डर!! के दो-तीन शब्द कह कर इशारा करके सदस्यों को निकलवा दिया। इससे हम पिछड़े लोगों को फिर वैसा ही डर सा अनुभव हो गया। आम जनता में कांग्रेस के प्रति भी वही धारणा घर कर गई कि यह भी डराना चाहती है, डरा धमका कर दबाये रखना चाहती है, उन पुराने राजा, महाराजाओं और सामन्तों और अंग्रेजों की तरह से। तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो भी किया उचित नहीं किया।

१६–१७ साल कांग्रेस के शासन को आये हो गये।

(११. २२ म. पू.)

(रा. श्री नारायण सिंह उपाध्यक्ष, पदासीन हुए)

जनता ने आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की, राजा-महाराजाओं को हटाया, उसने राज्य छीना और आजादी हासिल की। यह आजादी किसलिये प्राप्त की? उसका क्या उद्देश्य था? उन सारी पुरानी गलत बातों को जनता खत्म करना चाहती थी, मनुष्य मनुष्य के बीच का भेदभाव दूर करना चाहती थी। एक या कुछ महलों में बैठ रहें और दूसरे उनकी जूतियों में बैठे रहें, इस अन्तर को समाप्त करना चाहती थी, बराबर का वातावरण पैदा करना चाहती थी। ऊंच-नीच का भेदभाव खत्म करके सबको उन्नति और प्रगति के समान अवसर प्रदान करना आप चाहते थे और जहां पहले राजा-महाराजाओं के अंग्रेजों के सामन्तों के कुत्तों को दूध-रोटी मिलती थी, पर इन्सान को नसीब नहीं थी, उस स्थिति को बदलेंगे, यह कहा करते थे। पर आजादी प्राप्त हुए आज १.६ साल हो गये, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आये १६ साल हो गये, पर फिर भी वह समय अभी नहीं आया है। भुखमरी, बेकारी और परेशानियों से आज भी पिछड़ी जनता वैसे ही त्रस्त है।

कहा जाता है कि संगति का असर बहुत पड़ता है। जैसी संगति इन्सान को मिलती है उसका

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

आचरण वैसा ही बनता है। अब इस सरकार ने ऐसा किया है कि जो शिड्यूल कास्ट व शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को उनके रहने की जो नई बस्तियां शहर या गांवों में बनाई जाती हैं उनको सवर्ण लोगों की बस्तियों से बाहर व दूर बनाया जाता हैं। जैसा पहले सामन्ती युग में किया जाता था; आज भी सवर्ण लोग हमारे संसर्ग से घबराते हैं, हमें अच्छे सभ्य लोगों की संगति में नहीं आने देना चाहते। वे बस्तियां बनाते हैं, पर ऐसी जगह बनाते हैं जहां सभ्य लोगों की हवा न लग सके। यह सरकार की गलत नीति है। सरकार कहती है, हम छुआ-छूत दूर कर देंगे। पर जब स्वयं यह कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्ग को दूर रखना चाहती है तो फिर छूआ-छूत कैसे दूर होगी ? जो रूढ़ियां हैं, पुरानी परम्पराएं पिछड़े वर्गों में है. यह कांग्रेसी सरकार उनको दूर नहीं करना चाहती जिससे वे कुरीतियां दूर नहीं हो सकती हैं क्योंकि सरकार ऐसा वातावरण स्वयं बनाती है जिसमें शहरों व गांवों के विकसित भागों में सवर्ण लोग ही रह सकते हैं और पिछड़ी जाति वाले कोई उनके बीच जगह नहीं ले सकते, वे रहने का मकान नहीं ले सकते, रह नहीं सकते। उनके लिए बस्ती से दूर बाहर मकान हो सकते हैं। तो फिर यह सरकार पिछड़े वर्ग को पिछड़ेपन से कैसे मुक्त कर सकती हैं ? उनमे जो खराब ऐब सदियों से घर कर गये हैं, बिना अच्छे व शिक्षित लोगो के संसर्ग में आये कैसे निकल सकते हैं ? पिछड़े लोग शहरों में मकान का फायदा भी नहीं उठा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करूं कई तरह से सरकार इन लोगों को सुविधा देने के स्थान पर असुविधा ही देती है। ऐसे रास्ते उन को लगा दिया है कि कोई भी पिछड़ा वर्ग किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर सके। इसलिए कहना चाहूंगा कि यह जो अलग अलग बसाने की योजना बनाई है यह उन पिछड़े लोगों के हितों पर कुठाराघात है, इन लोगों को सभ्य नहीं बनने देने की योजना है. उनको नीचे ही दबाये रखना सरकार चाहती है। उनके सभ्य नहीं होने देने के नाते उनके लिए एक प्रकार से पुरानी प्रथा का ही यह नया रूप सरकार सामने ला रही है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। सरकार को चाहिए कि दूर बस्तियां नहीं बसावे, अलग नहीं बसावे, पिछड़े-वर्ग को भी अन्य जातियों के साथ उनके बीच रहने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। अलग अलग बसाने की प्रथा को खत्म किया जावे। मकान हो या टूटा-फूटा झोंपड़ा हो, पिछड़े वर्ग को शिक्षित वर्ग के साथ रखा जावे। यह सबके हित में होगा, इससे संविधान की मंशा की पूर्ति भी हो सकती है और छूआ-छूत मिट सकती है।

दूसरी बात राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पिछड़े वर्ग को कूए बनवाने की बात कही कि १४० पिछड़े लोगों के लिए बनवाये हैं। ये अलग से कूए बना कर व्यर्थ में पैसे का अपव्यय क्यों किया जब कि गांव के अन्दर कुए बने हुए है ? क्या सवर्ण लोगों के कूओं पर शिड्यूल कास्ट के लोग पानी नहीं भर सकते ? आपने यह गलत खर्च क्यों किया ?

आपने इन कूओं को बना कर क्या फायदा किया ? आपने तो पिछड़े वर्ग को अलग रखने की, अलग समझने की वृत्ति को प्रोत्साहन दिया। कौनसा समानता का

(डूंगाराम राजोरिया)

आपका उद्देश्य पूरा हुआ? कांग्रेस की नीति है कि छुआछूत मिटावेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे। यह कौनसा समानता का व्यवहार किया? आपने भी उसी पुरानी प्रथा का समर्थन किया कि पिछड़े वर्ग के अलग से कुआ भले ही बना दें, पर पिछड़े वर्ग गांव के अन्य लोगों के कूओं से पानी आज भी नहीं भर पाते, आज भी वे आपस में हिलमिल कर एक नहीं हो सकते। यह सरकार की क्या नीति है? तो जो लोग सदियों से पिछड़े रहे हैं, आज आप भी उनको सबसे अलग रखने की नीति पर चल रहे है, यह कहां का इन्साफ है? यह कहां का समाजवाद है? मैं समझ नहीं सका।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ाई के सिलसिले में भी कहना चाहूंगा। आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा तो क्या आपने खाक दी है! उसके अन्दर भी आपने एक गलत सी परम्परा उनके अन्दर डाली है। छात्रों के लिए छात्रावास खोले गये हैं; किस लिए खोल दिए? क्या पहले नहीं थे? आपने ऐसे तरीके अपनाये हैं कि ब्राह्मण जो पहले भीख नहीं मांगते थे उनको भी भीख मांगना सिखा दिया। पहले भूखे लोग ही भीख मांगते थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सवर्ण छात्रों को अलग अच्छे छात्रावासों में रखा जाता है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिए छात्रावास आपने अलग रखे हैं, यह कतई उचित नहीं है। इन छात्रों को भी उन्हीं सवर्ण छात्रावासों में रखा जाना चाहिए जिनमें कि सवर्ण दूसरे रहते हैं। उनके लिए अलग छात्रावास बनाकर भी सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उन लोगों को सभ्यता से दूर रखा है। जो लड़के स्कूलों में दो घंटे बैठ कर पढ़ाई पढ़कर, गलत जगह जाकर २२ घन्टे रहेंगे तो वे क्या स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं? क्या आपके बच्चे ही होनहार हैं, ये शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे होनहार नहीं हैं? क्या वे व्यक्ति नहीं है? उनके चार हाथ-पांव नहीं हैं? जैसे औरों के हैं, उनके बुद्धि नहीं है, आप में ही है? लेकिन आपने वातावरण ही ऐसा बना दिया है। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि जो अधिकार आपने पिछड़े वर्ग को दिये हैं उनसे आप हमें वंचित क्यों रखते हैं? मैंने पार्टी के लिए कोई शब्द नहीं कहे। ये आपके ही राइट्स दिए हुए हैं। आपने कहा कि हम आपके साथ यह करेंगे, तो आपने क्यों नहीं किया?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी स्वतन्त्र पार्टी का समय तो समाप्त हो गया। आप कल उठे-बैठे हैं; इसलिए आज समय आपको दिया गया है। अब आप ४–५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया: छात्रवृत्ति के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। छात्रवृत्तियां करीब करीब सरकार शिड्यूल्ड कास्ट के सभी बच्चों को नहीं देती है। आपने ३६०० छात्रों को छात्रवृत्ति देना बताया है जो कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
आधी आबादी होने पर भी उनके लिए आपने केवल ३६०० छात्रों को ही दिया है तो यह आपने छात्रवृत्ति देने का कौनसा तरीका अपनाया है? आपने छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग के १० परसेन्ट लोगों को भी नहीं दी। अब आप ही बतायें कि वे किस तरह से अन्य सवर्णों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बड़ा अन्याय किया है !

श्री डूंगाराम राजोरिया : अन्याय नहीं तो और क्या है ?

कृषि की जमीन के बारे में कल राजस्व मंत्रीजी कह रहे थे कि कृषि के लिए भूमि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इतनी जमीन अलॉट की है और उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता के अन्दर तो उनके नाम आगे रखे जाते हैं, लेकिन उनको भूमि देने का नाम नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कृषि का उत्पादन करने के लिए भूमि दी है और कितने ऐसे लोग हैं जो कि खेती पर निर्भर करते हैं और खेती का काम करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो बातें आप कहते हैं उन के ऊपर आप चलते नहीं हैं। आप कहते हैं कि हम सभी तरह की सुविधायें पिछड़े वर्ग को देंगे तो कौनसी सुविधायें पिछड़े वर्ग को सरकार ने दी है ?

सरकारी सेवाओं के लिए कहूँगा कि सरकारी सेवाओं में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को केवल सेवक ही रखा जाता है, चपरासियों में ही रखा जाता है। जो पहले सेवा करते थे उससे ज्यादा अब पिछड़े वर्ग सवर्णों की सेवा करता है। वह सेवा आपको तो करें ही और घर जाकर और करें .....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में कोई कलेक्टर भी नहीं है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा-सु०): है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक है तो क्या हो गया ?

उद्योग–धंधों के लिए आपने कहा है कि ये भी आपने पनपाये हैं। मैं कहता हूँ कि पिछड़े वर्गों में जिनके उद्योग-धंधे कुछ चल रहे थे उनको भी आपने बन्द करा दिया। आपने चमड़े जैसे धन्धों के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा डाला, जो पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं और इस तरह पिछड़े वर्ग के रहे सहे धन्धे को भी आपने कम कर दिया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह हरिरामजी धारू कह रहे हैं कि मालदार खटीक जाति क्यों उनको कोस रही है ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०): ये खटीक तो चमारों से मेल रखते है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : स्वतन्त्र पार्टी का सदस्य चला गया, उसको भूमि दे दी; तो आपकी जो यह नीति है यह उन लोगों के लिए कुठाराघात है, आप उनके लिए कुछ कह नहीं सकते, आप बिके हुए आदमी कुछ बोल नहीं सकते। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा करते हैं।

(घंटी)

Page No. 55

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

आप पिछड़े वर्ग में भेद–भाव रखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ?

श्री हरिराम धारू (सिवाना–सु०) : पहले छात्रावासों में जहां २५ लड़के पढ़ते थे वहां पर सरकार ने ४०-४० लड़के कर दिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सरकार ने अपनी कुनबा परस्ती का और एक अच्छा तरीका अपनाया है। उससे कई काम हल हो जाते हैं। पहला काम तो यह हो जाता है कि सरकार में इन्कम हो जाती है। जितने अधिकारी वगैरह हैं, जितने भी ऊंची श्रेणी के अधिकारी हैं उनके बंगले बन जाते हैं, उनके लड़कों को ऊंची शिक्षा मिल जाती है। एक बात बताऊं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कहा जाता है कि यहां पर भ्रष्टाचार का नाम निशान नहीं है। लेकिन एक अधिकारी जो दोसौ, तीन सौ रुपये महीने पाता है वह कैसे अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा संस्थाओं में पढ़ा सकता है, ऊंची श्रेणी की शिक्षा अपनी आमदनी से दे सकता है ? लेकिन आज क्या हो रहा है, पिछड़े लोगों को दी गई सुविधाओं से सवर्ण लोग अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिला रहे हैं, ऊंची से ऊंची पढ़ाई आगे से आगे करवा रहे हैं। लेकिन आज उन लोगों की हालत कैसी है? जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वे लोग परेशान हैं........

श्री हरिराम धारू : आपको जानकारी दे सकता हूं कि आज भी हरिजनों के बच्चे एस. डी. ओ. हैं, कलेक्टर हैं और मेहतरों में ही ऐसे ऐसे मजिस्ट्रेट हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार का तरीका शराब का है वह तरीका भी ऐसा है जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की आर्थिक स्थिति को खराब करने वाला है। जो सरकार की शराब बेचने की व्यवस्था है वह भी ऐसी है कि उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि शराब जबरदस्ती पिलाई जाती है। जबरदस्ती करते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा शराब पिला सकते हो पिलाओ। जो लोग ठेकेदार लोग हैं वे घरों घरों में जाकर लोगों को शराब पिलाते हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के घरों में जाकर उनको तंग करते हैं, उनको उधार देते हैं, उनको कर्जदार बनाते हैं। तो इस तरह की आपकी शराब की व्यवस्था है, जिसका मैं विरोध करता हूं। जहां तक उपाध्यक्ष महोदय........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं........

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं जन संघ के माननीय नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके सुझाव के अनुसार हो जो समय का बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक केवल २२ मिनट उनके रह जाते हैं। अब उसमें जिस प्रकार से भी संतुलन बैठाना चाहें वे बैठा लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर गत तीन दिन से वाद-विवाद चल रहा है। सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने इस राज्य की अनेक गम्भीर समस्याओं की ओर राज्य का ध्यान आकर्षित किया है, उन समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र का जब से प्रारम्भ हुआ है, या मैं यों कहूं कि इस सन् १९६६ का साल जब से लगा है तभी से दुर्भाग्य से इस देश में कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कई घटना-चक्र ऐसे हो रहे हैं जो हमारे देश, हमारे लोकतंत्र और हमारे भविष्य की दृष्टि से काफी चिन्ताजनक हैं। साल के प्रारम्भ में हमने हमारे देश के स्वर्गीय प्रधान मंत्री, लालबहादुरजी शास्त्री को खोया। २४ जनवरी, १९६६ को देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और अणु शक्ति संस्थान के अध्यक्ष, श्री भाभा को हमने खोया। इतना ही नहीं देश के बहुत बड़े क्रान्तिकारी और स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानी, वीर सावरकर को हमने खोया। उस समय आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले और बड़े अच्छे शिक्षा शास्त्री, पूना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर काका गाडगिल को भी हमने खोया। हमने अपनी सेना के बड़े अधिकारियों को भी खोया। इस सदन के एक साथी को भी खोया और इस प्रकार से एक बड़ा भारी प्रहार इन घटनाओं का देश पर होता रहा।

इतना ही नहीं, देश के अन्दर पिछले दिनों में लोकतंत्र की दृष्टि से जो घटनाएं घटित हो रही हैं वे और भी भयावह हैं। लोकतन्त्र के प्रहरियों को उस दृष्टि से जागरूक होना क आवश्यक है। दुर्भाग्य से हमारे सदन में भी साधारण सी घटना को लेकर जो उसका उग्र रूप बन गया, जिसकी मैं अधिकांश जिम्मेदारी शासन की मानकर चलता हूं वह भी कोई अच्छी बात नहीं थी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम पिछले तीन दिनों से वाद-विवाद कर रहे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से याद है कि २८ फरवरी, को जिस समय श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बाधा डालने के सम्बन्ध में इस सदन में विचार हो रहा था, मान्यताओं और मर्यादाओं की हम बात कर रहे थे, यह शासन कितना निकम्मा है, राज्य की मान मर्यादाओं को किस सीमा तक सुरक्षित रखते हैं इसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल महोदय की मान और मर्यादा यह शासन किस सीमा तक सुरक्षित रख रहा है इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं कुछ देर के बाद रखूंगा कि वह कितनी भयावह घटना है और कैसा हमारा कानून का शासन है।

दुर्भाग्य से वही हमारा राज-घर, वही राज भवन और उन राज्यपाल महोदय, जिनको हम इस सदन की प्रतिष्ठा का मूर्त-स्वरूप मान कर चलते हैं और जिनके सम्मान में हमने सदन में ऐसा कदम उठाया, जो शायद पिछले लोकतन्त्र के इतिहास में, हिन्दुस्तान में भी कहीं नहीं उठाया गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये सारी मान और मर्यादाएं सदन तक ही सीमित हैं। राज भवन के बाहर होने वाली घटना की ओर सरकार किस प्रकार आंख मींच कर चलती है, वह सरकार किस प्रकार से लोकतंत्र की मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकती है? घटना अत्यन्त गम्भीर है, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं यह बताना चाहूंगा कि शासन में किस प्रकार से कोई चोरियों की बात आती है, कोई डकैतियों की बात आती है, कोई अपराधी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की बात आती है तो कांग्रेस के ही माननीय सदस्य शिकायत किया करते हैं कि चोरियां लिखी नहीं जाती हैं, चोरियों की घटना लिखी नहीं जाती हैं, जितने भी अपराध हो जाते हैं लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जो श्रीमान् राज्यपाल महोदय की मान-मर्यादाओं की ओर उनकी प्रतिष्ठाओं की दृष्टि से हमने इस सदन में उनके अनुकूल व्यवहार किया, हमने जो कुछ उस दिन किया वह लोकतंत्र को जिवित रखने की दृष्टि से किया, इसके लिए भले ही हमें कोई गाली दे, चाहे कोई हमें शासन से मिला हुआ कहे, किन्हीं शब्दों में गाली दे, लेकिन भारतीय जन-संघ अपना पुनीत कर्त्तव्य मानता है कि भारत में जन-तंत्र को जीवित रखने के लिए, भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजूबत करने के लिए और भारतीय जनतंत्र के महल की ईंटों को न उखड़ने देने के लिए भारतीय जनसंघ अपना कर्त्तव्य मानता है कि देश में अराजकता न हो, लोकतन्त्र की मर्यादाओं का पालन हो और इनकी रक्षा करने के लिए भारतीय जन संघ के कार्यकर्त्ता डट कर प्रयास करते रहेंगे और जब जब भी ऐसी घटनाएं होंगी उनका डट कर मुकाबला करते रहेंगे। और इसी भावना से हम ये सारी शान और मर्यादाएं और ये सब प्रकार की बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप राज्यपाल महोदय की सारी मान-मर्यादाओं का रक्षण क्या इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को निष्कासित कर ही करना चाहते हैं।

राजभवन के सम्बन्ध में जब जब भी मामले उठाए गए आज से पहले भी और अनेक बार जब जब भी उनका ध्यान दिलाया गया, उपाध्यक्ष महोदय, राजभवन के मामलों की तरफ तो उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच करेंगे। लोगों ने इस सदन में राजभवन के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए हैं और मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर मैं अर्ज करता हूं कि राजभवन को शराब जो उन्हें दस-ग्यारह रुपये में मिलती है और जो बाजार में लोगों को सौ-सौ रुपये में मिलती है उसका किस तरह से ब्लेक होता है? राज्यपाल महोदय के नाम पर, राज भवन के नाम पर आने वाली शराब, एक्साइज ड्यूटी से फ्री शराब किस प्रकार दुकानदारों को बेची जाती है। इससे गम्भीर बात और नहीं हो सकती, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बाधा डालने की बात इतनी गम्भीर नहीं हो सकती जितनी यह बात हो सकती है जिसके बारे में हिन्दुस्तान के लोग सुनेंगे कि राज-स्थान के राज्यपाल महोदय के घर में ऐसा स्मगलिंग होता है, जहां ब्लेक होता है। अगर कोई काला बाजारी और तस्करी होती है, कोई बेईमानी और झूंठ होती है तो वह राज्यपाल के घर में होती है। कोई अगर कानून का राज्य नहीं है और अराजकता की स्थिति है हिन्दुस्तान में तो वह राजस्थान के राज्यपाल महोदय के घर में है, वह राजभवन में है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर सड़क पर चलने वाला आदमी किसी से छेड़खानी कर ले तो उस पर मुकदमा बन जाता है। आज कोई भी आदमी किसी के साथ छेड़छाड़ कर ले तो अनेक घटनाएं हो जाती हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह कानून का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राज्य है ? यह कोई कानून का राज्य है ? कोई आदमी मोटर में जाय, यह आम बात है। मैं ज्यादा इस सम्बन्ध में नहीं कहूंगा। लेकिन कोई मोटर में बैठ कर जाय। रात्रि का समय हो, सूनी सड़क हो, सुनसान रास्ता हो, खेत का किनारा हो, साथ में कोई बैठा और बैठी हो, खेत में चने जायं और लोगों ने पकड़ लिया और मरम्मत करने लगे तो कह दें कि मारते क्यों हो, थाने में ले चलो और थाने में ले जाने के बाद मुकदमा रजिस्टर न हो। राज्यपाल को मालूम हो जाय कि यह किया है। यह सारी घटना एक साधारण नागरिक या छोटा सा नहीं करता। अगर कोई साधारण नागरिक करता तो हम उसको नजरअंदाज कर जाते। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस २८ फरवरी को सदन में मर्यादा भंग होने की दुहाई देकर, राज्यपाल की प्रतिष्ठा को दुहाई देकर सदन के उन सदस्यों को जो एक एक लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सदन से निष्कासित करने की कार्यवाही करते हैं, सिद्धान्त की दुहाई देकर सदन में वाद-विवाद करते हैं उसी २८ तारीख की काली रात्रि को उन्हीं राज्यपाल महोदय के सैक्रेटरी किसको लेकर घूम रहे थे ? किसकी गाडी थी? क्यों घूम रहे थे ? क्या कोई तार आये थे राज्यपाल के नाम पर या डाक आई थी, जिसका डिस्पोजल कर रहे थे खेत में बैठ कर। जब उनको पकड़ कर थाने में लाया गया तो केस दबा दिया गया। राज्यपाल को मालूम पड़ गया। लोकतंत्र में कानून का संरक्षण जिस राज्यपाल के हाथ में है, उनके कान में यह बात पहुँच जाय तो चाहिये तो यह था कि फौरन फोन उठाकर केस रजिस्टर करवाते, सैक्रेटरी को मुअत्तिल करते; लेकिन न राज्यपाल ने केस रजिस्टर करवाया, न सरकार ने केस रजिस्टर किया। जिन्होंने कल संकेत किया था वे सदस्य मौजूद नहीं हैं गवाही चाहिये तो वे दे सकते हैं, उनको इसकी जानकारी है। उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया, अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। राज्यपाल के खिलाफ दो शब्द कहना गैर कानूनी नहीं है, मगर ऐसी घटना राज्यपाल के नोटिस में आ जावे और वे आंख मींच कर बैठ जावें, इससे ज्यादा बात कोई हो नहीं सकती। राज्यपाल ने कानून का उल्लंघन किया है। राज्यपाल जो विधान सभा द्वारा पास किये गये कानून पर मुहर लगाते हैं, विधान सभा द्वारा पास किया हुआ कानून नहीं बनता, जब तक राज्यपाल उस पर मुहर नहीं लगा दे। ऐसे कानून पर मुहर लगाने वाला, सारे अपराधों को रोकने वाला, दंड की व्यवस्था करने वाला आदमी, उसके घर में अपराध हो, घर वाले अपराध करें, उसको मालूम हो जाय उस पर भी केस रजिस्टर न हो, इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की कोई बात नहीं हो सकती, इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में बातें बहुत हैं, लेकिन मैं इन सारी सूगली बातों को सदन में नहीं रखना चाहता ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : रख तो दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह बड़ी गम्भीर घटना है, नहीं तो नहीं रखने वाला था; वर्ना पूछिये मालियों से, पूछें कॉलेज के विद्यार्थियों से, सैक्रेटरी के मारे कितने परेशान हैं; दम तोड़ रहे हैं, आदतें बहुत बुरी है, कहना नहीं चाहता, आप जांच कीजिये। जांच करेंगे तो कुछ तस्वीरें मैं भी लोगों से मांग कर ला दूंगा। लेकिन आप जांच तो करिये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्या आपको मालूम नही है कि सेक्रेटरी साहब के यहां गलीचे का कारखाना नहीं है, फिर भी गलीचा बेचा जाय, सैकन्ड हैंड नहीं था, नया था तो कहां से लाये, कोई पूछने वाला नहीं है। शराब का कोई हिसाब नहीं है. मोटरों का कोई हिसाब नहीं है, गाड़ी कहां जाती है, कहां नहीं उनकी कोई लॉग बुक्स नहीं हैं। गाड़ियां मूर्तिकारों के यहां घूमती रहती हैं। राजभवन की तस्वीरें बिकती हैं, तस्वीरों में घोटाला मिलता है, राजभवन के नाम पर घोटाला होता है। हम सरदार गुरुमुखनिहालसिंहजी के समय में सदन में मामला उठाना चाहते थे, तब आपने हस्तक्षेप किया था और कहा था कि हम जांच करायेंगे, इसलिये हमने वह मामला यहां पर नहीं उठाया, लेकिन अफसोस है कि आपने आश्वासन का पालन आज तक नही किया। या तो आप यह कहियेकि झूंठे आश्वासन आप सदन में देते हैं, उनका पालन नही कर सकते।

कोई सदन में मामला उठाता है कि हरिदेवजी जोशी ने गलत तरीके से जमीन दबाई, आपने उस समय आश्वासन दिया था कि जांच करायेंगे, एक दूसरा कांड उठाया था उस समय कहा था कि जांच करायेंगे, लेकिन कहां है आपकी जांच की रिपोर्ट? ये आप जो झूंठे आश्वासन देते है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान की परम्परा को तोड़ना चाहते हैं, सदन में आश्वासन देकर उसका पालन नहीं करते।

मैंने डांगीजी के बारे में कांस्टिट्यूशनल आस्पेक्ट से पोइन्ट उठाया था जो राजनैतिक आस्पेक्ट से नहीं था जिस समय सन् १९६५ में सरदार प्रतापसिंहजी कैरों का मर्डर हुआ था उस समय डांगीजी के बारे में राजनैतिक नहीं, लीगल मामला उठाया था उस समय आपने कहा था कि हम जांच करायेंगे, सदन को आपने आश्वासन दिया था; कहां है कानूनी जानकारी? मामले की जांच करवाई है तो कहां है उसकी रिपोर्ट? सदन में कोई बात उठती है उसको दबाने के लिये, शान्त करने के लिये पिचकारी छोड़ देते हैं कि जांच करवायेंगे ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि ये सदन को कितना विश्वास में लेते हैं। केवल आपकी बदनामी न हो, लोग यह कहने लगें कि सरकार कितनी जागरूक है, कमेटी बैठाकर इन्क्वायरी कराने को तैयार है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को दिया गया आश्वासन और विश्वास पूरा नहीं करें, इससे ज्यादा विश्वास-घात दूसरा हो नहीं सकता। आपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि राज्यपाल की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो तो उस आदमी को हटाओ, वहां से जो दस-दस साल से वहां पर बैठा है, आपका कर्मचारी है, उसके खिलाफ इस प्रकार की एक बात नहीं आप चाहेंगे तो अलग से बात करके घटनाओं की जानकारी दी जायगी। मैं राज्यपाल को छोटी-छोटी बातों में यहां लाना नहीं चाहता, केवल एक घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

राज्यपाल ने यहां पर भाषण दिया, राजस्थान में जन-जीवन का चित्र क्या है। आज पंजाब में क्या होगा, वहां पर लोगों के हृदय में आग सुलग रही है। पंजाब का क्या होगा, हरियाणा कैसे बनेगा, पंजाब के टुकड़े होंगे, वहां पर आत्माहुति की तैयारी हो रही है, संघर्ष की तैयारी हो रही है। इसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ने वाला

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। क्या कहा राज्यपाल ने इस बारे में ? क्या सोच रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है ? राजस्थान का अंग-विच्छेद नहीं किया जाय। गंगानगर जिले का क्या होगा ? क्या हरियाणा बनेगा तो सीकर, झुन्झुनू और भरतपुर जिले नहीं जायेंगे ? एकीकृत राजस्थान के टुकड़े तो नहीं हो जायेंगे ? सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप इस तरह की चीज की तरफ क्या इशारा करना चाहते हैं ? इस तरह की चर्चा चलाना कहां तक राजस्थान के हित में है ? राज्यपाल इसको क्यों लाते ? राजस्थान एक युनिट है उसके बारे में इस तरह की चर्चा है नहीं, फिर इसको कौन चलाना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : (श्री सतीशचन्द्र की ओर संकेत कर) आप चलाना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको लाइटली मत लीजिये। उन्होंने बात पूछी है, उसको समझिये। मैं अगर कहूंगा तो विषयान्तर होगा और फिर दिन भर आपको छोड़ूंगा नहीं। I do understand things.

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी तरह से काम नहीं करते....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Please take your seat.

(१२.०० मध्याह्न)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर संकेत किया है वह बात भी गम्भीर है। मैं कहना चाहता हूं कि आज यह चर्चा चलने लगी है, इन जिलों में चर्चा चल रही है, लोग-बाग पंजाब और हरियाणा आन्दोलन की चर्चा करने लगे हैं और पंजाब में हरियाणा सूबे की मांग की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, इसलिए चुप नहीं बैठ सकते हैं कि उनका असर हमारे प्रान्त पर भी पड़ने वाला है। यहां के लोग सम्मेलनों में जा रहे हैं; भरतपुर, सीकर और गंगानगर के लोग जा रहे हैं। यह बात दूसरी है कि वे थोड़े लोग ही हैं, लेकिन यह भी गम्भीर बात है और जो इस तरह पंजाबी सूबे को या हरियाणा प्रान्त की आवाज लगाई जा रही है हम उसको कन्डेम करते हैं, हम उसकी निन्दा करते हैं और हम इसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। हम यह मांग करते हैं, यह मेरी मांग है कि राजस्थान राज्य के स्वरूप में ही रहे, राजस्थान की जो एकता है वह वैसी ही रहे, इसका कोई भी टुकड़ा कहीं पर भी नहीं जायगा, इसका कोई टुकड़ा कहीं पर भी नहीं जाने देना चाहिए और इसका हम सबको मिल कर विरोध करना चाहिए !

अब पंजाबी सूबे की मांग हो रही है, आन्दोलन हो रहा है, उसमें हमारे यहां के आदमी जाते रहें और सरकार सोचे कि इसका हमसे सम्बन्ध नहीं है और सरकार सोती रहे। लेकिन मेरा निवेदन है कि कहीं ऐसा न हो कि सब-कमेटी और केन्द्र का जब निर्णय हो जाय, उस समय आपकी आंख खुले और फिर आप कहें कि यह क्या हो गया, यह तो केन्द्र का निर्णय हो गया है, हम क्या कर सकते हैं ? इसलिए हम विरोध करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान का कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टुकड़ा न हरियाणा प्रान्त में जायगा और न पंजाबी सूबे में जायगा। पंजाबी सूबे की जो कुछ समस्या है वह पंजाब की है और वे ही उसको निपटायें। लेकिन हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और इसीलिए ही हमने उसका विरोध किया है।

जहां तक राजस्थान की एकता का प्रश्न है उसको हमें बनाये रखना है। हमारे राजस्थान के स्टेटस को में कोई भी अन्तर नहीं आना चाहिए। कहीं सरकार की अयोग्यता के कारण राजस्थान का इन परिस्थितियों से अहित न हो जाय, इस बात की चेतावनी देने के बाद भी जो राजस्थान को हड़पने की हरकतें की जा रही हैं, जो साजिश की जा रही हैं, जो षड्यंत्र किया जा रहा है उनसे कोई इस प्रकार की कार्यवाही हो जाती है तो उस सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हुई तो सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से आज जिस प्रकार की सम्पूर्ण देश में स्थिति पैदा हो रही है उससे अलग हम अपने को समझ कर नहीं बच सकते। आज सीमा—सुरक्षा के मामले में राजस्थान सरकार कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, यह केन्द्र का मामला है। कल जो यहां माननीय सदस्य ने तथ्य रखे, उनको मैं दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन यह कहना कि यह केन्द्र का मामला है, हम क्या कर सकते हैं, हम दोषी नहीं हो सकते हैं, गलत है। मेरा निवेदन है कि यह केन्द्र का मामला है, लेकिन वह सारा मामला नहीं है, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है।

ताशकन्द का समझौता हो गया, मुझे दुःख इस बात का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ताशकन्द समझौते के मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ताशकन्द का जो समझौता हुआ है उसका हमने विरोध किया है और काफी सम्भावनायें प्रगट की हैं अपने सतरह-अठारह साल के अनुभवों के आधार पर। सन् १९४८—४९ में काश्मीर के अन्दर घुसपैठिये घुस आये, सशस्त्र कबाइलिए घुस आए और काश्मीर के एक तिहाई भाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मई, १९६५ में कच्छ के ऊपर हमला हुआ और उसका मामला आज तक चल रहा है। इसके बाद में नौ सितम्बर को फिर हमारी सीमाओं पर हमला हुआ। ये सब तथ्य हैं जिनकी भूमि पर, जिनके आधार पर भारतीय जनसंघ पाकिस्तान की सारी मनोवृत्ति की निन्दा करता है। हम इसलिए नापसन्द करते हैं कि भूतकाल में जो आशंकायें थीं वे सही प्रगट हुई हैं और भगवान न करे भविष्य में हमारी आशंकायें सही हों। हम किसी संघर्ष में फंसना नहीं चाहते, हम शान्ति से रहना चाहते हैं, लेकिन हम ताशकन्द समझौते के अनुसार व्यवहार करते रहें, हम चुपचाप बैठे रहें, अपनी सारी एक्टीविटीज को बन्द कर दें, यह समझ लें कि ताशकन्द समझौता हो गया है, अब कुछ नहीं होगा और ऐसा रुख अख्तियार कर लें जैसे मिलट्री और आर. ए. सी. को डिसबैण्ड करना चाहते हैं—मैं समझता हूं कि यह स्पिरिट गलत है; यह स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की एक्टिविटीज, पाकिस्तान का बिहेवियर, पाकिस्तान का व्यवहार जो है उस पर विचार करना होगा; तब जाकर अपनी नीतियों का निर्धारण करना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होगा। वे नीतियां इसलिए भी निर्धारित करने की आवश्यकता है कि हम देखें कि आज पाकिस्तान ने क्या किया है ? हमने जितने पाकिस्तान के आदमी लौटाये हैं वे सही सलामत लौटाये हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारे आदमी लौटाये हैं वे सही सलामत नहीं लौटाये हैं, वे उसने मुर्दा लौटाये हैं। जब हमने उनके जितने आदमी लौटाये हैं वे जिन्दा लौटाये हैं, लेकिन उसने हमारे आदमी हमें मुर्दा लौटाये हैं।

इसके अलावा राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर मुनाबा स्टेशन, जिस पर उसने कब्जा किया था, से रेल की पटरियां उठा कर ले गये। इसके विपरीत हमने अपनी सीमा के आस-पास जिस जमीन पर कब्जा किया, उस को बिल्कुल बरबाद नहीं किया, हमने मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि हम मनुष्य के जीवन की कीमत जानते हैं और हमारी यह परम्परा रही है। लेकिन पाकिस्तान का यह सारा व्यवहार रहा है, आज की तारीख में भी उसने मुनाबा के स्टेशन को बरबाद कर दिया, पाकिस्तान और राजस्थान सीमा से लगे हुए जितने कूए है उनको बरबाद कर दिया है, उनको तोड़ दिया है, उनके अन्दर जहर गिरा दिया है। घरों को तोड़ कर बरबाद कर दिया है, प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया, आगजनी की है और सारे के सारे का स्वाहा कर दिया है। ताशकन्द समझौते के अनुसार शान्ति न रख कर यदि वापिस पाकिस्तान राजस्थान की सीमा में घुस आये तो क्या सरकार कहेगी कि यह केन्द्र की जिम्मेवारी है। आपकी सीमा पर जो रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा का भार केन्द्र पर मत डालिये। राजस्थान-पाकिस्तान की सीमा पर रहनेवाले जो नागरिक हैं और वहां के जो पंच, सरपंच और प्रधान हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है और जो उस वक्त पाकिस्तान चले गये थे, वे या तो राजस्थान आयें नहीं और अगर आयें तो उनको फिर बसाया जाय।

तो क्या गारंटी है कि फिर हिन्दुस्तान पाकिस्तान का संघर्ष हो जाय तो वे फिर धोखा नहीं देंगे और जो हमारी सीमा के उनके कब्जे में जाने से हम पर कलंक लगेगा, उसको क्या सरकार बर्दाश्त करेगी ? हमारे यहां के लोग पाकिस्तान चले गये, हमारे यहां के लोगों ने हमको धोखा दिया है—जीवन जाट के कहने के अनुसार, जो उसने बयान दिया है, उसके अनुसार जो जो सरपंच, पंच और प्रधान— ये पंचगामी देश की बेइज्जती करा कर देश को छोड़कर चले गये। ऐसे सम्पूर्ण पंचगामी लोगों ने हिन्दुस्तान-पाकिस्तान संघर्ष में हिन्दुस्तान के साथ धोखा किया है। और जो हिन्दुस्तान की भूमि को छोड़कर चले गये, उनके सम्बन्ध में मैं मांग करना चाहता हूं ऐसे पंचगामी लोगों को, जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज में भाग लिया है, राजस्थान की सीमा में नहीं घुसने दिया जाय। उसके लिए सरकार पर कितना ही दबाव डाला जाय, आपको यह कहना चाहिए कि हम उन्हें नहीं आने देंगे, ताशकन्द समझौते की यह भावना नहीं है। फिर आखिर आपको क्या करना होगा ? मैं यह भी कह देना चाहता हूं। ऐसे जो भी पंच, सरपंच और प्रधान थे, जो इन सब देशद्रोही घटनाओं में लिप्त थे और जो पाकिस्तान चले गये, इन पर सरकार मुकदमा चलाये। अब अगर सरकार उन पर मुकदमा नहीं चलाये और उनको सीमा में आने भी दे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो मैं कम से कम पंचायत मंत्री को यह कहता हूं और उनसे मांग करता हूं, और मुख्य मंत्री जी आप से कहता हूं कि कम से कम साधारण नागरिक से ज्यादा जिम्मेदारी पंच, सरपंच और प्रधान की है, उन्हें देश के प्रति वफादार होना चाहिए जो राजस्थान के निर्वाचित लोग हैं। उन्होंने गद्दारी की है तो आप कम से कम महरबानी करके पंचायत के कानून में संशोधन लाइये, आखिर २ मिनिट बोलने पर निलम्बित कर दिया जाय इस विधान सभा के सदस्य और देश के साथ गद्दारी करने वाले पंचायत के प्रधान, पंच और सरपंच, आज भी प्रधान, पंच और सरपंच बने रहें–तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती इस सरकार के लिए! मेरा निवेदन है कि उनको इमीजियेटली सस्पेन्ड करना चाहिए।

सीमा-सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का महत्वपूर्ण काम है जिसके संबन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार यह सोचकर न चले कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अगर आपकी जिम्मेवारी नहीं थी तो आप सीमावर्ती आगामी क्षेत्र पर क्योंकर गये थे? आखिर आर०ए०सी० आपकी है, पाकिस्तान राजस्थान का बोर्डर आपका है, उसको डिफेन्ड करना आपकी जिम्मेवारी है, तो आपको सोचना होगा, यदि केन्द्र की जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। मेरा निवेदन है कि अपनी जिम्मेवारी से अलग होने की बात सोचना एक ट्रीजन एटीट्यूड (Treason attitude) है। We are one in defence efforts; सुरक्षा के मामलों में सम्पूर्ण देश एक है। यहां की और केन्द्र की सरकार है, यह भी कांग्रेस सरकार है और वहां भी कांग्रेस सरकार है– इसलिए जवाबदारी को टालने से काम नहीं चलेगा। हमें सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो सड़क का मामला है, संचार-साधनों का मामला है, पानी का मामला है– ये सब सवाल हैं, इनके लिए टोप प्रायोरिटी बोर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए राजस्थान सरकार को देनी चाहिए। राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि दे और राजस्थान सरकार को अपनी पूरी शक्ति बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेन्ट पर लगानी चाहिए। जो आशंकायें हैं वे सच हों या नहीं, लेकिन जैसी कि संभानायें हैं, इसके अनुसार यदि कभी फिर घटना हो गई, तो फिर कहीं ऐसा न हो जाय कि फिर आपको भाषण देना पड़ेगा–अगर कहीं हवाई जहाज, सेवरजेट आयेंगे तो जोधपुर पर बम्ब नहीं गिरेंगे, सेवरजेट गिरेंगे। यह कहने का मौका न लगे कि जब फिर ऐसी समस्या खड़ी होगी तो सेवरजेट गेरे जायेंगे, जैसे अमृतसर में गिरे हैं। यह कहने का मौका नहीं हो कि अब की आयेंगे तो गेरेंगे। यह कहने का मौका न मिले कि अब को मार तो देखूं। मार खाने के बाद यह कहने का तरीका कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब की आयेंगे तो गेरेंगे। अब क्यों नहीं गेरें? अब क्यों वहां हमला होता रहा? अमृतसर में सेवरजेट ऐसे गिराये हैं जैसे पतंग काटी जाती है। तो आप जोधपुर में ऐसे क्यों नहीं गेर सके? वहां पर एन्टी एअर क्राफ्ट गन की व्यवस्था नहीं थी। वहां पर····

श्री ज्वाला प्रशाद शर्मा : ग्रान ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, सर, मेरा निवेदन है कि

Page No. 64

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ऐसी मिसाल ये जोश में दिये चले जा रहे हैं, लेकिन मैं सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि यह सारे देश के डिफेन्स का, पूरे देश के डिफेन्स का मामला है। यहां की स्ट्रेटेजी और वहां की स्ट्रेटेजी का मामला है, इसमें पर्टीक्यूलर जोधपुर का मामला नहीं है, केवल जोधपुर से ताल्लुक नहीं रखता है। यह पूरे देश के बोर्डर की सुरक्षा की स्ट्रेटेजी है और उसका कमाण्ड हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें जोधपुर की परवाह नहीं है, हमें किसी शहर की परवाह नहीं है, लेकिन हमें पूरे मुल्क की सुरक्षा की परवाह है....

श्री श्रवण लाल (हिन्डोन-सु०) : आपको किसी की परवाह नहीं है, हम और क्या कह रहे हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खेल खिलौना नहीं है सेवरजेट ? झुंझुना ले लो और खेलो। अपने हाथ में झुंझुना ले लो।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : राजस्थान की जिन्दगी को आग की भेंट कर दिया, आपने आग की लपेट में झोंक दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि नसीराबाद में पानी न मिले तो आप भूख–हड़ताल करने को तैयार हैं और जब जोधपुर के बारे में कहते हैं तो कहते हो कि जोधपुर की परवाह नहीं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : किस बात में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारी बातों में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पानी की बात है, किसी बात में किसी शहर की बात नहीं। सेवरजेट नहीं गिरता है, उसका किसी शहर को पानी नहीं मिलता है–यह दोनों काम सरकार न करे–तो आपको कहने का अधिकार है, लेकिन यह कहना और कम्पेरिजन करना एक बचकाना कम्पेरिजन करना है। मैं सेवरजेट के लिए जोर से कहता हूं कि अगर सरकार यह सारा काम चलाती और सारा कमाण्ड हमारे हाथ में चलता तो केवल सेवरजेट ही नहीं गिरता, बल्कि सबको गिराने की स्थिति में हम होते तो बराबर गिराते। यह सारे देश की स्ट्रेटेजी का सवाल है और सारे देश के लिए एक साथ विचार करना चाहिए।

श्री जोधसिंह चौहान : इस तरह भाग कर आये। इस तरह न आते, अगर देश का ख्याल होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तुम्हारी तरह कि तालियां बजाओ मुए भाग जायेंगे, तुम्हारी तरह नहीं सोच सकते।

श्री श्रवणलाल : आप उन्हीं में से हो, जिन्होंने तालियां बजाई हैं। आपने तालियां बजाई हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : भांडों की याद आ रही है जो ताली बजाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : तुम्हे बचकाना मानते हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं जिस गम्भीरता के साथ इस प्रश्न को रख रहा था,

मुझे अफसोस इस बात का है....

Page No. 65

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समय के लिए जरा ध्यान रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज की कार्यवाही ८।। बजे शुरू हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ८ बजे हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ८।। बजे शुरू हुई है, आपको मालूम नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : आप यहां पर उस समय उपस्थित नहीं थे, इसलिए आपको मालूम नहीं कि किस समय मीटिंग हुई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे कोई आपत्ति नहीं है. मैं बैठ सकता हूं। मैं बहुत बोलने का उत्सुक नहीं हूं मैं कुछ मुद्दे हैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं, अगर समय दिया जाय, अन्यथा मैं बैठ सकता हूं। मैं समझता हूं कि ज्यादा समय तक भी बैठ सकते हैं। और मैं यह समझता हूं कि ५ बजे के बजाय ६ बजे तक सदन की कार्यवाही हुई है और १० बजे तक चल सकती है, तो मैं नहीं समझता कि १० मिनट और मुझे दे दिये जावें तो कोई बड़ी बात होगी। अगर आपके आदेश हों तो मैं बैठ सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं यह निवेदन करूंगा कि आप फिर भी समय का ध्यान रखें। आप बोलिए।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि आखिर हमारी यह जिम्मेवारी है और जनता भी यही कहती है कि हमारे जो शासन चलाने वाले हैं उनकी यह जिम्मेदारी है और उनका काम है। आज डेमोक्रेसी में आप यह कह सकते हैं कि हम लोग मेजोरिटी में हैं, हम कुछ भी चाहें कर सकते हैं। २०० मरे जहां पर, वहां और मरे तो क्या फिक्र है। इसमें कोई सत्यानाश नहीं होगा। सरकार आज प्रबन्ध नहीं कर सकती तो केन्द्र पर जिम्मेदारी डाली। हम केन्द्र पर इसके बारे में दबाव डालें। हम जिस मसले को लेकर वहां पर गये, सरकार को चाहिए था कि वह भी वहां पर पूरा प्रबन्ध करती। हम वहां पर क्यों गये ? मैं यह कहूंगा कि अब बम्बार्डमेंट जोधपुर आदि पर होता है तो जोधपुर से लोगों को भागना पड़ता है। जिस समय बंबार्डमेन्ट हुआ उस समय बड़े से बड़े लोग वहां से भाग खड़े हुए; वहां पर कोई कम बंब नहीं गिरे ४०-४० बम्ब गिरे। यहां तक कि मैं तो यह कहूंगा कि राज्य के मंत्री तक जोधपुर छोड़ कर भाग गये।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : हम तो वहां से भागे नहीं थे। हम तो वहां पर काम कर रहे थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बतावें कि कौन से मंत्री ये जो भाग गये।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आप यह चाहते हैं कि मैं उन मंत्रीजी का नाम बताऊं मैं कभी उनका नाम नहीं बताऊंगा। आप यह चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर का नाम लूं। मैं नाम लेना नहीं चाहता।

श्री माथुरामजी साहब, आप तो कोई न कोई बदला का निकालना चाहते हैं। आपके दिल पर चोट लगी है, उसको मैं पहिचानता

(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं। मैं यह कहूंगा कि आपके साथ जो बीती है, भगवान् किसी के साथ न बिताये। लेकिन मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि सुखाड़िया साहब ऐसे आसानी से नहीं जाने वाले हैं। नाथूरामजी साहब, ये तो सबको, एक एक को घिस-घिस कर मारने वाले हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो अपना भाषण समाप्त करिये। इसकी चिन्ता आप न करें। एक तो आपके रामकिशनजी.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और उनका अन्त भी आ रहा है। आप यह कहते हैं कि आपके लिये सब यह चिल्लाते हैं कि आप कहीं मत जाओ और सुखाड़ियाजी कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं।.......

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो लड़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लड़ने वाले नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सबकी हालत डावाडोल हो गई थी। आप चाहे कुछ भी अब कहिये। 'मुझे जीने दो' का एक गाना है जिसमें कहा गया है कि "नदी नाले न जाइयो श्याम पैया पडूं" उस वाली हालत है। वही हालत दामोदरजी और हरिश्चन्द्रजी की और नाथूरामजी व कुम्भारामजी की है। मैं उन सारी बातों पर जोर नहीं देना चाहता। आप यह कहेंगे कि आपसे नहीं हटने वाले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये आप से नहीं हटेंगे। हमें अगर हटाना होगा तो हम हटायेंगे। पूरी ताकत से हटायेंगे, जनता के बल पर हटायेंगे और लोकतन्त्र के आधार पर हटायेंगे। सुखाड़ियाजी, आप कहते है कि विधान सभा के सदन के विरोधी दल आपस में एक हो रहे हैं, उसके लिए आप कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि समाजवादी दल मिल रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि जो होना है वह होकर रहेगा उसको कोई नहीं टाल सकता। शास्त्रीजी की मौत नहीं टल सकी, भाभा की मौत नहीं टली। आपको भी जाना ही होगा। अगर आज नहीं तो कल, आज ६६ में नहीं तो आपको ६७ में सुखाड़िया साहब राजस्थान से जाना होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको उस समय रोक सकें। यह सब होनहार है, होकर रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि जम्मू और कश्मीर में जो सेनायें लड़ने के लिए हैं वे हमारे यहां पर रेगिस्तान में आकर सफल हो सकती हों, यह बात नहीं है क्योंकि वहां पर पहाड़ हैं तो यहां पर रेत के बड़े बड़े टीबे पहाड़ के रूप दिखाई देते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां पर रेगिस्तान में सीमा-रक्षा के लिए डेजर्ट डिविजन अलग से बनाया जावे। राजस्थान का स्क्वेड्रन बने या नहीं, लेकिन राजस्थान की सीमा रक्षा के लिए डेजर्ट डिविजन अवश्य बनना चाहिए। जिसमें उनको डेजर्ट में किस प्रकार लड़ाई हो सकती है उसका अनुभव हो और उससे राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा रह सके इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज शासन कांग्रेस का है, राज्य कांग्रेस का है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस लोगों में क्या यह भावना पैदा करना चाहती है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि कांग्रेस और राज्य चुनावों में जिस प्रकार चलते हैं वैसे ही चलना चाहिए ? क्या आप यह चाहते हैं कि जनता यह समझे कि कांग्रेस की हुकूमत है और जो संगठन की तरफ से अभी जलसा हमारे यहां पर हुआ वह कांग्रेस का जलसा हुकूमत का जलसा है ? अगर आप इस आइडेन्टीफिकेशन पर चलना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप लोकतन्त्र की नींव को खोद रहे हैं । हमसे लोगों ने कहा कि यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, काले झण्डे दिखाओ, प्रदर्शन करो ताशकन्द समझौते के संबंध में । हमने कहा हम नहीं चलने वाले हैं क्योंकि यह पार्टी का जलसा है. हुकूमत का जलसा नहीं । हम प्रदर्शन गवर्नमेंन्ट के जलसे में जाकर कर सकते हैं यदि गवर्नमेंट का कोई फंक्शन हो तो हम आपके साथ मिल सकते हैं लेकिन पार्टी के प्रोग्राम में हम आपके साथ नहीं जावेंगे । एक तरफ तो यह कांग्रेस पार्टी का जलसा था, मगर वहां पर जहां जावें सरकारी कर्मचारी ही कर्मचारी नजर आते थे । सरकार की सारी व्यवस्था वहां पर लगी हुई थी । आप जल्सा करें, लोगों को शानदार मंच पर ठहरावें । मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं, आपके कांग्रेस के दल के व्यक्ति ने ही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सारों को झोपड़ियों में ठहराया गया है. प्रतिनिधियों को तम्बुओं में ठहराया गया और नेता लोग बड़े-बड़े बंगलों में ठहराये गये और कांग्रेस के बड़े-मंत्री महलों में ठहराये गये । यह आपका समाजवाद है ! यह कांग्रेस के सोचने की बात है, मैं इस संबन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता ।

आपने वहां पर प्रदर्शनी लगाई । वह जमीन आपकी नहीं है । स्पोर्ट कौन्सिल की थी । अगर राजस्थान सरकार की जमीन होती तो मुझे कुछ नहीं कहना । मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि आप सरकार की जमीन लें । और कौल साहब पैसों के लिए चिल्लाते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आया उन्होंने वहां पर किसी इन्सपेक्टर या किसी अधिकारी को इन स्थानों पर टैक्स वसूल करने के लिए भेजा । एन्टरटेनमेंट टैक्स सब जगह पर देना होता है, मगर मैंने वहां का टिकट खरीदा, मैने देखा कि उस टिकट पर कोई एन्टरटेनमेंट टैक्स नहीं है । मैंने देखा कि सरकार ने एन्टरटेनमेंट टैक्स, एग्जेम्प्ट कर दिया होगा । मगर मैं समझता हूं कि सरकार ने एन्टरटेनमेंट टैक्स एग्जेम्पशन का आर्डर नहीं दिया होगा....

और उपाध्यक्ष महोदय, इससे अधिक एक बात और । नाथूरामजी आप सुनना दे दीजिये । क्या इतने आदमियों के लिये कांग्रेस अधिवेशन में भोजन के लिये एग्जेम्पशन जारी किया क्या ? आपके कानून के माफिक २५ से अधिक का भोजन नहीं हो सकता । ढाई–तीन हजार प्रतिनिधि कांग्रेस अधिवेशन में यहां आये, इतने प्रतिनिधि महलों में ठहरे, राज-महलों में ठहरे; लेकिन ढाई हजार की तादाद में प्रतिनिधि वहां ठहरे । उनको कांग्रेस स्वागत समिति ने वहां खाना खिलाया । दूसरा कोई २५ से २६ आदमियों को खाना खिला दे तो आप उनको जेल की हवा खिला दो ।

श्री मथुरादास माथुर : ओन पेमेंट खिलाया ।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : गेस्ट नहीं रहे पेमेन्ट के बाद ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो गली निकालने की बात है; जैसा कि ज्वालाप्रसाद जी कहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो अब कहूँगा मेरी जुबान अपने पास है, ताकत से कहूँगा आप अपनी बात कहें।

उपाध्यक्ष महोदय, वक्त बढ़ाने का भी पहले ही तय हो जाय तो अच्छा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पैसे देकर भी इतने आदमियों को, मैं समझता हूँ नहीं खिला सकते, नहीं तो फिर इस कानून से कोई मतलब हो नहीं। आप एग्जेम्पशन कर सकते थे। सुखाड़ियाजी के घर पर भोजन हुआ, वहां एग्जेम्पशन किया है। मैंने देखा, किसने टिकट लिये, वैसे ही लोग खा रहे थे। यह दूसरी बात है कि पैसा कांग्रेस कमेटी से दे दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पैसे दिये हैं, मैंने पैसे दिये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कितना टाइम बढ़ाया है, मैं भी ५ मिनट अर्ज करना चाहता था, क्योंकि मामला ऐसा ही आ गया है। इनके लिये कितना समय बढ़ाया; मेरे लिये कितना टाइम बढ़ाया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बोलेंगे ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन से कि जिस लोकतन्त्र, से कुलेरिज्म और फ्रीडम ऑफ प्रेस; इन तीन बातों को लेकर चलते हैं, आपको घोषणाएं हैं लोकतन्त्र की, पर व्यवहार आपका एक-तन्त्र का है। पंच, सरपंच और निर्वाचित सदस्यों को निलम्बित करने के आपके पास सारे अधिकार एकतन्त्र के हैं नगरपालिकाओं के चुनाव आप नहीं कराते, यह तो एक अलग से गलत कहानी है, जिसको आज नहीं कहना चाहता। राजस्थान सरकार डेमोक्रेसी की घोषणाएं करती है, पर दर्पण में मुंह देखें अपना। सदन में उठाये गये मामलों की जांच कहीं, एक्शन कहां, चाहे इधर के लोग कहें चाहे उधर के लोग कहें, चाहे शराब की फाइल के बारे में कहें, चाहे हरिदेवजी जोशी की जमीन के बारे में मामला हो, चाहे डांगी जी का मामला हो, चाहे किसी दूसरे का मामला हो, उन सारे मामलों को बस्ताए खामोशी में रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। यह शासन चलाना नहीं है।

कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है आपका। सरकार को प्रेस से क्या मतलब? किताबें क्यों बांटी जायं? सारी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई रही वहां, आपने एडवर्टाइजमेंट बांटे? कहां गये आपके सारे रूल्स, कहां गया ईयर मार्क, कैसे हुई स्पेशल ग्रान्ट? इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लूट मचा रखी है आपने! हमने रूल्स बनाये, रूल्स गवर्नमेंट ने मंजूर किये। तीन-चार लाख के एड्वरटाईज-मेंट सोवेनियर्स में केवल इसलिये कि आपके फोटोज छपें, सारे राजस्थान में समां बंध जाय, हिन्दुस्तान में समां बंध जाय कि राजस्थान में आप एक हैं। डाइरेक्टर पब्लि-सिटी ने फोटोज छपवाये, सबके बीच में सुखाड़िया साहब खड़े हैं, क्या है? "आवाज दो हम एक हैं" और आपकी टाट पर कौन बैठा है, राजा हरिश्चन्द्र और कुम्भाराम; कितने भी नारे दो, कारगर होने वाले नहीं हैं। और माथुरामजी मुंह मोड़े खड़े हैं, दामोदरजी इधर, मथुरादासजी माथुर आप दोनों मिल कर दो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कोनों पर बैठे हुए हैं। केवल इसलिये एड्वर्टाइजमेंट दिया गया कि लोगों में इस तरह का इम्प्रेशन जम जाय कि हम एक हैं। इसीलिये डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स के यहां से यह लेटर निकलवाया था :

''महोदय,

फरवरी मास में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर यदि आप कोई विशेषांक प्रकाशित कर रहे हों तथा आपको इस संबंध में राज्य सरकार की विकास योजनाओं के सबन्ध में सामग्री तथा चित्रों की आवश्यकता हो तो आप हमें विशिष्ट शब्दावली में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के नाम पत्र भेज कर सूचित करें ताकि आपको सम्बन्धित सामग्री यथासमय भेजी जा सके।

मैं आभार मानूंगा, यदि आप यह भी बताने की कृपा करें कि आपका विशेषांक कितने पृष्ठों का होगा तथा उसका मूल्य आप क्या रख रहे हैं।

आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी।

भवदीय,
निदेशक,
जन-सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।''

सम्मेलन, जनसंघ के होते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन होते हैं, स्वतन्त्र पार्टी के सम्मेलन होते हैं। जन-सम्पर्क डाइरेक्टोरेट से इस प्रकार के लेटर नहीं निकालने चाहिये। आप कहां ले जा रहे हैं इस एड्मिनिस्ट्रेशन

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं एक बात कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम इर्रिलेवेन्ट बहुत से भाषण सुनते हैं, पर टाइम का ध्यान रखा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे भाषण के दौरान जितने इन्टरप्शन्स इन्होंने किये हैं, सब इर्रिलेवेन्ट किये हैं। इस तरह उपाध्यक्ष महोदय, आपको समय नहीं देने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह कोई तौर-तरीका नहीं है, कानून के खिलाफ, नियमों के विरुद्ध, कोई अखबार एप्रूव्ड है या एप्रूव्ड नहीं है, रेगूलर है या नहीं; एक जनरल ऑर्डर, एक जनरल खैरात, हर माल मिलेगा ढाई आना, के भाग २५० रुपया, हर एक सरकार का व्यवहार कैसा है हाउस में, किसी अखबार का कोटेशन पढ़ो तो नाथूरामजी कहते हैं, यह कन्टेम्प्टुअस है। निरंजननाथजी खड़े होकर कहने लग जाते हैं, यह नहीं छापना चाहिये अखबार वालों को। यह है सरकार का फ्रीडम ऑफ प्रेस को मैन्टेन करने का। सैक्युलरिज्म के नाम पर एन्टी-नेशनल्स को अपने सैक्रेटेरियेट में रखते हो, पी. ए. बना कर रखते हो। इस देश का क्या हाल करोगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : जेलों में रखना चाहते हैं पकड़ कर एन्टी-नेशनल्स को। एन्टी-नेशनल्स को छोड़ो करा कराके जेलों में डाला है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : श्री मुकुटविहारीजी सदन से बाहर गये तो आपको क्या अधिकार था जो आपने कहा कि अखबार वालों को कहा जाय कि वाक आउट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
नहीं लिखें, क्योंकि वे रोजाना वाक आउट निकलते चले आ रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो सदन को अधिकार है। यह क्या अधिकार की बात आपने कह डाली ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को एक बात कहना चाहता हूँ। आपका सेक्रेटेरियेट है, उसका केअरटेकर भी उसमें फंसा हुआ है, वह भी उस एक्टिविटी में पकड़ा गया है, यहां की स्पाइंग एक्टिविटीज के सम्बन्ध में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): किसका पी. ए. ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके सेक्रेटेरियेट का केअरटेकर। उसका नाम है मशकूर अली। स्पाइज मिनिस्टर तक घुसे हुए, केपिटल में घुसे हुए। अब तक तो हुआ सो हो गया। आप इसके सिक्रेट को अनअर्थ करवाइये, इसकी पूरी तरह से जांच करवाइये और उसमें चाहे कोई भी आये, बड़े से बड़ा आदमी आये, एस.पी. आये, चाहे एम. एल. ए. आये, किसी को मत छोड़िये। यह राजस्थान की सुरक्षा का सवाल है, देश की स्वाधीनता के नाम पर हमारे माथे पर कलंक लगाया है। जहां लाहौर और सियालकोट क्षेत्रों में हिन्दुस्तान की फौज ने सारी दुनिया के आगे विजय का तिलक अपने माथे पर लगाया, वहां राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर हम पर हार का तिलक लगा। आप देखें कि फिर कहीं ऐसी नौबत नहीं आए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि जो घटनाएं मैंने सदन में रखी हैं उनके प्रति आप जागरूक रहेंगे और समुचित उत्तर और समुचित व्यवस्था होगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था और उम्मीद थी कि जनसंघ के नेता का भाषण सुनेंगे। हम चार या पांच साल के लिए सब सदस्य सदन में चुने जाते हैं, हमने चार साल में क्या किया, फिर अपने मालिकों के पास जा रहे हैं, उस समय अन्तिम रूप से यह भाषण राज्यपाल का आया और राज्यपाल का भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें बताया गया है कि तीसरी योजना खत्म हुई और अब देश अपने विकास के लिए चौथी योजना में अपना कदम रख रहा है। इसलिए पहले वाले बजट सेशन्स और इस बजट सेशन में फर्क है। इसलिए इस सदन के सब सदस्यों को और सरकार को खुद और कांग्रेस को, सब पार्टियों को इस अभिभाषण पर इस रूप में बहस करने को था, बजाय इसके कि इस प्रकार जो विकास के काम हैं और आगे बढ़ने की प्रगति है, हम उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते और मेरिट्स पर डिस्कस करते। हम चले गये उन हल्की चीजों पर जिन पर हम गुमराह करना चाहते हैं; जनता को यह समझना चाहिए कि हमारी पार्टी इसलिए अच्छी है और वह पार्टी इसलिए खराब है।

एक तर्क दिया जाता है कि हम तीन एक हो गए तो रावण हो गए इसलिए घबरा गए। अजीब तर्क है। जनता पर असर करने के लिए तर्क मालूम होता है वह ऐसा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
समझते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी पार्टियों के सिद्धांतों को एक बार जनता समझ गई, वह आपकी पार्टियों के सिद्धांतों पर नहीं चलना चाहती। क्या आप समझते हैं कि सोशयलिज्म के अन्दर जो जनता आज विश्वास करती है उस सोशयलिज्म और जनसंघ के सिद्धांतों में कम्प्रोमाइज होगा ? जनता को मिर्ची डालकर सोशयलिज्म का वोट आप लेंगे या....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिर्ची तो आप को लग रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इलेक्शन्स में अगर सिद्धांतहीनता जनता में डालोगे, तो कांग्रेस बराबर कामयाब होगी। कांग्रेस आज नहीं, बल्कि अंग्रेजों के समय से लेकर जनतन्त्र में विश्वास रखती है। उसके बाद तीन चुनावों में लगातार जनता ने चुनकर हमें भेजा है। हम यहां कोई खुद नहीं जमे हैं। जनता समझती है, वोटर्स समझदार हैं। उनका कई बरसों से हमारे नेतृत्व में विश्वास है, जो जनतन्त्र की जान है उसको जनता समझती है। ये डेलीगेटेड पॉवर्स है, जो पीपुल्स सोवरेन्टी है वह डेलीगेटेड पॉवर है, पांच साल तक जिसको डेलीगेट किया है और उस डेलीगेशन के अनेक रूप ! उसको आप चाहते हैं कि उस जनता, पीपुल्स सोवरेन्टी पर कोई हंगामा, बदतमीजी करें। जनता पर असर करवाना चाहें, तो यह असर जनता पर नहीं हो सकता।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : ऐसे बदतमीजी के भाषण तो बदतमीजों के मुंह से ही निकलते हैं। यह आपका डेकोरम और डीसेंसी मेन्टेन करने का तरीका है। क्योंकि सिर्फ आपका ही मेम्बर है वह कहे तो आप नहीं बोलोगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे डीसेन्सी सीखने की जरूरत नहीं लेकिन सिखाने की जरूरत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बताइए कि ऐसा शब्द प्रयोग करना बदतमीजी नहीं है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पेशेंस रखिए मैंने आपके प्रति बदतमीजी नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको होने वाला कुछ नहीं। आपके खिलाफ कौल साहब के 'न्याय' अखबार ने क्या तारीफ की है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैंने तूफान को बदतमीजी कहा है, हंगामे को कहा है, किसी आदमी को नहीं कहा है। मैंने न तो आपको कहा है, न करने वालों को ही कहा है, इसलिए बदतमीजी में कुछ नहीं घुस गया। आश्चर्य है कि जो महत्वपूर्ण मामला है उसको डाइवर्ट किया जाय। राज्यपाल के अभिभाषण में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैंने विरोधी दल के नेता को सुना। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे वह डूंगरपुर से चलकर यहां आ गया। हर बात में डूंगरपुर। डूंगरपुर में कुआ खुदवाइये, डूंगरपुर में अस्पताल बनवा दीजिये, क्या स्टैन्डर्ड है ? हमको राजस्थान की समस्याओं को डील करना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि हम पांचवें साल में आ रहे हैं, जनता उम्मीद करती थी हमसे, लेकिन आज जनता खुद देखे और वोटर्स सोचें कि यहां क्या बोला गया; जब आए डूंगरपुर, तब आए डूंगरपुर। क्या

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
हो गया डूंगरपुर को ? राजस्थान की बात नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आपको डूंगरपुर के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं आपको समझाऊंगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

समय बढ़ाने की बात आपने मान ली है। सदन नहीं सुनना चाहे तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि एक बजे के बाद हमको नहीं सुना जाय। इन्होंने हमारे लीडर पर पर्सनल एलीगेशन्स जिस तरह से लगाए उसके लिए हमें समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री मानसिंह महार : (श्री ज्वालाप्रसाद से) जितना अधिकार तुमको है उतना हमको भी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जब माननीय सदस्य......

श्री उपाध्यक्ष : जो मोटे तौर पर समय विभाजित है उसके अनुसार स्वतंत्र पार्टी का समय अधिक ले लिया है। श्री डूंगाराम और जनसंघ के नेता ने समय ले लिया है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा समय बाकी है। आप बताइये जनसंघ ने कितना समय लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपोजिशन ने ७॥ घंटे नहीं लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनके भाषण के बाद में देख लेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : परसों से इन्तजार कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट आप और बोल लीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस सदन से कि टाइम की बात है वह मैं हमेशा मान कर चलता हूं और इसके बाद सदन के सदस्यों पर असर जरूर पड़ा होगा, बड़ा रिलेवेन्ट बोलकर बड़ी बड़ी सूचनाएं देकर, जिनको सुन कर यह हाउस खाली हो जाता है, ऐसे लोग टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिये सच्चाई की बात से चीर–फाड़ होकर उन सब पार्टीज़ को नंगा न कर दिया जाय, इसलिये रोक रहे हैं। उनने जो बातें रखी हैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, और मैं सिर्फ सरकार से ही कहना चाहता हूं।

हम मेनीफेस्टो निकालते हैं और देखते हैं कि हमको यह करना है। यही साल है जब हम यह देखें कि हमने मेनीफेस्टो के अनुसार कहां तक पहुंचने की कोशिश की है ? सरकार के पास साधन होते और उनका उपयोग करने की देश में ताकत होती, ओपोजिशन

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

को विश्वास दिलाती कि आपकी कल्पना से भी अधिक देश में काम करना चाहते हैं। लेकिन साथ में लिमिटेशन्स हैं और उसके अनुसार काम करना पड़ता है। कुछ कमियां भी होती हैं और उनकी वजह से हमको कोई संतोष हो, ऐसी बात नहीं है. लेकिन उस संतोष को हम भी असंतोष बनाकर बढ़ना चाहते हैं और उससे आपको फायदा होता है इसीलिये आप जिन्दा हैं। आपकी माइनोरिटी को वेलकम करते हैं। पीने के पानी का मेनीफैस्टो जनता को दिया कि पांच साल में यह पूरा करेंगे। अब आपको इस साल इसको पूरा करना है। १।। करोड़ रुपया लगाकर नसीराबाद अजमेर पानी नहीं ला रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : डूंगरपुर से अजमेर—नसीराबाद पर आ गये।

(शोरगुल)

श्री जोधसिंह चौहान (सिरवा) : राजस्थान की बात करो, अपनी नहीं। दूसरों के लिये खूब फतवे कसते हो। खुद के लिये नहीं। कहां गये वे पहले के विचार ?

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

माननीय मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो तीन दिन से बहस चल रही है और उसमें अलग अलग बातें जो सामने आयी हैं उसके सम्बन्ध में कुछ मुद्दों पर मैं प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा।

सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शायद यह १९६५-६६ का वर्ष हमारे देश के लिये सभी दृष्टियों से सबसे ज्यादा, क्राइसिस जिसे कहना चाहिये, मुश्किलों का वर्ष रहा है। इस देश के सामने एक तरफ पाकिस्तान का हमला हुआ, दूसरी तरफ इसी वर्ष में हमारे देश के महान् नेता श्री लालबहादुरजी शास्त्री एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके हम लोगों के बीच से चले गये। इसी वर्ष में भयंकर अकाल की छाया, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि शायद कई वर्षों के बाद सारे भारतवर्ष की दृष्टि से इसी वर्ष हमारे सामने आयी और जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ उसकी वजह से, वर्षा की कमी की वजह से जो कृषि के उत्पादन में फर्क पड़ा और दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य थे उनकी पूर्ति के सम्बन्ध में भी अखिल भारतवर्षीय आधार पर और दूसरी जगह जो फर्क हुआ उससे जो हमारी ओवर ऑल इकोनोमी पर उसका असर इसी १९६५-६६ के वर्ष में नजर आया, वह एक अभूतपूर्व प्रकार की परिस्थिति रही है। इन सब हालतों के बीच से हम लोगों को निकलना पड़ा और उसकी छाया आने वाले वर्षों के अन्दर भी निश्चित तौर से देश के जन-जीवन और आर्थिक स्तर पर रहने वाली है।

यह स्वाभाविक बात है उपाध्यक्षजी, जब देश एक बड़े पैमाने पर अपनी आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं को हाथ में लेकर चलता है तो उसके सामने एक वक्त ऐसा आता है जब उसको आर्थिक मुश्किलों का ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ता है और उसके कई प्रकार के असरात पैदा होते हैं। हमारे देश के अन्दर पहले के मुका-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
बले में फर्क पड़ा है; आर्थिक स्थिति के अन्दर भी फर्क पड़ा है, लेकिन यह सही बात है कि जो हमारे यहां पर आबादी जिस अनुपात से बढ़ती हुई चली जा रही है उसके कारण से और जैसा मैंने आपसे कहा कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन हम उम्मीद करके चलते थे, उसमें खास तौर से वर्षा की वजह से जो फर्क पड़ा, उससे आर्थिक सुधार जिस मात्रा में उम्मीद करके चलते थे उस हद तक उसमें कामयाबी नहीं मिली। इन तथ्यों को राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से सामने रखा है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होकर हम चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना-काल का लेखा-जोखा मोटे तौर पर इसमें दिया गया है। उसमें जो कमियां रही हैं उनको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि हमारी इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निश्चित किये थे उनमें फर्क हुआ है। माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के अन्दर जब हमने बीच में अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना को रिएप्रेजल किया और इस सदन में कहा था कि २३६ करोड़ के बजाय २०८ करोड़ की योजना कार्यान्वित कर पायेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि उस फाइनेन्शियल टार्गेट को पूरा करने के अन्दर तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम कामयाब हो पाये।

कुछ क्षेत्र में अलग से भी भारत सरकार के द्वारा इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में काम किये गये। यह वर्ष हमारे लिये कठिनाइयों का वर्ष रहा है और अगले वर्ष में भी जब तक कि बारिश होकर अगली फसल नहीं हो जाती, बिजली की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, उसमें फर्क नहीं पड़ जाता तब तक, हम उम्मीद करते हैं, ये मुश्किलात हैं।

आज राज्य सरकार की ओर से जो कुछ परिस्थिति है और जो कुछ काम किये गये, मैं समझता हूं उसको इस भूमिका में देखा जायगा तो माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि एक आसान काम नहीं था इस खास पिछले वर्ष के अन्दर कि जिन चीजों का मुकाबला सरकार को बराबर करके चलना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मार्ग पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये हमनें देश को आगे बढ़ाने का ग्रहण किया है, उसे निरन्तर आगे बढ़ाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निरन्तर वाद-विवाद चलता रहता है कि हमारे पर कर्जा बढ़ गया, टैक्स का भार बढ गया, बड़ी बड़ी योजनाओं को हाथ में लिए चले जा रहे हैं, यह विवेकपूर्ण बात नहीं है। मैंने इस बारे में माननीय सदस्यों से पहले स्पष्टतापूर्वक कहा था, हमें इसमें राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना है। इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करके अपनी इकोनोमी को दृढ़ करने का मार्ग है या इनको रोक कर जो कुछ हद तक इन्फलेशन होता है उसको रोकने वाला मार्ग अपनाया जाय, ताकि लोगों पर वजन न पड़े। इनमें से किस मार्ग को अपनाया जाय ? हम लोगों की इस बारे में यह निश्चित मान्यता है कि आने वाले दस वर्ष इस देश के लिए कष्ट के वर्ष होंगे। इन वर्षों में हम अपनी आर्थिक स्थिति को; कृषि खेती और उद्योगों के क्षेत्र में इस लायक बनाना होगा, जिसको टेक ऑफ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इकोनोमी कह सकते हैं, जिसे देश का आर्थिक कार्य-क्रम आगे बढ़ सके।

आज जब कि सब इस बात को जानते हैं कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये इस देश के अन्दर जो कुछ कार्य हुआ, देश के अन्दर जो कल-कारखाने लगे, और और चीजें हमारे देश के अन्दर हुई, जब हमारा संघर्ष पाकिस्तान से हुआ, जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखते हैं वे सब इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान के विरोध में अगर सबसे बड़ी शक्ति थी तो वह देश का खुद का उत्पादन था। जो कल-कारखाने खड़े हुए थे, लोहे के कारखाने खड़े हुए और फेक्टरीज खड़ी हुई, उनमें पैदा होने वाली चीजों की वजह से हम सफलता पूर्वक पाकिस्तान के सामने खड़े हो सके। नेट हवाई जहाज, हालां कि छोटा था, लेकिन उसको भारत का अपना जहाज कह कर लड़ रहे थे। ये जो चीजें हमारे पास थीं, इन चीजों को करने के लिए देश को कष्ट उठा कर चलना होगा। कोई दुनिया के अन्दर ऐसा राष्ट्र नहीं जो शुरूआत के अन्दर बिना कष्ट उठाये अपनी इकोनोमी को उठा कर चला हो।

अमेरिका जैसा बड़ा राष्ट्र भी, जिसको ऊपर उठने में वर्षों लगे, जबकि उनके पास काफी जमीनें हैं, आबादी वहां की कम है, वहां पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं उससे हमारे देश की स्थिति बिल्कुल मेल नहीं खाती। हमारी आबादी ज्यादा है, उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे सामने कई प्रश्न खड़े होते हैं, उसको हमें हमारी भूमिका में विचार करके चलना होगा, इस बारे में हमें अपने प्रदेश की हालत को देख कर चलना होगा। मैं ऐसा मानता हूं और हमारी पार्टी की यह निश्चित तौर से मान्यता है कि देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि देश को इकोनोमिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हम इन्वेस्टमेन्ट करें; खेतों के अन्दर, बिजली के अन्दर, कल कारखानों के अन्दर ताकि देश के अन्दर उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके लिए जरूरत पड़ जाय तो सोशियल सर्विसेज में भी हम कमी कर सकते हैं, लेकिन देश के अन्दर खुशहाली पैदा करने के लिए आगे बढ़ें, इन्हीं दिशाओं में प्रयत्न किया गया है। इनमें कोई खामियां या गल्तियां नहीं रहीं, इसका कोई दावा नहीं करके चल सकता और न मैं यह दावा करके चलता हूं कि जितने भी कार्य हुए उन सारे कार्यों में परफेक्टनेस हो गई हो। नया परीक्षण हो रहा है। भारत जैसे देश में जहां जनतन्त्र में प्लान्ड इकोनोमी के तौर पर चलाने की बात हो यह दुनिया में पहला जनतान्त्रिक देश है जिसमें प्लानिंग को आर्थिक विकास का आधार माना है। हमने इस ओर जो भी कार्य किया है सफलतापूर्वक किया है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य उनमें हुई कमियों की ओर संकेत करते हैं, मैं उनसे भी ज्यादा कमियां बता सकता हूं। कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को अपन किस हद तक दूर कर सकते हैं, इस बात की ओर लक्ष्य देने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना है कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के काल में मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर सब मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस नीवें लगाई गई हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कार्य किया, पॉवर के लिए

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किया जा रहा है, हो सकता है इनका तत्काल असर मालूम न हो। ऐटोमिक पॉवर स्टेशन जो कि हमारे स्टेट प्लान का पार्ट नहीं है वह सेन्ट्रल सेक्टर के अन्दर राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बिजली देने वाला प्लान्ट, योजना के बाहर खड़ा हो रहा है, जिसका लाभ राजस्थान को प्राप्त होगा। करोड़ों रुपयों की योजना के लिए प्लान के बाहर राजस्थान के हित के लिए धन खर्च होता है, इस तरह की योजनायें आज हमारे यहां चल रही हैं। यह राजस्थान के लिए निश्चित तौर से, इसके भविष्य के लिए सुदृढ़ नींव पड़ी है। हो सकता है; इनको पूर्ण होने में वर्षों लगें, लेकिन नींव तो पड़ गई है, उसमें समय तो लगता ही है।

राजस्थान नहर के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था इस प्रकार की बड़ी योजना का आर्थिक भार वहन करना, उसके ब्याज को चुकाना, ये सारी चीजें पूरी करना, हमारे लिए मुश्किल है। राजस्थान इस बोझ को उठा कर नहीं चल सकता। इसलिये भारत सरकार के योजना कमीशन से और जो भूतपूर्व वित्त मंत्री थे उनसे, और उस वक्त के प्रधान मंत्रीजी से, उन सबसे बात करके हमने उनसे निवेदन किया कि इस राजस्थान नहर को, इसके कोलोनाइजेशन के खर्चे को राजस्थान स्टेट के प्लान के बाहर रखा जाय और इसकी सेपरेट ऑथोरिटी बने। इस बारे में निर्णय भी हो चुका है और इसी सत्र में माननीय सदस्यों के समक्ष एक कानून लाने के बारे में हमने निर्णय कर लिया है। — बिल आपके सामने आयेगा, मैं उम्मीद इससे केवल राजस्थान को ही नहीं, सारे भारत वर्ष को इससे लाभ पहुंचेगा उसके बारे में डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कल्पनाएं की हैं, उस प्रकार की बहुत सी बातें सामने रख कर कहा जा सकता है। उस इलाके का सुनियोजित तरीके से विकास होगा और इससे राजस्थान को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति है कि जब तक कार्यवाही समाप्त न हो तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, चौथी योजना के बारे में कहा गया कि उसकी कुछ भी रूपरेखा हमारे सामने नहीं आयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौथी योजना के बारे में अभी किसी स्टेट का प्लान नहीं बना है। शायद इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं होने से किसी को यह मुगालता हो कि राजस्थान में चौथी पंचवर्षीय योजना का प्लान नहीं बना है; ऐसी बात नहीं है। चौथी प्लान का फाइनल होना अभी बाकी है। प्रथम वर्ष में जो कुछ खर्च होगा उसकी रूपरेखा बजट सत्र में आपके सामने आयेगी।

पिछले वर्ष में हमें जिन हालातों का मुकाबला करना पड़ा है, इस वर्ष में पिछले वर्षों की हालात से एक विशेष प्रकार की परिस्थिति रही है। १९६५-६६ में हमारे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सीमा पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया और बहुत सी घटनाएं हुई। मैं समझता हूं, सदन में मैंने कभी इस बात को नहीं कहा; जहां तक सीमा का प्रश्न है उसके बारे में राज्य सरकार केवल यह कह कर चले, सीमा के किसी सवाल के बारे में, हम तो सोचना नहीं चाहते, केवल सोचना किसी को है तो भारत सरकार को है। मैं इस बात को अब कभी कहता हूं तो उसके साथ डिफेन्स की बात भी जुड़ी हुई होती है।

दूसरा सवाल आता है वहां पर सड़कें बनाने का, और चीजों को पूरा करने का। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में राजस्थान सरकार के पास आवश्यक धनराशि होती अथवा हमारी इतनी बड़ी योजना होती जिस योजना के जरिये हम इन सारी समस्याओं का हल कर पाते तो खुशी होती, इसमें ऐतराज करने का सवाल नहीं होता।

(१. म० प०)

प्रश्न हमारे सामने इस बात का है कि जितनी सड़कों के बारे में व्यवस्था हम अपनी पंचवर्षीय योजना में कर पाते हैं और जो वहां की गम्भीर और बड़ी समस्याएं हैं, उनके लिये जितने करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार और कई बोर्डरों के ऊपर रोड्स के बनाने के लिये खर्च किया, तो राजस्थान की तो और भी विशेष परिस्थिति है, इसलिये इसमें उनके जरिये से खर्चा किया जावे। हमारी पंचवर्षीय योजना के अलावा, उसके लिये हम निरन्तर प्रयत्नशील रहे हैं और सदन भी मुझसे सहमत होगा कि जितना लम्बा हमारा बोर्डर है, जो इसकी आवश्यकताएं हैं उनका निर्णय तो डिफेन्स के साथ बात करके ही हो सकता है कि कहां बने, किस प्रकार की बने, भारत सरकार के द्वारा ही फैसला हो सकता है; इसके बाद उनके लिये धन-राशि के लिये अगर हम इस सम्बन्ध में चाइनीज एग्रेशन के वक्त से भारत सरकार के समक्ष इस बात पर जोर देते रहे, वक्त वक्त पर, एक बार नहीं, उनकी तरफ से भी इस प्रश्न पर विचार होता रहा है। कई कमेटियों में विचार हुआ है, अलग अलग स्तर पर भी विचार हुआ है।

मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि उनका इसके प्रति ध्यान नहीं था, सोचना नहीं चाहते थे या कि करना नहीं चाहते थे। बहुत सी लिखा पढ़ी चली। और यह कार्य-क्रम विचार करने का काफी अर्से तक चला और इस सम्बन्ध में जो कुछ निर्णय किया गया, मैं समझता हूं, उसमे राज्य सरकार की तरफ से खास सतर्कता का या जोर देने का काम का सवाल नहीं आता और न ही यह हो सकता है।

आज माननीय उपाध्यक्षजी, सीमा के सम्बन्ध में बहुत सी बार कई प्रश्न उठते हैं। मैं उस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता। राजस्थान की सीमा जितनी लम्बी है और पाकिस्तान का संघर्ष छः सितम्बर को शुरू हुआ और २३ सितम्बर तक चला; उस बीच में, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार का वह इलाका है, जो वहां पर आवश्यक साधन उपलब्ध थे, जो सारी परिस्थितियां वहां पर थीं, उनके लिये मैं निश्चित तौर से अब यह कह सकता हूं कि डिफेन्स की तरफ से, राजस्थान की आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी की तरफ से और हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लोग-बागों की तरफ से, ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे से अच्छा प्रयत्न हो सकता था वह प्रयत्न किया गया और २३ तारीख को माननीय उपाध्यक्षजी, जब कि सीज फायर हुआ, माननीय सदस्य इस बात को भी जानते हैं कि मुनाबा स्टेशन के अलावा राजस्थान का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं था। इसके नक्शे बना कर देश के अखबारों के अन्दर आये हैं, यू. एन. ओ. के सामने इस बात को रखा गया है; तो एक तरफ मुनाबा स्टेशन पर और दूसरी तरफ गडरा सिटी और उसके आगे १५० मील से ज्यादा इलाके में जो हम-लोगों का कब्जा आगे बढ़ा हुआ था, जिस दिन कि सीज फायर हुआ।

इसके बाद कि जब सीज फायर हो गया तब उन लोगों ने कुछ जगह जो इतना लम्बा-चौड़ा हमारा सीमान्त का इलाका है कुछ प्लेसेज पर आकर वे बैठे। जिसके सम्बन्ध में डिफेन्स मिनिस्टर समय समय पर पालियामेन्ट में अपनी तरफ से बातें कहते रहे। मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो इलाके का सवाल खड़ा होता है कि कितने पर थे, कितने पर नहीं थे; तो वहां पर तो एक चौकी के बाद सैकड़ों मील इलाके में कोई बस्ती ही नहीं है। पेट्रोलिंग के लिये हमारी फोर्सेज जाती रहीं। कहीं इलाके पर किसी का कब्जा हो गया, तो सारे का सारा इलाका उनका हो गया, ऐसा मान कर अगर चलें, जैसा पाकिस्तान कहना चाहता है, तो यह गलत बात है।

आज के दिन सारे राजस्थान की टेरीटरी से पाकिस्तान की फोर्सेज, ५ तारीख तक हुई थी, उस तक वापिस चली गई।

अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि जाते हुए उन्होंने मुनाबा स्टेशन और इसके अलावा जो दूसरी चौकियों को जहां पर वे लोग गये थे, उनको, कुछ जगह पीने के पानी के कुओं को, जैसलमेर वगैरह के अन्दर, वे बरबाद करके गये। इस प्रकार की बातें कही गई।

दुर्भाग्य से यह सच बात है और इसका दरअसल अफ़सोस भी होता है कि जिस वक्त कि इस टेरीटरी को खाली करके जाने की बात थी, उन इलाकों में इस प्रकार की बातें हुई। इससे भारत सरकार को, जो वहां की स्थिति है, अवगत कराया जा रहा है कि क्या क्या और कहां कहां पर डेमेजेज हुई हैं, क्या किया गया है और मैं समझता हूं कि आवश्यक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार की तरफ से की जावेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो लोग इस संघर्ष के बीच में राजस्थान को छोड़ कर पाकिस्तान के अन्दर चले गये, उनके सम्बन्ध में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज हैं उन लोगों ने सबकी पूरी लिस्ट बना ली है। उनके पास हर जगह की लिस्ट है। और स्पष्ट तौर से राजस्थान सरकार की यह नीति है कि जो संघर्ष के दौरान में राजस्थान को छोड़ कर पाकिस्तान की सीमा में चले गये उनको राजस्थान के अन्दर वापिस नहीं आने दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज सतर्कता के साथ इस काम को अंजाम दे रही है तथा यह प्रश्न और यहां पर आया है उसके सम्बन्ध में भी जो आवश्यक कार्यवाही होगी उस कार्यवाही को करने के सम्बन्ध में भी राजस्थान सरकार कभी भी हिचकिचायेगी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
नहीं, चाहे कोई पंच हो, सरपंच हो और किसी भी पद पर कहीं हो। मैं यह निश्चित तौर से सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वे राष्ट्र विरोधी हैं तो इस बारे में यह सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी, किसी प्रकार की भी हिचकिचाहट नहीं करेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): ये सरपंच, जो पाकिस्तान चले गये, ये उनके सस्पेंशन के बारे में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो, पर जो पाकिस्तान चला गया है, उसे वापिस ही नहीं आने देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो पाकिस्तान चले गये, उनको आप वापिस नहीं आने देंगे और भारत सरकार का कोई ऐसा एग्रीमेन्ट हुआ भी होगा तो उसका विरोध करेंगे, यह तो ठीक है। पर प्राइमा फेसी इमीजिएटली उनका कुसूर बनता है कि वे भाग गये पाकिस्तान, हिन्दुस्तान छोड़ कर हमले के वक्त, तो उनको आज की तारीख में तो पंच, सरपंच और प्रधान आदि जो वे आपके यहां रिकॉर्ड में दर्ज हैं, तो सस्पेण्ड करके उनको, इस रिकॉर्ड में से तो उनका नाम हटाया ही जा सकता है। यह तो आपको कर डालना चाहिये इमीजिएटली। यह तो राजस्थान सरकार कर सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जैसे कहा कि उनको आने ही देंगे नहीं, तो यह प्रश्न गौण बन जाता है। पर आपने जो यह बात कही, यह सही है कि जिनके बारे में हम इस प्रकार की कार्यवाही करके चल रहे हैं उनके नाम पंच, सरपंच आदि रिकॉर्ड में चालू रहें, यह आवश्यक नहीं है। हमारे पंचायत मन्त्रीजी आवश्यक कार्यवाही इस बारे में जल्दी से जल्दी कर देंगे; इसलिये वह प्रश्न भी अब सामने नहीं रहेगा।

(करतल-ध्वनि)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे इस बात को सुन कर और खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और जो जनसंघ के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनसे यह सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ कि उन्होंने यह कहा कि जोधपुर में जब बम्बार्डमेन्ट हो रहा था तब मैं भाग कर वहां से चला आया। मैं उनसे···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं कहना चाहता था, नाथूरामजी ने कहलवाया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उनसे निवेदन कर दूं कि ६ तारीख से लेकर २३ तारीख तक पहले रोज ६ तारीख को जब लाहौर की तरफ हमारी फौजें बढ़ीं, मैं दिल्ली से सीधा गंगानगर गया, जो बोर्डर के पास था, हिन्दूमलकोट वहां पहुंचा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसके बारे में एक व्हिस्परिंग कैम्पेन किया जा रहा है कि मैं छोड़कर चला गया····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह व्हिस्परिंग कैम्पेन आपके कांग्रेस सर्कल में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी भी सर्कल में, कोई करते हों; मैं उसके बारे में हाउस में निवेदन करना चाहता हूं कि २६ मील जिधर जोधपुर से पाकिस्तान की साइड

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

थीं हम उधर थे, उस जगह जोधपुर के आस-पास बम्बार्डमेन्ट हो रहा है, यह हमने आंखों से देखा, जोधपुर से केवल २६ मील दूर। फिर आगे रवाना हुए। करीब पांच छः मील गये। तो वहां बम्बार्डमैन्ट हुआ, हमने उसकी फ्लेम्स देखीं। तो अगर भागने की बात होती तो, बम्बार्डमेन्ट हो रहा हो, वहां उधर न जाकर बालोतरा चले जाते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उधर गये कि जोधपुर गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमें जोधपुर की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। बाड़मेर की तरफ से आ रहे थे और जोधपुर की तरफ जा रहे थे।

यह सब जानते हैं अच्छी तरह से कि पाकिस्तान के हवाई जहाज के हमला करने वाले इतने निशानेबाज थे कि १० मील, २० मील पर इधर-उधर बम फेंकना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। तो जब २० मील से मैं बढ़ता हुआ जाऊं तो रास्ते में भी कहीं बम पड़ सकता है या नहीं, उसके लिए कोई मारन्टी लेकर नहीं जा रहा था। तो उधर जाने वाली बात के लिए यह कहना, मैं समझता हूं, शायद उपयुक्त नहीं था कि पीछे की बात सोच कर चलते। उस समय नहीं गया, मेरा प्रोग्राम पहले था कि ७ बजे जोधपुर से रवाना हो जाऊंगा, उसके बजाय मैं लेट पहुंचा और अपने शिड्यूल के माफिक वहां से रवाना हुआ और जोधपुर में रहने वालों के लिए तो इस बात की गुंजाइश थी कि वे साइरन सुन लें तो खाई में जाकर बच सकते हैं, लेकिन मैं कार लेकर रवाना हुआ रात को १२ बजे अपने प्रोग्राम के मुताबिक कि वापिस यहां पर पहुंच जाऊं, तो वह २० मील तक साइरन सुनाई नहीं देता। अब बालोतरा से आ रहा था तो हवाई जहाज हमारे ऊपर से गये हैं और तब भी हम आगे बढ़ते गये हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्दगी के अन्दर मरने से कभी घबराया नहीं। अंग्रेजों के जमाने में लड़े तो गोलियां भी चलती थीं और भी होता था, तो इस जमाने में मिनिस्ट्री मिलेगी इसलिए राजनीति में नहीं आये और न ऐसा समझा ही था तो इस हमले के वक्त जरूरी नहीं था कि हम ऐसा सोचते। क्योंकि कभी तो गडरा के अन्दर बम्बार्डमेन्ट होता था, और जगह हो जाता था; उत्तरलाई के अन्दर हो जाता था और हमारे ऊपर से हवाई जहाज आ रहे थे, कभी जा रहे थे। तो इतना मैं कम से कम ऐसा जरूर मान करके चलता हूं कि मैं किसी को इस प्रकार की बात कह कर नहीं चलता। आपको सबको ही बहादुर मान कर चलता हूं? तो दूसरों को नहीं कहें तो कोई हर्ज की बात नहीं होगी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने यही कहा कि व्हिस्परिंग कैम्पेन चल रहा था ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि इसके अलावा मैं फिर एक रात वहां पर गया हूं। लड़ाई के दौरान में मैं पूरी रात वहां पर था और फिर आगे दूसरी जगह गया हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर में व्हिस्परिंग चल रहा था, उसके बाद में जोधपुर में गये हैं। उस दिन मीटिंग कैंसिल की।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो मुझे बाद में मालूम पड़ा व्हिस्परिंग कैम्पेन का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
तो आखिर यह तो उपाध्यक्षजी, एक अलग बात हुई जो कि इस बात को लेकर अभी सवाल सामने खड़ा हो गया।

मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सदन में यहां जो कुछ चर्चायें हुईं अभी कुछ देर पहले डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि राजस्थान के अन्दर फर्टीलाइज़र फैक्टरी के लिए कोऑप-रेटिव सेक्टर के अन्दर सम्भावना है, पब्लिक सेक्टर के अन्दर इसको किया जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में नहीं किया जाना चाहिए, वगैरह प्रश्न भी यहां खड़े हुए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो फर्टीलाइजर फैक्टरीज के बारे में देश भर के आधार पर इसके ऊपर फैसला किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर भी अलाऊ किया जाये। उसका खास कारण यही है कि जो पब्लिक सेक्टर के लिए न सिर्फ फोरिन एक्स-चेन्ज के लिए, बल्कि रुपी फण्ड के लिए जो धन चाहिए, उसके लिए और प्रकार से भी धन आकर उत्पादन बढ़ सके तो किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि राजस्थान के अन्दर डी० सी० एम० की तरफ से जो फर्टीलाइज़र फैक्टरी लगाने के बारे में प्रयास किया जा रहा है जिसके संबंध में मैं ऐसा समझता हूं और यह आशा की जाती है कि ६८ के अन्दर राजस्थान के अन्दर वह फर्टी-लाइज़र फैक्टरी फर्टीलाइज़र पैदा करना शुरू कर देगी। और अगर यह हो जाता है तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी लाभ की बात होगी। एक और प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेन्स दिया हुआ है। अगर उनकी तरफ से और यहां पर फैक्टरी लग सकें तो उसका भी स्वागत करेंगे कि कोटा के अन्दर इन फैक्टरीज़ के बारे में आगे काम हो रहा है कि जिससे जो राजस्थान की इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति के अन्दर बहुत कुछ मदद मिल सकेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में इस बात को कहा गया कि जो आर० ए० सी० के जवान वहां पर लड़ रहे थे सीमा के ऊपर उनको अपने पैसों से राशन खरीदना पड़ता था। मैं सूचनार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से पाकिस्तान का एग्रेशन शुरू हुआ और जो भी बोर्डर के ऊपर आर० ए० सी० के जवान काम कर रहे थे, उनको जिस प्रकार से मिलिटरी वालों को फ्री राशन मिलता है उसी प्रकार से उनको भी फ्री राशन दिया गया था। अन्तर आपके समझने में इसलिए पड़ा होगा कि कई जगह जो वहां पर इन्तजाम किया गया वह अपनी अपनी अलग अलग यूनिट वाले इन्तजाम करते थे और आर्मी का हैडक्वार्टर में होता है इसलिए किसी ने यह सूचना दी होगी कि हैडक्वार्टर की तरफ से सप्लाई नहीं हो रही थी और सप्लाई का इन्तजाम अलग अलग यूनिट्स अपनी अपनी कर रही थी। लेकिन उनके ऊपर कोई खर्च पड़ने का सवाल नहीं था। उनके ऊपर जो कुछ खर्च हुआ वह फ्री राशन जिस प्रकार से हौस्टिलिटी के समय पर होता है, उसी प्रकार आर० ए० सी० वालों को दिया गया। आपको कहीं सूचना से भ्रम हो सकता है........

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सीज फायर के बाद में राशन फ्री किया है, पहले नहीं था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शुरू से था। इसके अन्दर अन्तर नहीं है। क्यों कि उस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में असल में राशन तो उनको मिलता ही था और फ्री राशन के तौर पर एडजस्टमेन्ट का सवाल था। बराबर रेगुलर सप्लाई उनको होती थी।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया कि भविष्य के लिए भी राजस्थान की सीमाओं पर सड़कों का और दूसरे हमारी सिक्योरिटी के पोइन्ट ऑफ व्यू से ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाये। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि बोर्डर रोड्स के लिए सेंक्शन इश्यू हो चुकी है और उसके सम्बन्ध में कुछ जगह काम भी चालू हो गया है। कुछ जगह और भी काम चालू करने की बात की जा रही है। दूसरे उपाध्यक्ष जी, सबसे प्राथमिक सवाल पीने के पानी के बारे में है और उन रिग्ज के लिए, ड्रिलिंग रिग्ज के लिए जो हमारे पास इस समय है उनमें इस प्रकार की दिक्कतें हैं कि जहां डेजर्ट्स जैसी स्थिति है वहां पर ले जाने के लिए स्पेशल टाइप का इक्विपमेन्ट चाहिए, विहीकल्स चाहिए जिनके ऊपर उसको कैरी किया जा सके। तो हमें उसके लिए फोरिन एक्सचेन्ज चाहिए और उसके लिए हमने मांग की है कि जिससे इन रिग्ज को ऐसी विहीकल के ऊपर माउन्ट किया जा सके जो कि रेगिस्तान के अन्दर भी जाकर इस काम को वहां पर कर सके। तो इस सम्बन्ध में जो भी कदम उठाये जा सकते हैं उन कदमों को उठाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां यह भी कहा गया कि पंजाबी सूबे के बारे में क्या स्थिति होगी। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि पंजाबी सूबे के बारे में बातचीत तो कई प्रकार की अलग अलग आती हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों का प्रश्न है मैं इसके सम्बन्ध में गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी दोनों से जब मिला तो मैंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि पंजाबी सूबे के बारे में वे जो भी निर्णय करना चाहते हैं वे अपने तरीके इसके बारे में सोचें, वह अलग सवाल है; लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है हम चाहते हैं कि जो राजस्थान आज बना हुआ है अक्षुण्ण उसी प्रकार का बना रहे और इसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं आये क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक और सारी भूमिकाओं को लेकर बना है। और अभी एक इंटिग्रेशन हुआ, फिर कुछ जम कर चलने लगे, ये सारी कन्डीशन्स पैदा हों, मैं समझता हूं कि इसके मामले में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है और इसी प्रकार की कोई और चीजें हों, ऐसा भी मैं मानकर नहीं चलता और शायद हमें इस बारे में चिंतित होने का कोई कारण नहीं होना चाहिये कि जिसकी वजह से हम यह समझ कर चलें कि राजस्थान के बोर्डर, राजस्थान की सीमाओं के बारे में कोई पंजाबी सूबे की वजह से कोई असर पड़ने वाला है।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी यहां पर जिक्र किया गया गवर्नर साहब के बारे में और उनके साथ कुछ बातों को जोड़ा गया। मैं यह उम्मीद करके चलता था कि अगर जो बातें यहां पर कही गई उस सम्बन्ध में कुछ जानकारी मुझे पहले दे दी गई होती तो मैं पता लगा पाता कि कौन से पुलिस थाने में गया, कौन पुलिस थाने में गया, कब गया; गया या नहीं गया। जो कुछ कहा गया वह सच है या नहीं; कुछ जानकारी इसके बारे में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ले पाता। मुझे दरअसल इस बात का दुःख है कि माननीय सदस्य ने इस बात को, इतनी गम्भीर बात को सदन में अचानक उठाने का निर्णय लिया कि जिसके बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, किसी पुलिस थाने के अन्दर गवर्नर के सेक्रेट्री कोई लेकर गया हो, यह बिल्कुल गलत है। वहां ले जाकर कोई मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई हो, यह भी निराधार है। इस सम्बन्ध में आपने किसको शिकायत की, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप गवर्नर से इस बारे में कह सकते थे, सम्बन्धित पार्टी आकर बात कर सकती थी। इस समय तो मैं इतना ही कह कर चल सकता हूँ कि ऐसे तथ्यों को······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो यह कहा कि थाने में कोई नहीं गया तो मतलब यह है कि आपको इसकी जानकारी है········

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अभी जानकारी की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घटना घटी या नहीं, आप तो यह बता दीजिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने एक बात कही कि पहले कह देते। मैं आपसे कहता हूं कि मैं लेट ही इस कारण से आया कि जब मैंने यह सुना तो मैं इसको कन्फर्म करने गया। कल मुझे सरसरी तौर से मालूम पड़ी यह बात, मोतीलालजी चौधरी ने भी इसका जिक्र किया तो आज सुबह ही मैं उसको कन्फर्म करने गया, उसकी डिटेल्स मालूम करने गया और इसी वजह से आज मैं हाउस में आने में लेट हो गया। नौ, सवा नौ बजे आकर पहुंचा मैं यहां पर। आप कहते हैं कि मैं पहले से इस बात को आपको इण्टीमेट करता; लेकिन मैं कैसे करता, मुझे ही यह चीज ६ बजे कन्फर्म हुई। जब हाउस में आकर मैं बैठा तो मैंने यह अपनी प्राइम ड्यूटी समझी कि जो घटना हुई है उसको मैं सदन के सामने रखूं। एक्चुअली कौन रिपोर्ट कराने कब गया, किसके साथ गया, यह अलग चीज है। अगर आप इस सारे मामले में जानकारी करना चाहते हैं, इस सारे मामले को सीरियसली लेकर चलना चाहते हैं, एक तो आप किसी सीनियर ऑफीसर को लगायें जो इस चीज की इन्क्वायरी करे कि यह घटना घटी या नहीं। सारी चीज की इन्क्वायरी हो सकती है और तथ्य सामने आ सकते हैं। लेकिन आप सारे मामले को शील्ड करना चाहते हैं गवर्नर के नाम पर। आपको यह कहना चाहिये कि If they are correct they are very serious मेरा कहना यह है कि इन सारी चीजों की केवल मात्र आप जांच करिये और उसके बाद जो एक्शन लेना हो लीजिए, मैं यही तो चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे आप क्षमा करें, मै यह कहूँ तो कि आज मेरे सामने कोई इस प्रकार के तथ्य नहीं हैं, सिवाय इसके कि आपने यहां कह दिया और जिसके बारे में जो सरसरी तौर पर मैं जानकारी कर सकता था, मैंने कर दी कि कोई भी थाने में गवर्नर के सेक्रेट्री के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया। आप कहते हैं कि इस तरह की शिकायत सेक्रेट्री के खिलाफ हुई और इसी आधार पर मैं इन्क्वायरी करा लूं तो। आखिर कोई तथ्य भी तो कहने वाला होना चाहिये

Page No. 84

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
जो यह तथ्य बताए और तभी इन्क्वायरी हो सकती है। वर्ना जो धुंआ फैलाना था तो फैला दिया। मैं समझता हूँ कि आप एग्री करेंगे·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तो हाउस में कह दिया है, बाहर कहने की क्या बात है ? जो कुछ मैंने हाउस में कहा है वह पूरी रेस्पोन्सिबिलिटि से कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो बात आप आज यहां कह रहे हैं वह बात अगर गलत निकल जाय तो उसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि वह बात गलत निकली; इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार जब कोई कदम उठाती है तो उसके लिए निश्चित प्रमाण होने चाहिए, निश्चित रिपोर्ट होनी चाहिए····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा तो बहुत बारीक प्रश्न है कि क्या यह इंस्टांस हुआ या नहीं, आप तो यह बता दीजिए; इसमें कोई डेरोगेटरी सिच्युएशन नहीं है। लेकिन आप तो गवर्नर के सैक्रेट्री को बचाना चाहते हैं। जो कुछ मैंने कहा है वह अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरे बचाने और न बचाने का सवाल नहीं है और न राज्यपाल के लिए ही यह कहा जा सकता है। मैं राज्यपाल महोदय के लिए इत्मिनान के साथ कह सकता हूं और आज जो राज्यपाल यहां हैं डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी, अगर यह मामला उनके सामने लाया जाय तो जिस प्रकार का उनका जीवन रहा है, जिस प्रकार के उनके विचार हैं, उनके अनुसार वे कभी भी, हर्गिज शील्ड करने वाले नहीं हैं, इस बात को मान कर चलना चाहिए। यह बात दूसरी है कि इसकी जानकारी उनको है या नहीं या घटना घटित हुई या नहीं, वास्तविकता क्या है; इसकी जानकारी करना आवश्यक है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि इन चीजों को उठा कर जिस प्रकार माननीय सदस्य ने इस बात को गवर्नर के साथ जोड़ने की कोशिश की है वह ठीक नहीं है। अगर उनके पास इसकी और ज्यादा जानकारी है, कोई सब्सटेंशियल मैटर है आपके पास तो वह मुझे बतावें·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री मोतीलाल चौधरी की ओर संकेत करते हुए) आप धर्म-कर्म ले लो उनसे·······

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, शराब के बारे में भी कहा गया·······

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : मैंने कल भी मना किया था कि मुझे इसकी कोई जानकारी नही है; न मैंने कोई उनको पकड़ा है और न कोई रिपोर्ट की है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह तो कहा था कि मैंने सुना है। आपने कल यह कहा था कि यह सुनी-सुनाई बात है, इतना तो कहा था। लेकिन आज आप यहां नहीं कह सकेंगे हाउस में। मैं आपकी वीकनेस को जानता हूं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कह सकते। मेरा कहना यह है कि आज गवर्नर के सैक्रेट्रियेट में कैसे लोग भरे हैं········

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आप जिनके आधार पर कह रहे हैं वे ही मना कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उनकी बात को छोड़िए । आप स्वयं जानकारी कीजिए, इन्क्वायरी करके फेक्ट मालूम कीजिए । मैं जो कुछ कह रहा हूं पूरी रेस्पोंसिबिलिटी से कह रहा हूं । गवर्नर तो शील्ड नहीं करेंगे, लेकिन आप शील्ड करने की कोशिश मत कीजिए ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं बड़ी नम्रता से जयपुर के माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मेरे शील्ड करने का कोई प्रश्न नही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको । आपने अभी एक बात कही माननीय सदस्य के बारे में कि उन्होंने आपसे कहा, लेकिन उन्होंने आपके सामने ही ना कर दिया और तब भी आप कह रहे हैं कि चूंकि आपने उस बात को कह दिया है, इसलिए मुझे इन्क्वायरी सेट अप कर ही देना चाहिए । आपने जो बात कही और जिस आधार पर कही, माननीय सदस्य के इनकार कर देने से वह आधार ही खत्म हो गया, आप इस बात को समझ कर चलें। आप चाहते हैं कि चूंकि आपने कह दिया इसलिए मुझे कदम उठाना चाहिए तो इसी आधार पर तो यह कदम उठाना सम्भव नहीं है । अगर आपके पास और तथ्य हैं और जिनको आप मुझे बाद में बतायेंगे और अगर उसके संबंध में कार्यवाही करना आवश्यक होगा तो मैं कार्यवाही करने को तैयार रहूंगा । लेकिन जो कुछ यहां कह दिया गया सरसरी तौर पर और उसके आधार पर ही इन्क्वायरी कण्डक्ट कर ली जाय, तो यह तो एक मुश्किल बात है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि इसको इस तरह से लेकर चल रहे हैं मानो जो कुछ मैंने कहा वह झूठ है । मैं कहता हूं कि आप दस मिनट के लिए हाउस की बैठक स्थगित कर दीजिए और आप मेरे साथ चलिए, आपके ऑफीसर से टेलीफोन पर बात कीजिए, जो आपके ही फिडेंस का ऑफीसर है, अगर वह इस बात को स्वीकार कर ले तो या तो आप इस हाउस के सामने रिग्रेट कीजिए और अगर वह कन्फेस नहीं करे तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा । मैं कोई गैर जिम्मेदारी से बात नहीं कर रहा हूं और न गैर जिम्मेदारी मे आज तक बोला ही हूं और न बोलूंगा । लेकिन इसी सम्बन्ध में आप इतनी सी बात कह सकते थे कि हम जांच करेंगे, मामला बड़ा गम्भीर है ।

Why do you embarrass him, he is a congresse man.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जैसा कहा कि पन्द्रह मिनिट के लिए हाउस एडजोर्न करके बात कर लें तो मैंने भी यही कहा है कि आप मुझे और तथ्य बतला दीजिए, मैं निश्चित तौर से जांच कराऊंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है, अब आप इन्क्वायरी कराइए ।

श्री मोहनलाल चौधरी : मैंने कह दिया है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और न मैंने कोई बात ही कही है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिसके आधार पर आप कह रहे हैं वे ही मना कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रहे हैं और फिर आप इन्क्वायरी कराने की बात कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे तो नहीं कह सकते, उन्हें भी कांग्रेस टिकिट लेना है।

श्री मोतीलाल चौधरी: मैंने कोई बात नहीं कही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ये तो झूठ कह रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि कल मैं इनके पास गया या नहीं यहां से उठ कर।

श्री मोतीलाल चौधरी : यहां आए तो मैंने ना कह दिया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी........

श्री मोतीलाल चौधरी : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) आपसे कोई बात नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

एक माननीय सदस्य : मैं उधर से निकल रहा था तब आपने कहा था। यह बात हुई है, कि यहां पर क्यों करते हो।

(हियर-हियर शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यहां पर खड़े होकर नहीं कह सकते, हिम्मत नहीं है क्योंकि आगे के लिए टिकिट चाहिए।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो कुछ कहा गवर्नर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कहा है। निकालो ऐसे आदमियों को जो दस दस साल से चिपके हुए बैठे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कुछ ध्यान आकर्षित किया और यह कहा कि पाकिस्तान के एग्रेशन के वक्त जो लोग मारे गये उनकी फेमलीज़ को जमीन एलॉटमेन्ट के बारे में कोई कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में बात करने पर मुझे जानकारी मिली है कि ५४ में से ३७ को जमीन दी गई है और १७ के बारे में जानकारी की जा रही है, और भी आपके पास कोई जानकारी हो तो देंगी तो जानकारी की जायगी।

जहां तक पुलिस और चोरियों के सम्बन्ध में कहा था, सन् ६३ में परसेन्टेज ऑफ डिटेक्शन ४८ परसेन्ट था, ६४ में ४४ परसेन्ट। परसेन्टेज ऑफ कन्विक्शन ६३ में ७२.७ परसेन्ट, ६४ में सेन्ट परसेन्ट है। रोकने के बारे में ६३ में ६५.८ परसेन्ट, ६४ में ६३.५ परसेन्ट था बल्कि एक-दो चोरियां जैसी बात नहीं है। जहां तक इसमें कार्यवाही करने का सवाल है, मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये हैं उससे स्थिति स्पष्ट होगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं बहुत समय हर प्रश्न में लूं, इसमें नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस संबंध में जो वाद-विवाद और बहुत सी बातें हुईं, अभी जयपुर के माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे, भाषण के दौरान उन्होंने इस बात का बहुत जिक्र किया, विरोधी पक्ष के नेता आज उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत बार कहा, स्वाभाविक है शायद यह वर्ष चुनाव का वर्ष है, चुनाव का वर्ष होने से हरा देंगे, जिता देंगे, ये सारी बातें जोर-शोर से कहने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
के लिए इस सदन में जितना अवसर मिल सके उतना प्रयत्न किया गया........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब आप भी कर रहे हैं; आप न करें तो हम समझें, आप भी बराबर हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष की तरफ से इतने जोर जोर से बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ती है जैसे माना जाता है कि जो कमजोर होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाथूराम जी कमजोर हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा कि इन्होने कहा कांग्रेस चुनाव में क्या परिणाम लायेगी, इस बारे में मैं नहीं कहना चाहता। आप स्वयं ही इस बात को जान लेंगे। जैसे पहले के चुनावों के परिणाम देखते रहे हैं, मैं समझता हूं ६७ में भी उन परिणामों को देखेंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हम तो देखेंगे, लेकिन आप भाग जाओगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन शब्दों के साथ, मेरे रहने न रहने का माननीय सदस्यों को बहुत उत्साह है। इस तरफ बैठने वालों को कभी इस बात से और कभी उस बात से लड़ाने की प्रेरणा दिलाने की कोशिश करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस जगह तब तक यहां हूं जब तक कांग्रेस हाई कमान्ड, राजस्थान की जनता और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी इस जगह मुझे चाहती है, तब तक हूं। जिस रोज उनमें से कोई कह देगा, चुनाव में कोई और नहीं चुनेगा तो इस जगह नहीं होऊंगा। हाई कमान्ड यदि यह कह देगा कि यह काम न करके झाड़ू लगाओ तो एक कांग्रेसमैन की तरह से उसको करूंगा। कांग्रेस पार्टी यदि कहेगी चुनकर आये हो तो भी इस पद पर नहीं बैठना है तो मामूली सदस्य की तरह बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिये श्री फूलचन्द जैन ने प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन की बैठक तारीख ९ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १ बज कर ३५ मिनिट पर दिनांक ९ मार्च १९६६ को म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक ५ मार्च, १९६६)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१२१७	८	वाद-विवोद .	वाद-विवाद
,,	१३वी पंक्ति के नीचे	—	श्री गंगासिंह ।
१२२२	१३	प्रापर्टी	प्रोपर्टी
१२२७	अन्तिम से २	है उनका	हूं उनका
१२२८	६	ओर आपकी	और आपकी
,,	१०	प्रोजेक्टस	प्रोजेक्ट्स
१२३०	प्रथम	इन —	इन्ड-
१२३३	२३	ह यह	वह यह
१२३९	६	की बस्तियी	की बस्तियों
१२४१	८	कहने का आपका तरीका !	करने का आपका तरीका है !
१२४६	अन्तिम से ११	यहां नहीं ।	यहां नहीं ?
१२५३	शीर्षक	राज्पपाल	राज्यपाल
१२५७	अन्तिम से ५	जां ।	जायं
१२५८	५	गलीसयां	गलतियां
,,	अन्तिम से १२	प्रशन्नता	प्रसन्नता
,,	अन्तिम से ५	अंड़े	अंडे
१२५९	१	,,	,,
१२६०	अन्तिम से ९	मयुर	माथुर
१२६१	११	प्लाना	पलाना
१२६७	६	मेडे	मेरे
१२७१	९	०० मन	१०० मन
,,	अन्तिम से २	सेक्ट	सेक्टर
१२७८	अन्तिम से ६	पुजंसीज	एजेंसीज
१२७९-१२८१	शीर्षक	महोदय, के	महोदय के
१२८२	अन्तिम से ९	फार्मस	फार्म्स
१२८३	१५	मयड————ये	मेथड अपनाना चाहिये ।
१२९१	३	प्रस्ताव ।	प्रस्ताव
,,	२	स्थथन	स्थगन
१२९५	२	representotion	representation
,,	अन्तिम से ७	ग्रब	अब
,,	८	कह चुके ।	कह चुके
१२९८	शीर्षक	निष्काशित	निष्कासित
,,	३	represenation	representation
१३००-१३०२	शीर्षक	निष्काशित	निष्कासित
१३०३	शीर्ष	(श्री निरंजननाथ आचार्य)	—

Page No. 89

१	२	३	४
१३०७	३	नतीजा	नतीजा
१३१५	अन्तिम से ८	(आनेर)	(आमेर)
१३१८	९	(रा. श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन हुए)	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)
१३२१	शीर्ष	(डूंगाराम राजोरिया)	(श्री डूंगाराम राजोरिया)
१३३१	,,	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
१३४२	अन्तिम से २	श्री ज्वाला प्रशाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१३४४	,, ,, ५	तुम्हे	तुम्हें
१३४५	१८	क ५ बजे	कि ५ बजे
१३४७	१६	प्रोतसाहित	प्रोत्साहित
१३४८	१	एक	में एक
,,	१८	रूप	रूप में
१३४९	२५	हो	ही
१३५०	१५	होगा	होगा।
,,	अन्तिम	मेस्ट	गेस्ट
१३५१	अन्तिम से ५	सेकुलेरिज्यम	सैकुलेरिज्म
,,	,, ,, ३	आपको	आपकी
१३५२	३	स	से
१३५३	७	अवि ल	अविकल
,,	६	कई	कोई
,,	१०	सर र	सरकार
,,	१३	हस्ताक्ष र र्ता	हस्ताक्षरकर्त्ता
,,	१८	विवेषांक	विशेषांक
,,	अन्तिम	—	को ?
१३५४	१४	जनर	जनरल
,,	१५	आना	आना,
,,	१८	ऑफ	ऑफ
१३५५	१४	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	अन्तिम से ७	हिन्स्दुतान	हिन्दुस्तान
१३५६	६	चने	चले
१३६१	अन्तिम से ६	श्री पोहन लाल सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
१३६२	२१	प्रेसर	प्रेशर
१३६६	२	दुई	हुई
,,	अन्तिम से २	रहें	रहे
१३७०	१४	किरना	करना
,,	१८	उसमे	उसम
१३७२	३	उन्होने	उन्होंने
१३७६	अन्तिम से ५	जयपर मे	जयपुर में
१३८०	शीर्षक	वाव	वाद—
१३८१	२०	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१३८२	शीर्षक	वाद-यिवाद	वाद-विवाद
,,	१०	corr ct	correct
,,	अन्तिम से २	इम्पवाधरी	इम्पवायरी

१	२	३	४
१३८३	१	इन्क्यायरी	इन्क्वायरी
,,	८	रेस्पोंसिबिलिटि	रेस्पोंसिबिलिटी
,,	अन्तिम से ६	श्री मोहनजाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
१३८४	शीर्षक	वाव	वाद
,,	१५	श्री मोहनजाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
१३८५	१२	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१३८६	६	डिफेंस	कॉन्फिडेन्स
,,	२०	c giesseman	congressman
,,	अन्तिम से ५	श्री मोहनलाल चौवरी	श्री मोतीलाल चौधरी
१३८८	७	फेमलीज	फेमिलीज